प्रशिक्षण कैलेंडर

2014-15

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान

प्रशिक्षण कैलेंडर

2014-2015

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान

सैक्टर - 24, नौएडा - 201301

उत्तर प्रदेश, भारत

प्रकाशक : वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
सैक्टर-24, नौएडा-201301, उ.प्र.
प्रकाशन वर्ष : 2014
प्रतियों की संख्या : 200
मुद्रण स्थान : चन्दु प्रेस, डी-97, शकरपुर
दिल्ली-110 092

विषय सूची

महानिदेशक की कलम से	**v**
संस्थान का विज़न एवं मिशन	**vi**
संस्थान की रूपरेखा	**1-26**
लक्ष्य एवं उद्देश्य	1
शासी निकाय	1
अवस्थिति एवं परिसर	2
हॉस्टल	2
संगोष्ठी/प्रशिक्षण हॉल	2
प्रशिक्षण एवं शिक्षा	3
परामर्शी सेवा	4
अनुसंधान	5
एन.आर. डे श्रम सूचना संसाधान केंद्र	23
प्रकाशन	25
प्रशिक्षण विवरण	**27-83**
श्रम प्रशासन कार्यक्रम	27
औद्योगिक संबंध कार्यक्रम	32
क्षमता-निर्माण कार्यक्रम	37
बाल श्रम कार्यक्रम	51
अनुसंधान पद्धति कार्यक्रम	53
स्वास्थ्य मामले कार्यक्रम	58
अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	61
उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए कार्यक्रम	69
सहयोगात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम	76
वीवीजीएनएलआई संकाय रूपरेखा	**84-99**
सम्पर्क नम्बर एवं ई-मेल पते	**100**

महानिदेशक की कलम से

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान जुलाई 1974 में अपनी स्थापना के समय से ही श्रम के विभिन्न पहलुओं से संबंधित शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान, परामर्शी सेवाओं तथा प्रकाशनों के कार्य में अग्रणी संस्थान रहा है। यह संस्थान अपनी महत्वपूर्ण गतिविधियों यथा i) श्रम मुद्दों को नीति-निर्माण के मुख्य सरोकार के रूप में प्रक्षेपित करना, ii) सामाजिक कार्यकत्ताओं को इस तरह सक्षम बनाना कि वे कार्य जगत में हो रहे परिवर्तनों का सामना कर सकें, iii) आधुनिक भारत के निर्माण में श्रम की भूमिका को रेखांकित करना, iv) वैश्विक अर्थव्यवस्था में श्रम की दुनिया के रूपान्तरण मुद्दों को हल करना तथा v) श्रम से संबंधित मुद्दों पर सूचनाओं का संरक्षण और उनका प्रचार-प्रसार करना, के जरिए एक समर्पित संस्थान है।

यह संस्थान अपनी गतिविधियों की गति को तेज करके तथा श्रम की दुनिया में हो रहे परिवर्तनों की उभरती चुनौतियों के प्रति कार्रवाई करके इन उद्देश्यों को पूरा करने के प्रति पूर्णतया समर्पित है। आज निरंतर गति से हो रहे असाधारण प्रौद्योगिकी परिवर्तन, बाजारों का वैश्वीकरण, व्यापार का उदारीकरण, आर्थिक संकट तथा समायोजन जैसे घटक, जो आपस में सह-संबंधित हैं, श्रम और रोजगार की ऐसी स्थिति प्रस्तुत करते हैं, जो आज से कुछ दशक पहले मौजूद स्थितियों से पूर्णतः भिन्न हैं। इसी संदर्भ में वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान जैसे अग्रणी प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है।

श्रम की दुनिया में तीव्र रूपांतरणों को देखते हुए श्रम प्रशासकों, प्रबंधकों, ट्रेड यूनियनों, कर्मकारों तथा अनुसंधानकर्ताओं जैसे सभी संबंधित समूहों के लिए आवश्यक है कि वे इस रूपांतरण में सम्मिलित विभिन्न जटिलताओं को भली-भांति समझें, जिसके लिए उनके ज्ञान में बढ़ोतरी करना और उनके कौशल को तीक्ष्ण करना आवश्यक है। कर्मकारों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में बताया जाए; श्रम प्रशासक और प्रबंधन औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने का प्रयास करें, ट्रेड यूनियन नेता अपने कर्मकारों को संगठित करने की नई और नवीनतम नीतियां विकसित और अंगीकृत करने के लिए तैयार किए जाएं, श्रम प्रवर्तन अधिकारियों को श्रम कानूनों को लागू करने के संबंध में अधिक नवाचारी तथा जिज्ञासु बनाया जाए। अनुसंधानकर्ताओं को उभरते परिदृश्य की जानकारी दी जानी चाहिए जिससे वे नई एवं समुचित पद्धतियों को अपना सकें। संस्थान ''लर्नर सेंटर्ड'' अर्थात सीखने वालों पर केन्द्रित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का निर्माण करके तथा हस्तक्षेपों के द्वारा इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार है।

संस्थान का वर्ष **2014-15 का प्रशिक्षण कैलेंडर** सभी संबंधित पणधारियों की प्रशिक्षण जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। मुझे यह पूर्ण आशा है कि जिन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अभिकल्पना संस्थान ने की है, वे सभी कार्यक्रम सामाजिक भागीदारों को परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करने में लाभकारी सिद्ध होंगे।

यह संस्थान, कार्य की गुणवत्ता और कार्य संबंधों के विकास के लिए हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रमुख उत्प्रेरक के रूप में तैयार करने के लिए सभी संबंधितों से निरंतर सहयोग की आशा करता है।

(पी.पी. मित्रा)
महानिदेशक

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान

विज़न

''संस्थान को श्रम अनुसंधान और प्रशिक्षण में वैश्विक रूप से प्रतिष्ठा प्राप्त ऐसे संस्थान के रूप में विकसित करना जो उत्कृष्टता का केंद्र हो तथा जो कार्य संबंधों और कार्य की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए कृत संकल्प हो।''

मिशन

संस्थान का मिशन निम्नलिखित के माध्यम से श्रम तथा श्रम संबंधों को विकास कार्यसूची में विशेष केंद्र के रूप में स्थापित करना है :

- *कार्य की दुनिया में रूपांतरण के मुद्दे पर कार्रवाई करना;*
- *श्रम तथा रोजगार से संबंधित प्रमुख सामाजिक भागीदारों तथा पणधारियों के बीच ज्ञान, कौशल और अभिवृत्ति का प्रसार करना;*
- *वैश्विक स्तर के अनुसंधानिक अध्ययनों और प्रशिक्षण हस्तक्षेपों को हाथ में लेना; और*
- *श्रम से संबंधित विश्व प्रसिद्ध संस्थानों के साथ समझ निर्माण तथा साझेदारी बनाना।*

संस्थान

भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के एक स्वायत्त निकाय के रूप में जुलाई 1974 में स्थापित **वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान** (वीवीजीएनएलआई), श्रम अनुसंधान, प्रशिक्षण और शिक्षा का एक अग्रणी संस्थान है। संस्थान अपनी स्थापना के समय से ही अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण और प्रकाशनों के माध्यम से उन सभी लोगों तक पहुंचने का प्रयास करता रहा है, जिनका सरोकार संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में श्रम के विभिन्न पहलुओं से है। इन प्रयासों के केंद्र में संस्थान की प्रतिबद्धता यह रही है कि वह श्रम के सभी पहलुओं के बारे में अपनी अकादमिक अंतर्दृष्टि और समझ का प्रयोग नीति-निर्माण, कानून और संबंधित कार्रवाई में इस प्रकार करे कि श्रम को समतावादी और प्रजातांत्रिक समाज में न्याससंगत और उचित स्थान प्राप्त हो सके।

लक्ष्य और उद्देश्य

संगम ज्ञापन में स्पष्ट रूप से उन व्यापक क्रियाकलापों की जानकारी दी गई है, जो संस्थान के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं। संस्थान के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं :-

- प्रशिक्षण और शिक्षा कार्यक्रम, गोष्ठियां और कार्यशालाएं आयोजित करना और उन्हें आयोजित करने में सहायता देना;
- स्वयं अथवा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, दोनों स्तरों की अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर अनुसंधान कार्य करना, उसमें सहायता देना, उसे बढ़ावा देना और उसका समन्वय करना;
- निम्नलिखित के लिए स्कंध स्थापित करना :
  - शिक्षा, प्रशिक्षण और अभिविन्यास;
  - अनुसंधान, जिसमें क्रियाविधि अनुसंधान शामिल है;
  - परामर्शी सेवा; और
  - प्रकाशन और अन्य ऐसी गतिविधियां, जो संस्थान के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक हों।
- उन विशिष्ट समस्याओं का विश्लेषण करना जो श्रम और उससे संबंधित कार्यक्रम तैयार करने और उन्हें कार्यान्वित करने में सामने आती हैं, और उनके समाधान के लिए उपचारी उपायों के सुझाव देना;
- पुस्तकालय और सूचना सेवाएं स्थापित करना और उनका अनुरक्षण करना और भारत तथा विदेश में ऐसी अन्य संस्थाओं के साथ सहयोग करना, जिनके समरूप उद्देश्य हों।

शासी निकाय

महापरिषद, जो वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई) का शीर्ष शासी निकाय है, संस्थान के कार्यचालन के लिए नीति संबंधी स्थूल प्राचल निर्धारित करती है और इसके क्रियाकलापों के लिए सामान्य दिशानिर्देश देती है। मूल रूप से, यह एक त्रिपक्षीय निकाय है, जिसमें केंद्रीय सरकार, ट्रेड यूनियन संघों, नियोजक संगठनों के प्रतिनिधि और श्रम के क्षेत्र में योगदान करने वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होते हैं। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री इस परिषद के अध्यक्ष हैं।

संस्थान के कार्यों के प्रशासन और प्रबंधन के लिए महापरिषद द्वारा **कार्यकारी परिषद** का गठन किया जाता है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के केंद्रीय सचिव कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष हैं।

संस्थान के महानिदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, जो संस्थान के कार्यों के प्रशासन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होते हैं।

स्थान और परिसर

यह संस्थान नौएडा, उत्तर प्रदेश के सैक्टर 24 में स्थित है। यह संस्थान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लगभग 20 किलोमीटर, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से लगभग 30 किलोमीटर और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लगभग 50 किलोमीटर दूर है और यहां टैक्सियों और बसों के जरिए पहुंचा जा सकता है। नौएडा, जो दिल्ली का एक सेटेलाइट नगर है, दिल्ली की पूर्वी सीमा पर स्थित है। यह संस्थान लगभग 12.45 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके परिसर में प्रशिक्षण और पुस्तकालय ब्लॉकों सहित एक प्रशासनिक ब्लॉक, हॉस्टल, आंतरिक जल आपूर्ति प्रणाली, विद्युत सब-स्टेशन और एक लघु आवासीय परिसर तथा हरे-भरे लॉन हैं।

हॉस्टल

संस्थान में एक उत्कृष्ट हॉस्टल इमारत है। इसमें संलग्न स्नानागारों और स्वतंत्र बालकनियों वाले 99 पूरी तरह सज्जित कमरे, भोजन कक्ष और मनोरंजन की सुविधाओं से युक्त एक भली-भांति सुसज्जित विश्राम कक्ष हैं। सभी कमरे वातानुकूलित हैं और उनमें रंगीन टीवी और टेलीफोन लगे हुए हैं। शोर और प्रदूषण से मुक्त हरे-भरे और खुले वातावरण से रिहायशी कार्यक्रमों में सकारात्मक रूप से भाग लेने में सहायता मिलती है। मनोरंजन के लिए हॉस्टल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक अति आधुनिक व्यायामशाला भी है, जिसमें अच्छे स्वास्थ्य और फिटनैस को समर्पित ट्रैडमिल्स, रिकम्बैंट बाइक, क्रास ट्रेनर, शोल्डर प्रेस, लैग प्रेस बाईसेप्स कर्ल, मल्टीस्टेशन जिम आदि हैं। परिसर में आउटडोर एवं इंडोर खेलों की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।

संगोष्ठी/प्रशिक्षण हॉल

संस्थान में पूरी तरह से वातानुकूलित छह प्रशिक्षण हाल हैं। प्रत्येक हाल में श्रव्य-दृश्य सुविधाएं हैं।

समस्त सूचना के लिए संपर्क करें :

महानिदेशक,
वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान,
पोस्ट बॉक्स संख्या 68, सैक्टर 24,
नौएडा-201 301
जिला-गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) भारत,
टेलीफोन : 2411470, 2411533, 2411534, 2411535, 2411538
फैक्स : 2411471, 2411536
एसटीडी कोड : 91-0120
ई-मेल : directorgenralvvgnli@gmail.com
वेबसाइट : http://www.vvgnli.org

टिप्पणी : दिल्ली से टेलीफोन करते समय पहले 95-120 डायल करें, दिल्ली के बाहर से फोन करते समय पहले 0120 और भारत के बाहर से फोन करते समय पहले 91-11-120 डायल करें। यह संस्थान सप्ताह में पांच दिन (सोमवार से शुक्रवार, प्रातः 9.00 बजे से सायं 5.30 बजे तक) कार्य करता है।

प्रशिक्षण और शिक्षा

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, श्रम समस्याओं की बेहतर समझ को प्रोत्साहित करने और उनका समाधान करने के लिए विभिन्न उपायों का पता लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। इनकी प्राप्ति के लिए संस्थान, अपने विविध कार्यकलापों के जरिए श्रम संबंधी मुद्दों के संबंध में समन्वित ढंग से शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है। अनुसंधान कार्यकलापों के अंतर्गत, अन्य बातों के साथ-साथ, विभिन्न समूहों की बुनियादी जरूरतों का पता लगाया जाता है, जैसे कि अनुसंधान कार्यकलापों के दौरान सृजित ऐसे डाटा का उपयोग नए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार करने और विद्यमान पाठ्यक्रमों को संशोधित करने के लिए किया जाता है। भाग लेने वाले व्यक्तियों से सतत रूप से प्राप्त राय (फीडबैक) का उपयोग प्रशिक्षण पाठ्यचर्या को अद्यतन बनाने और साथ ही प्रशिक्षण मॉड्यूलों की पुनर्संरचना करने के लिए किया जाता है।

संस्थान के शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को श्रम संबंधों में संरचनात्मक परिवर्तन के संभाव्य साधन के रूप में देखा जा सकता है। इनसे सद्भावपूर्ण औद्योगिक संबंधों को प्रोत्साहित करने के लिए और अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करने में मदद मिल सकती है। कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्रों में आरंभिक स्तर पर नेतृत्व का विकास करने का प्रयास करता है, जिससे ग्रामीण श्रमिकों के हितों की देखभाल करने के लिए स्वतंत्र संगठनों के निर्माण में सहायता प्राप्त हो सकती है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत अभिवृत्ति संबंधी परिवर्तन, कौशल विकास और ज्ञान के संवर्धन पर भी समान रूप से बल दिया जाता है।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत श्रव्य-दृश्य प्रस्तुतीकरणों, व्याख्यानों, समूह चर्चाओं, मामला अध्ययनों और व्यवहार विज्ञान तकनीकों के समुचित मिश्रण का उपयोग किया जाता है। संस्थान के संकाय सदस्यों के अलावा अतिथि संकाय सदस्यों को भी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

संस्थान में निम्नलिखित समूहों को शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है :

- केंद्रीय और राज्य सरकारों के तथा विदेशों के श्रम प्रशासक तथा अधिकारीगण;
- सरकारी तथा निजी क्षेत्रक उद्योगों के प्रबंधक और अधिकारी;
- संगठित और असंगठित क्षेत्रों के ट्रेड यूनियन नेता और संगठनकर्ता; और
- अनुसंधानकर्ता, प्रशिक्षक, क्षेत्रीय कामगार एवं श्रम मुद्दों से सरोकार रखने वाले अन्य व्यक्ति।

श्रम प्रशासन कार्यक्रम

इन्हें, केंद्रीय और राज्य सरकारों के श्रम प्रशासकों और अधिकारियों के लिए तैयार किया जाता है। कार्यक्रमों के अंतर्गत श्रम प्रशासन, समाधान, श्रम कल्याण और प्रवर्तन के संबंध में अनेकों विषय शामिल हैं। ये आवासीय कार्यक्रम हैं, जिन्हें संस्थान परिसर में अथवा देश में चुनिंदा केंद्रों में आयोजित किया जाता है।

औद्योगिक संबंध कार्यक्रम

इन कार्यक्रमों के अंतर्गत औद्योगिक संबंध और अनुशासनिक पद्धतियों के संकल्पनात्मक और व्यावहारिक दोनों क्षेत्रों को शामिल करने का प्रयास किया जाता है। इन कार्यक्रमों को सरकार, नियोक्ताओं और यूनियनों के बीच बेहतर विचार-विमर्श के लिए वरिष्ठ प्रबंधकों और मानव संसाधन अधिकारियों और ट्रेड यूनियनों को भागीदारी प्रबंधन की जानकारी दी जाती है। इन कार्यक्रमों को देश के विभिन्न केंद्रों में आयोजित किया जाता है ताकि सभी क्षेत्रों से लोग इनमें भाग ले सकें।

क्षमता निर्माण कार्यक्रम

ये कार्यक्रम श्रम के क्षेत्र में प्रशिक्षकों के विकास के लिए तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा, ये कार्यक्रम, औद्योगिक और ग्रामीण, दोनों प्रकार के ट्रेड यूनियनों के संगठनकर्ताओं और श्रमिकों के लिए आयोजित किए जाते हैं। इनमें से कुछ कार्यक्रम देश के विभिन्न भागों में आयोजित किए जाते हैं ताकि अधिक संख्या में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

बाल श्रम कार्यक्रम

ये कार्यक्रम बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में कार्यरत व्यक्तियों, समूहों और संगठनों की क्षमताएं विकसित करने के लिए आयोजित किए जाते हैं। इन समूहों में विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी, शिक्षक संघ, गैर-सरकारी संगठन, नियोक्ता, ट्रेड यूनियन, पीआरआई, एनसीएलपी शिक्षक और अधिकारी आदि शामिल हैं।

अनुसंधान पद्धति कार्यक्रम

ये कार्यक्रम विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों में कार्यरत युवा शिक्षकों और अनुसंधानकर्ताओं और साथ ही सरकारी संगठनों के व्यावसायिकों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किए जाते हैं ताकि वे श्रम अनुसंधान और नीति में अपने सरोकारों को हासिल कर सकें।

श्रम और स्वास्थ्य कार्यक्रम

ये कार्यक्रम विभिन्न लक्ष्य समूहों जैसे श्रम प्रशासन, ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों, नियोक्ताओं, स्वास्थ्य अधिकारियों और गैर-सरकारी संगठनों को सुग्राही बनाने के उद्देश्य से तैयार किए जाते हैं, ताकि वे श्रमिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए वैश्वीकरण और श्रम बाजार परिवर्तनों के निहितार्थों को समझ सकें।

पूर्वोत्तर राज्य प्रशिक्षण कार्यक्रम

संस्थान, पूर्वोत्तर क्षेत्र में श्रम तथा रोजगार से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर ध्यान देने के लिए श्रम प्रशासकों, ट्रेड यूनियन नेताओं, गैर-सरकारी संगठनों तथा अन्य पणधारकों के लिए विशेष रूप से अभिकल्पित काक्रमों पर काफी जोर देता है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, भारत सरकार, विदेश मंत्रालय के आईटीईसी/एससीएएपी कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी विभागों, संस्थानों, नियोक्ता संगठनों के अधिकारियों तथा विकासशील देशों से अन्य व्यक्तियों के लिए तैयार किए जाते हैं।

सहयोगात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम

एक स्थान पर स्थित अपने सीमित संसाधनों के कारण संस्थान देश की प्रशिक्षण जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। इसके अलावा, यह क्षेत्र की विशालता और श्रम बाजार की क्षेत्रीय एवं आँचलिक असमानताओं को देखते हुए श्रम की सभी जरूरतों और समस्याओं का पर्याप्त रूप से समाधान नहीं कर सकता। इस संदर्भ में, समरूप उद्देश्यों वाले श्रम संस्थानों और संगठनों के कार्यकलापों का समुचित रूप से एकीकरण करने से उपरोक्त कमियों को दूर करने में मदद मिलेगी। इसलिए संस्थान ने प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, दोनों क्षेत्रों में समान उद्देश्यों वाले राज्य श्रम संस्थानों एवं अन्य संस्थानों के साथ नेटवर्किंग व्यवस्था को संस्थागत बनाने के लिए अनेक उपाय प्रारंभ किए हैं।

परामर्शी सेवा

संस्थान का एक अधिदेश औद्योगिक संबंध तथा इससे संबंधित विषयों पर उद्योगों को उनकी समस्याओं के संबंध में परामर्शी सेवाएं प्रदान करना है। परामर्शी सेवाओं का एकमात्र तात्पर्य संस्थान के अनुसंधान को व्यावहारिक विशेषज्ञता प्रदान करना नहीं है, बल्कि ये सेवाएं आय के स्रोत भी हैं। परामर्शी सेवाओं में कंपनी के भीतर प्रशिक्षण, नैदानिक अनुसंधान और आंतरिक परिवर्तन कार्यक्रम शामिल हैं। ये परामर्शी सेवाएं सार्वजनिक तथा निजी, दोनों तरह के उद्यमों को प्रदान की जाती हैं। इन प्रयासों से बड़े संगठनों में संगठनात्मक विकास, कर्मकारों की प्रतिभागिता तथा सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंधों को बढ़ावा मिला है।

और अधिक जानकारी और विवरण के लिए कृपया निम्नलिखित पर संपर्क करें :

कार्यक्रम अधिकारी
वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
सैक्टर-24, नौएडा-201 301 (भारत)
ई-मेल : jkkaulvvgnli@rediffmail.com टेलीफैक्स : 0120 - 2411471

अनुसंधान

संस्थान के कार्यकलापों में अनुसंधान का एक प्रमुख स्थान है। अनुसंधान के विषय में संगठित और असंगठित, दोनों क्षेत्रों के श्रम संबंधी मुद्दों और समस्याओं का विस्तृत फलक शामिल है। अनुसंधान के विषय तय करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि वे विशय सामयिक सरोकार वाले हों और नीति निर्माण से सुसंगत हों। संस्थान सामान्य रूप से असंगठित और संगठित क्षेत्रों में श्रम के मुद्दों पर और इनमें से अधिक लाभ-वंचित व्यक्तियों जैसे कि बाल श्रमिकों, महिला श्रमिकों और ग्रामीण श्रमिकों के मुद्दों और समस्याओं पर विशेष रूप से अधिक बल देता है।

अनुसंधान क्रियाकलापों में प्रशिक्षणार्थियों के विभिन्न समूहों जैसे कि संगठित और असंगठित, दोनों क्षेत्रों के ट्रेड यूनियन नेताओं और संगठनकर्ताओं, सरकारी और निजी क्षेत्र के प्रबंधकों, श्रम प्रशासकों और गैर-सरकारी संगठनों के स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं की बुनियादी आवश्यकताओं का भी पता लगाया जाता है। निम्नलिखित दस केंद्र अनुसंधान से संबंधित मुख्य विषयों पर अध्ययन कार्य करते हैः

1. **अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्किंग केंद्र**
2. **श्रम बाजार अध्ययन केंद्र**
3. **रोजगार संबंध और विनियमन केंद्र**
4. **कृषि संबंध और ग्रामीण श्रम अध्ययन केंद्र**
5. **राष्ट्रीय बाल श्रम संसाधन केंद्र**
6. **एकीकृत श्रम इतिहास अनुसंधान कार्यक्रम**
7. **श्रम और स्वास्थ्य अध्ययन केंद्र**
8. **लिंग (जेंडर) और श्रम केंद्र**
9. **पूर्वोत्तर के लिए सेंटर**
10. **जलवायु परिवर्तन और श्रम केंद्र**

प्रत्येक केंद्र का मार्गदर्शन एक **अनुसंधान सलाहकार समिति** द्वारा किया जाता है, जिसमें संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल होते हैं। संस्थान के संकाय को इन अनुसंधान केंद्रों को उनकी विशेषज्ञता, अनुभव और रूचि के अनुसार आबंटित किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क केंद्र

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ऐसे मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ व्यावसायिक सहयोग स्थापित करने के लिए अधिदेशित है, जो श्रम तथा इससे संबद्ध मुद्दों पर कार्य कर रहे हैं। तदनुसार, संस्थान ने विभिन्न अनुसंधान एवं प्रशिक्षण कार्यकलाप संचालित करने के लिए कई वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ), संयुक्त राष्ट्र बाल निधि (यूनिसेफ), विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ), संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), अंतर्राष्ट्रीय श्रम अध्ययन संस्थान (आईआईएलएस) आदि जैसे संस्थानों के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ किया है। अभी हाल ही के कुछ वर्षों में संस्थान ने कुछ नई पहलें की हैं जिससे न केवल अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र बाल निधि जैसे संगठनों के साथ सहयोग को बल मिला है, बल्कि जापान श्रम नीति तथा प्रशिक्षण संस्थान (जेआईएलपीटी), कोरियारया श्रम संस्थान (केएलआई), अंतर्राष्ट्रीय प्रवास संगठन (आईओएम) तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान (आईटीसी) ट्यूरिन, श्रीलंका श्रम एवं रोजगार संस्थान, संयुक्त राष्ट्र महिला, वैश्विक इतिहास में आईजीके कार्य तथा मानव जीवन चक्र, हम्बोत विश्वविद्यालय जर्मनी तथा आधुनिक भारतीय अध्ययन के केंद्र गोटिंगन विश्वविद्यालय, जर्मनी जैसे संस्थानों के साथ भी दीर्घकालीन तथा नए संबंधों का निर्माण हुआ है। इन संस्थानों के साथ जिन क्षेत्रों में सहयोग का आदान-प्रदान किया जा रहा है, उनमें बाल श्रम, श्रम प्रवास, सामाजिक सुरक्षा, लिंगीय मुद्दे, कौशल विकास, श्रम इतिहास, श्रम से संबंधित उत्तम कार्य तथा प्रशिक्षण हस्तक्षेप शामिल हैं।

मौजूदा समय में संस्थान भारत सरकार, विदेश मंत्रालय की आईटीईसी/एससीएपी स्कीम के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए प्रशिक्षण संस्थान के रूप में भी सूचीबद्ध है। वर्ष 2013-14 के दौरान संस्थान ने नेतृत्व विकास, वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में श्रम एवं रोजगार संबंध, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य संरक्षण तथा सुरक्षा, कौशल विकास तथा रोजगार सृजन, श्रम में लिंगीय मुद्दे तथा श्रम अध्ययन में अनुसंधान पद्धतियों जैसे मुख्य विषयों पर सात अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया।

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई) तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र (आईटीसी) ट्यूरिन, इटली के बीच व्यावसायिक सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर 30 अक्तूबर 2012 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौता ज्ञापन का प्रयोजन सभी के लिए उत्तम कार्य का संवर्धन करने के लिए प्रशिक्षण क्रियाकलापों में दोनों संस्थानों के बीच सहयोग का विस्तार करना है। दोनों संगठन अन्य बातों के साथ-साथ निम्न से संबंधित पारस्परिक हित के क्षेत्रों में मिलकर कार्य करेंगे- (i) सहयोगात्मक प्रशिक्षण तथा शिक्षा कार्यक्रमों का आयोजन करना; (ii) प्रशिक्षण मॉड्यूलों का विकास करना; तथा (iii) संकाय का आदान-प्रदान। ऐसे सहयोग से कार्य की दुनिया में रूपांतरणों से उत्पन्न चुनौतियों पर कार्रवाई करने में दोनों संस्थानों की तकनीकी क्षमताओं का उन्नयन होने की आशा है। इस सहयोग का उद्देश्य वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान को शुरूआत में सार्क क्षेत्र के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान के रूप में विकसित करना है तथा आगे श्रम तथा संबंधित मुद्दों पर प्रशिक्षण में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित उत्कृष्टता के एक केंद्र के रूप में इसका विकास करना है।

यह संस्थान अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्किंग को शाश्वत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और यह आशा करता है कि विश्व के अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ, खास तौर पर सहयोगात्मक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण गतिविधियों, संकाय आदान-प्रदान कार्यक्रमों को बढ़ावा देने तथा अंतर्राष्ट्रीय/क्षेत्रीय कार्यशालाओं और संगोष्ठियों का आयोजन करने के संबंध में इसके दीर्घकालीन सहयोग और बढ़ेंगे।

और अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें

महानिदेशक, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (directorgeneralvvgnli@gmail.com)

श्रम बाजार अध्ययन केंद्र

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान में अनुसंधान क्रियाकलाप विभिन्न अनुसंधान केंद्रों के तत्वावधान में संचालित किए जाते हैं। ऐसा एक अनुसंधान केंद्र अर्थात श्रम बाजार अध्ययन केंद्र, श्रम बाजार में हो रहे रूपांतरणों का अनुसंधानिक विश्लेषण करने के लिए प्रतिबद्ध है। अनुसंधान क्रियाकलापों का लक्ष्य श्रम बाजार परिणामों में सुधार लाने के लिए नीतिगत निदेश प्रदान करना है। केंद्र के अनुसंधान संबंधी वर्तमान कार्यकलाप निम्नलिखित मुख्य क्षेत्रों पर केंद्रित हैं :

- रोजगार और बेरोजगारी
- उत्प्रवास और विकास
- कौशल विकास
- अनौपचारिक क्षेत्र और उत्तम कार्य

हाल ही में पूरी की गई/आरंभ की गई प्रमुख अनुसंधान परियोजनाओं में शामिल हैं :

- भारत से यूरोप में उत्प्रवास बढ़ाने के संदर्भ में कौशल रूपरेखा चित्रण और प्रमाणीकरण (अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन और भारतीय प्रवासी भारतीय मामले मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सौंपा गया)
- वैश्विक मंदी तथा भारत में निर्यात क्षेत्र : उत्पादन तथा रोजगार पर प्रभाव (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सौंपा गया)
- राष्ट्रीय बुनियादी न्यूनतम मजदूरी को सांविधिक बनाने की आवश्यकता एवं प्रभाव का निर्धारण करना (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के लिए किया गया)
- रोजगार पर लोगों के लिए वार्षिक रिपोर्ट, 2010 (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के लिए किया गया)
- भारत में सफाई कर्मियों की कार्यदशाओं का अध्ययन (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सौंपा गया)
- सरकारी - निजी सहभागिता के माध्यम से 1396 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नत बनाने की योजना का मध्यकालिक मूल्यांकन (रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सौंपा गया)
- कर्नाटक के गुलबर्ग क्षेत्र में कौशल अंतर विश्लेषण (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के लिए किया गया)
- दक्षिण एशिया से खाड़ी में महिला कर्मकारों का उत्प्रवास (यूएन वीमेन द्वारा सौंपा गया)
- रोजगार पर लोगों के लिए दूसरी वार्षिक रिपोर्ट, 2011 (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के लिए किया गया)
- भारत में बेरोजगारी बीमा (कोरियारया श्रम संस्थान, दक्षिण कोरियारया द्वारा सौंपा गया)
- अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कौशल मानचित्रण : मांग एवं आपूर्ति अंतरालों का निर्धारण (अंडमान एवं निकोबार प्रशासन द्वारा सौंपा गया)
- अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए अध्यापन सह-मार्गदर्शन केंद्र का मूल्यांकन अध्ययन (रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सकार द्वारा सौंपा गया)
- विकलांगों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केंद्रों का मूल्यांकन अध्ययन (रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सकार द्वारा सौंपा गया)

- भारत से ईयू को निम्न कौशल श्रम उत्प्रवास (भारतीय विदेश रोजगार परिषद, भारतीय विदेश कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सौंपा गया)
- रोजगार पर लोगों के लिए तीसरी वार्षिक रिपोर्ट, 2012 (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के लिए किया गया)
- केरल के विशेष संदर्भ में भारत में काजू कामगारों का रोजगार एवं सामाजिक संरक्षण (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सौंपा गया)
- रोजगार पर लोगों के लिए चौथी वार्षिक रिपोर्ट, 2013 (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के लिए किया गया)
- एशिया में श्रम प्रवासन ढांचा एवं वित्तीय व्यवस्थापन (अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा सौंपा गया)

अनुसंधान सलाहकार समूह

केंद्र के अनुसंधान सलाहकार समूह में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं :

- प्रोफेसर रवि श्रीवास्तव, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
- डॉ. अरूप मित्रा, आर्थिक विकास संस्थान
- डॉ. प्रवीण झा, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
- डॉ. अर्चना नेगी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
- डॉ. के. पी. सन्नी, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद

केंद्र समन्वयक

डॉ. एस. के. शशिकुमार, वरिष्ठ फेलो

ई-मेल : sasikumarsk2@gmail.com

टेलीफोन : 0120-2411022

सह-समन्वयक

डॉ. राखी थिमोथी, एसोसिएट फेलो

ई-मेल : rakkeethimothy@gmail.com

टेलीफोन : 0120-2411533/34/35 Ext-237

रोजगार संबंध और विनियमन केंद्र

उद्देश्य

बदलते रोजगार संबंधों के प्रति समझ विकसित करना ताकि समुचित कानूनी विनियमन ढांचा निरूपित करने और उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा उपाय विकसित करने में मदद मिल सके।

प्रमुख क्षेत्र

केंद्र के अनुसंधान कार्यकलापों में निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों पर बल दिया जाता है :

- ट्रेड यूनियनें और उभरते सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य में उनकी भूमिका।
- अनौपचारिक और असंगठित क्षेत्रक में उभरते रोजगार संबंध।
- असंगठित और अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार संबंधों के विनियमन में विद्यमान कानूनी ढांचे की सीमाएं।
- न्यायिक प्रवृत्ति में परिवर्तन।
- श्रमिकों को सामाजिक संरक्षण।
- न्यूनतम मजदूरी विनियमन।

हाल ही में पूरी की गई अनुसंधान परियोजनाएं

केंद्र द्वारा हाल ही में शुरू और पूरी की गयी कतिपय अनुसंधान परियोजनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं :

- महाराष्ट्र में नकद और वस्तु रूप में मजदूरी की अदायगी।
- भारत में सिने कर्मकार निधि का प्रचालन।
- श्रम मंत्रालय के त्रिपक्षीय निकायों और अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में नियोक्ता संगठनों का प्रतिनिधित्व।
- वैश्वीकृत होते विश्व में ट्रेड यूनियनवाद और सामाजिक चुनौतियां : भारत
- नौएडा की फैक्टरियों में श्रम कल्याण उपायों की प्रास्थिति : वत्र और होजरी उद्योग का मामला अध्ययन।
- शिक्षा उद्योग में, श्रम, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे : नौएडा में प्राइवेट स्कूलों का मामला अध्ययन।
- उल्लंघनों को रोकने के लिए श्रम कानूनों को सुदृढ़ बनाना।
- संविदा श्रम और न्यायिक हस्तक्षेप।
- निजी सुरक्षा अभिकरणों द्वारा नियोजित सुरक्षा गार्डों के श्रम, रोजगार एवं सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे : ओखला तथा नौएडा का एक मामला अध्ययन।
- न्यूनतम मजदूरी नीति तथा विनियामक ढांचे का विकास : एक अंतर-देशीय परिप्रेक्ष्य।

ऊपर वर्णित अधिकांश अनुसंधान अध्ययन एनएलआई अनुसंधान अध्ययन श्रृंखला के रूप में प्रकाशित किए गए हैं।

अनुसंधान सलाहकार समूह

केंद्र के विभिन्न कार्यकलापों को सम्पन्न करने में मार्गदर्शन, अभिमुखीकरण, और निदेश प्रदान करने के लिए निम्नलिखित विशिष्ट व्यक्ति इस केंद्र के अनुसंधान सलाहकार समूह के सदस्यों के रूप में शामिल हैं :

1. प्रोफेसर महावीर सिंह
2. डॉ. राजन के. ई. वर्गीस
3. डॉ. कमला शंकरन
4. श्री एच. महादेवन
5. श्री बी. पी. पंत

केंद्र समन्वयक

डॉ. संजय उपाध्याय, फेलो

ई-मेल : sanjaynli@gmail.com

टेलीफोन : 0120-2411736, 0120-2411533/34/35 एक्सटेंशन 215

कृषि संबंध और ग्रामीण श्रम अध्ययन केंद्र

उद्देश्य और कार्यकलाप

कृषि संबंधों और ग्रामीण श्रम बाजार की बढ़ती हुई जटिलताओं को देखते हुए यह अनुभव किया गया था कि कृषि स्थिति की जांच करने तथा इसका और अधिक वैज्ञानिक तौर पर एवं सुव्यवस्थित ढंग से विश्लेषण करने के लिए और अधिक विशेषज्ञता की जरूरत होगी, ताकि ग्रामीण श्रमिकों के विकास के लिए उनकी जरूरतों के लिए उपयुक्त नीति और कार्यक्रम तैयार किए जा सकें।

इसके अलावा, पिछले ढ़ाई से अधिक दशकों के अनुभव से यह पता चलता है कि विभिन्न समस्याओं के संबंध में एक समन्वित दृष्टिकोण की जरूरत है। इस केंद्र के सृजन के पीछे यही मुख्य तर्क है।

केंद्र के अनुसंधान कार्यकलापों में निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है :

- वैश्वीकरण तथा ग्रामीण श्रमिकों पर इसका प्रभाव।
- ग्रामीण श्रम बाजार की बदलती संरचना की वृहद प्रवृत्तियां तथा पद्धतियां।
- संगठनात्मक कार्यनीतियों के संबंध में सूचना का प्रलेखन, मूल्यांकन और प्रचार-प्रसार।
- सामाजिक सुरक्षा एवं ग्रामीण श्रमिक।
- विभिन्न कृषि व्यवसायों का अध्ययन।

उपरोक्त प्रमुख क्षेत्रों के अलावा अनुसंधान, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं के लिए अनेक विशिष्ट विषयों का भी विनिर्धारण किया गया है, जो निम्न प्रकार हैं :

- भू-धारण और भू-उपयोग पद्धति में परिवर्तन।
- कृषि विकास में ऋण व अन्य निविष्ट सुविधाएं।
- बदलती कृषि पद्धतियां तथा रोजगार संबंध।
- ग्रामीण श्रमिकों को जुटाने के विभिन्न रूपों की प्रभावकारिता।
- आर्थिक गतिविधियों के लिए श्रम को संगठित करने हेतु क्रियानिष्ठ अनुसंधान हाथ में लेना।
- ग्रामीण गैर-कृषि रोजगार क्षेत्र की क्षमता का निर्धारण करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी, रोजगार और गरीबी की प्रवृत्तियों की जांच करना।
- ग्रामीण क्षेत्र में कार्य संबंधी सामाजिक सुरक्षा तंत्रों की जांच करना।
- सामान्य रूप से ग्रामीण श्रमिकों और विशेष रूप से कृषि श्रमिकों के विभिन्न घटकों पर वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण का प्रभाव, वैश्वीकरण के मद्देनजर कृषि संबंधों और परिवर्तनों का विश्लेषण, वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए अनुसंधान अध्ययनों की समीक्षा।
- कृषि श्रमिकों के विभिन्न वर्गों की उत्पादकता और रोजगार पर नई प्रौद्योगिकी का प्रभाव।
- ग्रामीण श्रमिकों, उत्पादकता और संपदा के वितरण के लिए भूमि सुधार के पहलू।
- ग्रामीण श्रमिकों के विभिन्न वर्गों के जीवन स्तर पर संरचनात्मक परिवर्तनों का प्रभाव।
- सामान्य रूप से ग्रामीण श्रमिकों और विशेष रूप से कृषि श्रमिकों के विकास के लिए, सरकारी संगठनों से भिन्न व्यक्तियों/संस्थाओं की स्थानीय पहलों का अध्ययन।
- राष्ट्रीय ट्रेड यूनियनों के लिए सरकारी नीतियों के निहितार्थ।
- आय सृजन विकास कार्यक्रमों और योजनाओं की सामाजिक और आर्थिक संगतता को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन।
- विभिन्न ग्रामीण व्यवसायों, विकास परियोजनाओं, कार्यक्रमों और योजनाओं के निष्पादन और कार्यान्वयन में लैंगिक असमानता का प्रभाव।
- ग्रामीण श्रमिकों के लिए काम करने वाले विभिन्न ट्रेड यूनियनों और गैर-सरकारी संगठनों के साथ मिलकर ग्रामीण/कृषि श्रम के विभिन्न पहलुओं के बारे में सहयोगात्मक अनुसंधान शुरू करना और संचालित करना।

केंद्र ने विगत 8 वर्षों के दौरान कृषि संबंधों और ग्रामीण श्रम से संबंधित विभिन्न पहलुओं के विषय में अनुसंधान परियोजनाएं पूरी की हैं। पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं और आरंभ की गई परियोजनाओं की सूची नीचे दी गई है-

- कृषि सुधार और पश्चिम बंगाल के कृषि विकास पर इसका प्रभाव।
- विकास में प्रभावी सहभागिता के लिए ग्रामीण श्रमिकों को संगठित करना : एक क्रियानिष्ठ अनुसंधान-खुर्जा, उत्तर प्रदेश।
- विकास में प्रभावी सहभागिता के लिए ग्रामीण श्रमिकों को संगठित करना : एक क्रियानिष्ठ अनुसंधान-चितौड़गढ, राजस्थान।
- विकास में प्रभावी सहभागिता के लिए ग्रामीण श्रमिकों को संगठित करना : एक क्रियानिष्ठ अनुसंधान-कांचीपुरम, तमिलनाडु।
- विकास में प्रभावी सहभागिता के लिए ग्रामीण श्रमिकों को संगठित करना : एक क्रियानिष्ठ अनुसंधान-निवारी तथा पृथ्वीपुर, मध्य प्रदेश।
- तम्बाकू की खेती करने वालों, तेंदु पत्ता एकत्र करने वालों तथा बीड़ी लपेटने वालों की आजीविका पर तम्बाकूरोधी कानूनों के प्रभाव का मूल्यांकन।
- रोजगार की संभावनाओं का मूल्यांकन - एक मामला अध्ययन (पश्चिम बंगाल)।
- मध्य प्रदेश क्षेत्र में बीड़ी कर्मकारों की कल्याण निधि का मूल्यांकन।
- मध्य प्रदेश के चूना पत्थर और डोलोमाइट कर्मकारों की कल्याण निधि के प्रचालन का मूल्यांकन।
- मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लौह अयस्क खदान कर्मकारों का मूल्यांकन।
- जनश्री बीमा योजना का अध्ययन।
- कृषि ढांचा, सामाजिक संबंध तथा कृषि विकासः राजस्थान के गंगानगर और जोधपुर जिलों का मामला अध्ययन।
- अरूणाचल प्रदेश में अनौपचारिक क्षेत्र।
- सामाजिक सुरक्षा उपायों का मूल्यांकन तथा लाभार्थियों की प्रभावी सहभागिता को बढ़ावा देना : एक क्रियानिष्ठ अनुसंधान परियोजना, मुर्शिदाबाद।
- सामाजिक सुरक्षा उपायों का मूल्यांकन तथा लाभार्थियों की प्रभावी सहभागिता को बढ़ावा देना : एक क्रियानिष्ठ अनुसंधान परियोजना, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश।
- सामाजिक सुरक्षा उपायों का मूल्यांकन तथा लाभार्थियों की प्रभावी सहभागिता को बढ़ावा देना : एक क्रियानिष्ठ अनुसंधान परियोजना, खुर्जा, उत्तर प्रदेश।

उपरोक्त के अतिरिक्त केंद्र ने निम्नलिखित विषयों पर कई गोष्ठियों और सम्मेलनों का आयोजन किया है

- असंगठित कर्मकारों के लिए सामाजिक सुरक्षा।
- ग्रामीण श्रम शिविर कार्यनीति की संभावनाएं और चुनौतियां।
- वंचीपुरम में हथकरघा सिल्क बुनाईः संगठनात्मक ढांचा, श्रम संबंध और रोजगार।

अनुसंधान सलाहकार समूह

अनुसंधान सलाहकार समूह के सदस्य निम्न प्रकार हैः

- श्री सुनित चोपड़ा
- प्रोफेसर उत्सा पटनायक
- प्रोफेसर बीना अग्रवाल
- प्रोफेसर पी. सी. जोशी
- श्री नगेन्द्र नाथ ओझा

केंद्र समन्वयक

डॉ. पूनम एस. चौहान, वरिष्ठ फेलो

ई-मेल : poonamchauhan36@gmail.com

टेलीफोन : 0120-2411489, 0120-2411533/34/35 एक्सटेंशन 235

सह-समन्वयक

डॉ. धन्या एम.बी. एसोसिएट फेलो

dhanyambala@gmail.com

टेलीफोन नं. 0120-2411533/34, एक्सटेंशन, 204

राष्ट्रीय बाल श्रम संसाधन केंद्र

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के अनुसंधान, प्रशिक्षण और संबंधित क्रियाकलापों की कार्यसूची में बाल श्रम का स्थान बहुत ऊंचा है। देश में बाल श्रम की रोकथाम और उन्मूलन के लिए किए जा रहे प्रयासों में सहयोग देने के प्रति राष्ट्रीय बाल श्रम संसाधन केंद्र ने अपनी स्थापना से ही अपना ध्यान अनुसंधान, प्रशिक्षण, मूल्यांकन, तकनीकी सहायता, पक्ष समर्थन, प्रलेखन, प्रकाशन और प्रचार-प्रसार पर केंद्रित किया है।

अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों ने बाल श्रम के विभिन्न पहलुओं के बारे में केन्द्र की जानकारी और मौजूदा अभाव को पूरा करने का प्रयास किया है। अनुसंधान का ध्यान इस बात पर केंद्रित रहा है कि बाल श्रम से संबंधित अनखोजे मुद्दों का अन्वेषण किया जाए तथा बाल श्रम की व्यापकता, कानूनों का प्रवर्तन, सरकारी और गैर-सरकारी कार्यकलापों का प्रभाव, रहन-सहन और कार्य करने की दशाएं तथा व्यवसायजन्य स्वास्थ्य जोखिम आदि का आकलन किया जाए। इन अध्ययनों में विभिन्न अनुसंधान उपकरणों का प्रयोग करते हुए अपनाई जाने वाली पद्धतियों में परिमाणवाचक सर्वेक्षण पद्धति, सहभागिता अनुसंधान पद्धति, मामला अध्ययन शामिल हैं।

केंद्र का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य प्रशिक्षण प्रदान करना है ताकि विभिन्न लक्ष्य समूहों की क्षमताओं का विकास किया जा सके जिससे वे भारत में बाल श्रम के उत्तरोत्तर उन्मूलन में अपना सहयोग दे सकें। राष्ट्रीय बाल श्रम संसाधन केंद्र कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करता आ रहा है, जिनमें सुग्राहीकरण कार्यक्रम, क्षमता निर्माण कार्यक्रम, अभिमुखीकरण कार्यक्रम, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा जागरूकता सृजन कार्यक्रम शामिल हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों से प्रशिक्षुओं के एक बड़े समूह का निर्माण करने के केंद्र के प्रयास को दर्शाता है। इन कार्यक्रमों की विशेषता यह है कि विभिन्न लक्ष्यगत समूहों की प्रशिक्षण संबंधी विलक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रत्येक कार्यक्रम को बड़ी सावधानी से तैयार किया जाता है। इन सभी कार्यक्रमों की सामान्य विशेषता यह है कि इनमें प्रशिक्षुओं को बाल श्रम के मुद्दों पर संवेदनशील बनाने पर विशेष जोर दिया जाता है ताकि उनमें मनोवृत्ति संबंधी परिवर्तन लाया जाए जिससे वे परिवर्तन एजेंटों की भूमिका निभाने में सक्षम हो सकें। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रतिभागी विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों जिनमें केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, श्रम, समाज कल्याण, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, महिला विकास और बाल कल्याण, कारखाने, शिक्षा, सहकारिताएं, गृह, राजस्व शामिल हैं, से लिए जाते हैं। अन्य लक्ष्य समूहों में शोधकर्ता, मीडिया प्रतिनिधि, नियोक्ता संगठन, ट्रेड यूनियन, गैर-सरकारी संगठन, ग्रामीण कर्मकार संगठन, बाल श्रमिकों के माता-पिता, नियोक्ता, पंचायती राज संस्थाएं (स्थानीय शासी निकाय), शैक्षिक और प्रशिक्षण संस्थान, समाज कार्य के छात्र, अध्यापक एसोसिएशन आदि शामिल हैं।

राष्ट्रीय बाल श्रम संसाधन केंद्र सूचना तथा जानकारी को साझा करने तथा बाल श्रम से जुड़े विशिष्ट मुद्दों पर कार्रवाई करने के तौर-तरीकों तथा कार्रवाई प्रक्रिया पर निर्णय लेने के उद्देश्य से विभिन्न विषयों पर आन्तरिक, राज्य-स्तरीय तथा राष्ट्रीय संगोष्ठियों के आयोजन के लिए विशेष प्रयास करता है। इन संगोष्ठियों के फलस्वरूप देश के भीतर विभिन्न हिस्सों में बाल श्रम उन्मूलन की नवीन कार्यनीतियों, कार्यक्रमों तथा कार्रवाईयों को नई दिषा मिली है।

संगोष्ठियों तथा कार्यशालाओं के अतिरिक्त, राष्ट्रीय बाल श्रम संसाधन केंद्र की प्रकाशन गतिविधि को बाल श्रम के विभिन्न पहलुओं पर, खास कर बहुत तेजी से बढ़ते बाल श्रम के मुद्दे पर जानकारी के संदर्भ में सूचना को फैलाने के साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस कार्यकलाप के विभिन्न घटकों में संबंधित साहित्य का सिलसिले-वार संग्रहण, संगृहीत सामग्री का वर्गीकरण, आवधिक प्रचार-प्रसार, दृश्य-श्रव्य सामग्री का संग्रहण और प्रलेखन तथा दृश्य-श्रव्य सामग्री का विकास शामिल है।

बाल श्रम की रोकथाम और उन्मूलन के लिए किए जा रहे प्रयासों को बढ़ाने की दृष्टि से केंद्र विभिन्न संगठनों तथा संस्थाओं एवं वैयक्तिक अध्येताओं को, शोध परियोजनाएं संचालित करने, कार्रवाई कार्यक्रम संचालित करने, मूल्यांकन करने, बाल श्रम प्रथा के खिलाफ पक्ष समर्थन करने तथा अभियान चलाने, बाल श्रमिकों का सर्वेक्षण करने, पाठ्यक्रम तैयार करने, बाल श्रम अनुवीक्षण पद्धति का विकास करने और संगोष्ठियों तथा कार्यशालाओं का आयोजन करने में तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

विभिन्न सामाजिक साझेदारों के साथ सहयोग करने के अतिरिक्त, केंद्र ने गैर-सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों, वैयक्तिक कार्यकर्ताओं, नियोक्ता संगठनों, वकील संघों, बाल चिकित्सक संघ, राज्य श्रम संस्थानों, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों, राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों, विश्वविद्यालय विभागों, संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों के साथ नेटवर्क भी स्थापित किया है, ताकि बल श्रम के उत्तरोत्तर उन्मूलन की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके।

अनुसंधान सलाहकार समूह

केन्द्र में इसके विभिन्न कार्यकलापों को पूरा करने के लिए मार्गदर्शन, अभिमुखीकरण तथा निदेशन प्रदान करने के लिए इसके अनुसंधान सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में निम्नलिखित ख्यातिप्राप्त व्यक्ति शामिल हैं :

- प्रोफेसर एस. सी. श्रीवास्तव
- डॉ. चेरियन जोसेफ
- श्री आमोद कंठ
- सुश्री प्रीत वर्मा
- सुश्री अमरजीत कौर

केंद्र समन्वयक
डॉ. हेलन आर. सेकर, वरिष्ठ फेलो
ई-मेल : helensekarvvgnli@gmail.com
टेलीफोन : 0120-2411535, एक्सटेंशन 239

सह-समन्वयक
श्री पी. अमिताव खुंटिया, एसोसिएट फेलो
ई-मेल : amitav_1@rediffmail.com
टेलीफोन : 0120-2411533/34 एक्सटेंशन, 251

एकीकृत श्रम इतिहास अनुसंधान कार्यक्रम

एकीकृत श्रम इतिहास अनुसंधान कार्यक्रम, (आईएलएचआरपी), श्रम इतिहास अनुसंधान के संबंध में एक विशिष्ट अनुसंधान कार्यक्रम है, जिसकी स्थापना, एसोसिएशन ऑफ इंडियन लेबर हिस्टोरियन्स (एआईएलएच) के सहयोग से की गई थी, जो श्रम इतिहास में रुचि रखने वाले व्यावसायिक इतिहासकारों और विद्वानों का एक निकाय है। एकीकृत श्रम इतिहास अनुसंधान कार्यक्रम का सर्वोपरि उद्देश्य भारत में श्रम के संबंध में ऐतिहासिक अनुसंधान प्रारंभ करना, उसे एकीकृत और पुनर्जीवित करना है, और देश में अपनी किस्म का यह पहला प्रयास है। कार्यक्रम के तीन परस्पर पुनर्बलनकारी घटक हैं, जैसे कि भारतीय श्रम का डिजिटल अभिलेखन, भारत के श्रम इतिहास को लिखना तथा अंतर विधात्मक अनुसंधान। अभिलेखागार श्रमिकों से संबंधित विभिन्न प्रलेखों और सामग्री का, विभिन्न पणधारियों (जैसे ट्रेड यूनियनें, गैर-सरकारी संगठन, सरकारी विभाग और व्यापारी घराने) के सहयोग और नेटवर्किंग के माध्यम से संकलन और डिजिटल रूप में परिरक्षण करता है। डिजिटल अभिलेखन में लगी ऐसी ही एजेंसियों (राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय) के साथ नेटवर्किंग भी अभिलेखागार का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

अभी तक यह अभिलेखागार देश का श्रमिक प्रलेखों का एक सबसे बड़ा डिजिटल संग्रहालय है, जहां सार्वजनिक सुलभता के लिए विश्वव्यापी वेब (www.indialabourarchives.org) में डाटा के 15 से अधिक गिगाबाइट्स मौजूद हैं। अभिलेखागार के लिए संकलन, श्रमिक इतिहास के प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों के संबंध में अनुसंधान और संकलन परियोजनाओं के संचालन और अनुवीक्षण के जरिए सृजित किए जाते हैं जिसमें देश के अंदर और देश के बाहर के विशेषज्ञों और अभिकरणों के साथ बातचीत करना और नेटवर्किंग करना शामिल है। कार्यक्रम के अंतर्गत श्रमिक इतिहास के प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों के संबंध में नियमित रूप से शैक्षणिक चर्चाएं, सेमिनार और परिचर्चाएं भी आयोजित की जाती हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक अनुसंधान और संकलन की 50 से अधिक परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं/चल रही हैं। वर्ष 2000 से कार्यक्रम के अंतर्गत 18 कार्यकारी दस्तावेज (वर्किंग पेपर) प्रकाशित किए गए हैं तथा लगभग 85 संगोष्ठियां/चर्चाएं आयोजित की गई हैं, जिनमें श्रमिक इतिहास से संबंधित 09 अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियां शामिल हैं।

एकीकृत श्रम इतिहास अनुसंधान ने भारतीय श्रम इतिहासकारों (एआईएलएच) के सहयोग से संयुक्त रूप में हाल ही में एक परियोजना शुरू की है, जिसका शीर्षक ''भारत में दलित आन्दोलन एवं श्रम आन्दोलन का इतिहास'' है। परियोजना का उद्देश्य श्रमिक आन्दोलन के साथ आन्दोलन के अन्तराफलक पर विशेष रूप से ध्यान देते हुए भारत में दलित आन्दोलन का प्रलेखन एवं अनुसंधान से है। परियोजना श्रम एवं दलित आन्दोलन के बीच सामाजिक एवं ऐतिहासिक जुड़ाव का अनुसंधान करके सम-सामयिक विद्वतापूर्ण एवं राजनैतिक भाषण में महत्वपूर्ण कमी को पूरा करने का प्रयास करता है। परियोजना में शुरू किए गए कार्यकलाप आभिर्वाव का पता लगाएगा, निर्णायक मोड़ की खोज करेगा और इन दोनों आन्दोलनों के क्षेत्रीय आयामों का विश्लेषण करेगा।

कार्यक्रम में एक संयुक्त सलाहकार समिति द्वारा सतत रूप से सलाह दी जाती है तथा मॉनीटर किया जाता है, जिसका गठन संस्थान और एसोसिएशन आफ इंडियन लेबर हिस्टोरियन्स, दोनों के प्रतिनिधियों और नामित व्यक्तियों को मिलाकर किया जाता है। कार्यक्रम के वर्तमान संयुक्त सलाहकार समिति के सदस्य निम्नलिखित हैं :

- प्रोफेसर एस. भट्टाचार्य
- श्री पी.पी. मित्रा
- प्रोफेसर सुमित सरकार
- प्रोफेसर माधवन के. पालट
- प्रो. मुशीरुल हसन
- डॉ. रवि वासुदेवन
- डॉ. इन्दु अग्निहोत्री
- डॉ. प्रभु पी. महापात्रा
- डॉ. राणा पी. बहल
- डॉ. एस. के. शशिकुमार

केंद्र समन्वयक

डॉ. एस. के. शशिकुमार, वरिष्ठ फेलो

ई-मेल : sasikumarsk2@gmail/com

टेलीफोन : 0120-2411 022; टेलीफैक्स : 0120-2411 469

श्रम और स्वास्थ्य अध्ययन केंद्र

लक्ष्य एवं उद्देश्य

वैश्वीकरण के कारण विकासशील देशों में कार्य का अनियमितीकरण, जहाँ पर कामगारों की सामाजिक संरक्षण तक पहुंच कम है, बढ़ा है। एक ओर अत्यधिक स्वास्थ्य जोखिम के साथ लचीले, अस्थिर एवं अरक्षित कार्यरूपों में वृद्धि हुई है। दूसरी ओर औपचारिक क्षेत्र में औपचारिक कार्यस्थलों एवं कामगारों के लिए तैयार किए गए सुरक्षा एवं संरक्षण प्रणालियां प्रायः अनौपचारिक कामगारों की पहुंच से बाहर हैं। इसके अतिरिक्त, कई विकासशील देशों में सरकारें सार्वजनिक व्यय के कारण स्वास्थ्य सेवाओं सहित कल्याण कार्यक्रमों को सीमित करने के लिए मजबूर हुई हैं। इससे विकासशील देशों में असंख्य कामगारों की स्वास्थ्य असुरक्षिताएं एवं सुभेद्यता बढ़ी है।

भारत में, जहां अधिकांश लोग गरीब हैं और अपनी आजीविका के लिए अनौपचारिक क्षेत्र पर निर्भर हैं स्वास्थ्य संरक्षण और लाभों के संबंध में क्षैतिज समानता उपलब्ध कराना एक चुनौती बन जाता है। स्वास्थ्य व्यवस्था के इन मुख्य मुद्दों और कार्य की दुनिया से इसके अंतरसंबंधन पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान में श्रम एवं स्वास्थ्य अध्ययन केंद्र की स्थापना की गयी है। यह विशिष्टीकृत केंद्र वैश्विक अर्थव्यवस्था में कर्मकारों के समक्ष उभर कर आने वाली स्वास्थ्य चुनौतियों को समझने और उनका निवारण करने पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। केंद्र के मूल अनुसंधान क्षेत्र निम्नानुसार हैं :

केंद्र के मूल अनुसंधान क्षेत्र

- रोजगार के नए रूप तथा उभरते स्वास्थ्य जोखिम और रूग्णता के पैटर्न।
- श्रम बाजार रूपांतरण और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए इसकी चुनौतियां।
- स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता तथा स्वास्थ्य व्यवहार : जाति, श्रेणी, जातीयता तथा लैंगिक अंतराफलकों को समझना।
- जन स्वास्थ्य देखभाल परिदाय प्रणालियां तथा इनका प्रभाव।
- स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराने में सामाजिक बीमा की भूमिका।

हाल ही में पूर्ण की गई/आरंभ की गई प्रमुख अनुसंधान परियोजनाएं

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) का मूल्यांकन अध्ययन - झारखण्ड, महाराष्ट्र और पंजाब का अध्ययन।
- पश्चिम बंगाल में चाय बागान क्षेत्र में बदलती भूमि उपयोग पद्धति : कुछ नीतिगत अनिवार्यताएं।
- कार्यस्थल स्वास्थ्य तथा सुरक्षा : दिल्ली की चुनिंदा लघु औद्योगिक इकाईयों का अध्ययन।
- ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित कर्मकारों के रहन-सहन की दशाओं पर मनरेगा का प्रभाव।
- चाय क्षेत्र में महिला श्रम : बदलती भूमिका, कार्यप्रणाली एवं उभरती चिंताएं।

अनुसंधान सलाहकार समूह

केंद्र के अनुसंधान सलाहकार समूह में निम्न सदस्य शामिल हैं :-

- प्रोफेसर ऋतु प्रिया मेहरोत्रा, सामाजिक चिकित्सा शास्त्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।

- प्रोफेसर इन्द्राणी गुप्ता, स्वास्थ्य नीति अनुसंधान यूनिट, आर्थिक विकास संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।
- प्रोफेसर पी. एम. कुलकर्णी, क्षेत्रीय विकास अध्ययन केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।
- प्रोफेसर संजय जोडपे, निदेशक, भारतीय जन-स्वास्थ्य संस्थान, दिल्ली।

केंद्र समन्वयक

डॉ. रूमा घोष, फेलो

टेलीफोन : 0120-2411573, 2411533/34/35, एक्सटेंशन-224

ई-मेल : rumanli@gmail.com

सह-समन्वयक

डॉ. रिन्जू रसाइली, एसोसिएट फेलो

टेलीफोन नं. : 0120-2411533/34/35, एक्सटेंशन-229

ई-मेल : rasaily@gmail.com

लिंग (जेंडर) और श्रम केंद्र

लिंग और श्रम केंद्र की स्थापना श्रम बाजार में लिंगीय मुद्दों के अवबोधन पर ध्यान देने और उसे सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से की गयी है। बाजार सुधारों से ऐसे मुद्दों ने अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण आयाम प्राप्त कर लिया है। महिलाओं को श्रम बाजार में प्रवेश के लिए कई तरह की प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, उन्हें बहुधा पुरूषों को कार्य चुनने की आजादी के बराबर आजादी नहीं मिलती। श्रम बल प्रतिभागिता दरों और रोजगार दरों में लिंगीय अंतर वैश्विक श्रम बाजार की शाश्वत विशिष्टताएं हैं। वैश्विक स्तर पर श्रम बाजार में लिंगीय असमानता हमेशा एक मुद्दा रहा है। इन मुद्दों के समाधान की जरूरत है ताकि श्रम बाजार में लिंगीय समानता सुनिश्चित की जा सके जिसके लिए शैक्षणिक और नीतिगत - दोनों स्तरों पर संगठित प्रयासों की जरूरत है।

महिलाएं आर्थिक क्रियाकलापों के जिन क्षेत्रों में काम करती हैं उन क्षेत्रों में उन्हें बाधाओं का सामना करना पड़ता है। महिलाएं अक्सर कुल रोजगार में असुरक्षित रोजगार के हिस्से के हिसाब से शोषित स्थिति में रहती हैं। इन कर्मकारों को घरेलू कर्मकारों की तरह असुरक्षित रोजगार की विशेषताओं वाले रोजगार में रखा जा सकता है, विशेष रूप से ऐसे प्रवासी कर्मकारों को जिनके पास निम्न कौशल, निम्न आय तथा निम्न उत्पादकता है। चिन्ता का दूसरा मुद्दा लिंगीय मजदूरी का अंतर है, जिसके लिए हो सकता है विभिन्न कारक जैसे अत्यधिक कम मजदूरी अदा करने वाले उद्योगों में महिलाओं की बढ़ती संख्या और कौशल तथा कार्य अनुभव में अंतर, जिम्मेदार हों, किन्तु ऐसा भेदभाव के परिणामस्वरूप भी हो सकता है। श्रम बाजार में लैंगिक विषमता विकासशील देशों में अधिक है तथा व्यावसायिक पृथक्करण में लैंगिक पैटर्न ने बहुधा इसे बढ़ाया ही है क्योंकि महिलाओं द्वारा किए जाने वाले अधिकतर कार्य क्षेत्रों के सीमित दायरे में हैं जिनमें से अधिवंश दुर्बल और असुरक्षित हैं।

तथापि, यह सत्य है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं के योगदान को अभी भी संज्ञान में नहीं लिया जाता और पुरूषों के मुकाबले कमतर और विकृत करके दिखाया जाता है। इस संबंध में उपलब्ध आंकड़े आंशिक हैं और देश की अर्थव्यवस्था तथा इसके मानव संसाधन की प्रकृति को तोड़-मरोड़ कर पेश किए गए परिप्रेक्ष्य को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं, तथा ये अवधारणाओं, नीतियों और कार्यक्रमों की अनुपयुक्तता के कारण पुरूषों और महिलाओं के बीच असमानता के दुश्चक्र को पेश करते हैं। यह आवश्यक हो गया है कि विभिन्न सांख्यिकीय आंकड़ों का गहन अध्ययन किया जाए और आंकड़ों में महत्वपूर्ण लिंगीय सरोकारों का पता लगाया जाए। महिलाओं के समक्ष बाधाओं को देखते हुए लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं को सशक्त बनाना, सभी के लिए उत्तम कार्य और पूर्ण एवं उत्पादक रोजगार के नवीन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

समावेशी विकास और नीतियों के संबंध में पर्याप्त समानता जागरूकता प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के माध्यम से कौशल विकास, क्षमता-निर्माण, सामाजिक वार्ता तथा अधिकारिता, केन्द्र के कुछ प्रयास होंगे। इस प्रकार, इस ढांचे के अंतर्गत केंद्र की गतिविधियों में यह परिकल्पित है कि लिंग और विशेष रूप से महिला श्रमिकों को लेकर संस्थान के स्तर को अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा पक्ष समर्थन के क्षेत्र में अग्रणी संस्थान के स्तर तक बढ़ाया जाए। इसके अतिरिक्त, केंद्र को महिला श्रमिकों पर आंकड़ों तथा प्रलेखों के शीर्ष भंडार के रूप में देखे जाने के साथ-साथ इस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं और विशेषज्ञों के लिए परस्पर विचार-विमर्श के मंच के रूप में संकल्पित किया गया है ताकि महिला श्रम के मुद्दों और लिंग के अवबोधन को बढ़ाया जा सके।

मूल अनुसंधान क्षेत्र

- **वैश्वीकरण के लैंगिक पहलू**
  - नई अर्थव्यवस्था में उभरती प्रवृत्तियां
  - उत्तम कार्य

- सामाजिक वार्ता
- घरेलू कर्मकार : मुद्दे और सरोकार
- कार्य की दुनिया में लैंगिक समानता

- **अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में महिलाओं का सशक्तीकरण**
  - कौशल प्रशिक्षण और विकास
  - माइक्रो क्रेडिट संस्थान तथा स्व-सहायता समूह
- **ग्रामीण श्रम बाजारों में बदलते लैंगिक संबंध**
  - बदलते कृषि संबंध तथा महिलाओं के रोजगार पर इनका प्रभाव
  - गैर कृषि ग्रामीण रोजगार में महिलाएं
- **सामाजिक सुरक्षा के लैंगिक पहलू**
  - महिला कर्मकारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं
  - आजीविका में लैंगिक मुद्दे
- **लिंग और कानून**
  - महिला कर्मकारों से संबंधित श्रम कानून
- **लैंगिक आंकड़े**
  - श्रम से संबंधित लैंगिक आंकड़ों की संकल्पनाएं
  - श्रम आंकड़ों में लैंगिक मुद्दे
  - आंकड़ों का मूल्य वर्धन : समय प्रयोग सर्वेक्षण
- **लिंग, कार्य एवं आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी) क्षेत्र**
  - सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में महिलाओं द्वारा प्रसूति उपरांत श्रम बाजार प्रतिभागिता
  - सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र का कौशल संघटन
- **लिंग और स्वास्थ्य**
  - कार्यस्थल पर महिलाएं और स्वास्थ्य मुद्दे
  - लिंगीय दृष्टिकोण के साथ स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रमों को समझना

विशिष्ट अनुसंधान विषय

- प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम का कार्यान्वयन
- सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में महिलाओं की प्रसूति उपरांत प्रतिभागिता
- क्रियानिष्ठ अनुसंधान के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं का सशक्तीकरण
- मनरेगा पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए रोजगार की विशिष्ट स्कीमों के लिंगीय आयाम
- अनौपचारिक क्षेत्र में महिला कर्मकारों पर कौशल प्रशिक्षण का प्रभाव
- जेंडर बजटिंग
- लैंगिक आंकड़े
- महिलाओं के समय प्रयोग पैटर्न तथा कार्यजीवन संतुलन का सुमेलीकरण
- आईटी/आईटीईएस क्षेत्र में महिलाएं एवं कार्य
- लिंग तथा सामाजिक सुरक्षा
- श्रम आर्थिकी

अनुसंधान परामर्शी समूह

केंद्र के अनुसंधान परामर्शी समूह में निम्न सदस्य शामिल हैं :

- डॉ. रत्ना सुदर्शन, एनयूईपीए
- डॉ. प्रीत रुस्तगी, मानव विकास संस्थान
- डॉ. पत्रिशिया ऑबराय, विकासशील समाज अध्ययन केंद्र
- प्रोफेसर मैत्रेयी चौधरी, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय
- सुश्री चित्रा चोपड़ा, भा.प्र.से. (सेवानिवृत्त)

केंद्र समन्वयक

डॉ. शशि बाला, फेलो

दूरभाष : 0120 - 2411776

0120-2411533/34/35 एक्सटेंशन 225

ई-मेल : shashibala2002@gmail.com

सह-समन्वयक

डॉ. एलीना सामंतराय, एसोसिएट फेलो

दूरभाष : 0120-2411533/34/35 एक्सटेंशन 223

ई-मेल : ellinasamantroy@gmail.com

पूर्वोत्तर के लिए केन्द्र

भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) का क्षेत्रफल देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.9 प्रतिशत है और यहां की जनसंख्या कुल जनसंख्या (जनगणना 2011) का 3.8 प्रतिशत है। यह हिमालय की पूर्वी सीमा पर तलहटी में फैला हुआ है और बांग्लादेश, भूटान, चीन, मिजोरम, और म्यांमार से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र में आठ राज्य अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम और त्रिपुरा हैं। ऐतिहासिक एवं भौगोलिक-राजनैतिक कारणों से ग्रस्त पूर्वोत्तर क्षेत्र, देश का एक अति कम विकसित क्षेत्र रहा है। यहां पर अपर्याप्त अवसंरचना और कमजोर अधिशासन के साथ ही निम्न उत्पादकता और बाजारों का अभाव है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र भारत के कुल कार्यबल (2009-10) के 3.6 प्रतिशत को निरूपित करता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में श्रम परिदृश्य असंख्य कारकों (जिनमें भौगोलिक, सामाजिक-आर्थिक और राजनैतिक कारक शामिल हैं) से देश के अन्य क्षेत्रों की तुलना में एकदम अद्वितीय है । क्षेत्र को न्यून औद्योगिकीकरण दर और आधुनिक सेवा क्षेत्र के सीमित विस्तार हेतु जाना जाता है। कृषि प्रचालन (झूमिंग जैसी अद्वितीय प्रणाली की मौजूदगी के साथ) भी भिन्न है । श्रम बाजार भागीदारी को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक लोकाचार भी भिन्न हैं, जो अन्य बातों के साथ-साथ लिंग एवं सामाजिक वर्गों के संबंध में श्रम बल के विशिष्ट संघटन को प्रतिबिंबित करते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरा महत्वपूर्ण पहलू प्रवासन का है, जो जनसंख्या के आन्तरिक प्रवासन (क्षेत्र के भीतर एवं बाहर से), और राष्ट्रीय सीमाओं के पार से श्रमिकों के आने, दोनों के संबंध में नई सामाजिक-राजनैतिक विचारणों के कारण जटिल हो गया है।

इसी संदर्भ में संस्थान ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में नीति उन्मुखी अनुसंधान करने और श्रम, रोजगार एवं सामाजिक संरक्षण से संबंधित मुद्दों पर कार्यशालाएं/संगोष्ठियां और प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए 2009 में पूर्वोत्तर केन्द्र (सीएनई) स्थापित किया है। अनुसंधान एवं प्रशिक्षण क्षेत्र निम्नानुसार हैं :

केंद्र के मुख्य अनुसंधान क्षेत्र

- रोजगार एवं बेरोजगारी प्रवृत्तियां एवं चुनौतियां
- लिंग एवं श्रम
- प्रवासन एवं विकास
- सामाजिक सुरक्षा
- स्वास्थ्य एवं श्रम
- आजीविका कार्यनीतियां
- क्षेत्रक विश्लेषण
- कौशल अन्तराल अध्ययन
- औद्योगिक संबंध एवं विनियमन
- श्रमिक और कामगार आन्दोलन का सामाजिक विज्ञान।

केंद्र के मुख्य प्रशिक्षण क्षेत्र

प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लक्ष्य समूहों में क्षेत्र के आठ राज्यों से श्रम अधिकारी, महिला कामगार एवं केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों/सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि, विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी और अनुसंधानकर्त्ता शामिल हैं। केंद्र के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कुछ विषय निम्न प्रकार हैं :

- कौशल विकास एवं रोजगार सृजन
- श्रम कानूनों के मूलतत्व
- श्रमिक मुद्दों और महिला कामगारों से संबंधित कानूनों पर जागरूकता को सुदृढ़ करना
- ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम
- सामाजिक संरक्षण एवं आजीविका सुरक्षा
- असंगठित क्षेत्र में श्रम कानूनों को प्रभावी रूप से लागू करना
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में श्रम बाजार, रोजगार एवं सामाजिक संरक्षण
- लिंग, गरीबी और रोजगार
- महिला कामगारों के कौशल विकास को विकसित करना।

अनुसंधान सलाहकार समूह

केन्द्र के अनुसंधान सलाहकार समूह में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं :

- प्रो. महेन्द्र पी. लामा, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
- प्रोफेसर अमिताभ कुंडु, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
- प्रोफेसर तिप्लुट नोंग्ब्री, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
- प्रोफेसर संजय हजारिका, जामिया मिलिया इस्लामिया

केन्द्र समन्वयक
श्री अतोजीत क्षेत्रिमयूम, एसोसिएट फेलो
दूरभाष : 0210 - 2411533/34 एक्सटेंशन : 212
मोबाइल : 9818107829
ई-मेल : otojit@gmail.com

जलवायु परिवर्तन और श्रम केंद्र

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव एक वैश्विक चिन्ता है और भारत में, जहां अधिसंख्य लोग गरीब हैं और अपने जीवनयापन के लिए कृषि और अनौपचारिक क्षेत्र पर निर्भर हैं, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव और भी चिंता का विषय है। जलवायु परिवर्तन और काम की दुनिया के साथ इसके अंतर-संबंधनों के मुख्य मुद्दे को हल करने की दिशा में वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने वर्ष 2010 में एक नये अनुसंधान केंद्र, नामतः जलवायु परिवर्तन एवं श्रम केन्द्र की स्थापना की है। अनुसंधान केंद्र का प्रमुख उद्देश्य यह है कि जलवायु परिवर्तन और श्रमिकों तथा उनकी आजीविका से इसके अंतर-संबंधनों के मुद्दे पर नीति-उन्मुख अनुसंधान किया जाए। केंद्र के मूल अनुसंधानिक क्षेत्र निम्न प्रकार हैं :

मुख्य मूल अनुसंधान क्षेत्र

- जलवायु परिवर्तन, श्रमिकों तथा आजीविका के अंतर-संबंधनों को समझना;
- जलवायु परिवर्तन की रोजगार संबंधी चुनौतियां और ''ग्रीन रोजगार'' की ओर संक्रमण;
- मैक्रो, मेसो तथा माइक्रो स्तर पर जलवायु परिवर्तनीयता तथा परिवर्तन के प्रति आजीविका अनुकूलन तथा प्रशमन कार्यनीतियों का निर्धारण;
- जलवायु परिवर्तन और उत्प्रवास पर इसका प्रभाव;
- प्राकृतिक संसाधनों, वनों तथा आम जनता पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव।

विशिष्ट अनुसंधान-योग्य मुद्दों में निम्न शामिल हैं :-

- ऐसे कमजोर कर्मकारों जो निर्वाह योग्य खेती, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था, पर्यटन क्षेत्र, समुद्र तटीय मछलीपालन/नमक निर्माण/कृषि समुदाय में कार्यरत हैं, और वनों पर निर्भर क्षेत्रीय, अनुसूचित जनजाति के लोगों की आजीविका पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव;
- जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए उत्पादन प्रक्रिया को पुनः संगठित करने, नौकरी की हानि से संरक्षण तथा माइक्रो नीतियों के पुनराभिमुखीकरण में नियोजकों तथा ट्रेड यूनियनों की भूमिका;
- दीर्घकालिक सूखे, बाढ़ तथा अत्यधिक अनियमित मानसून के कारण कृषि उत्पादन और उत्पादकता में कमी के साथ इसके संबंधन के माध्यम से खाद्य सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव;
- आजीविका सुरक्षा का संरक्षण करने और जलवायु परिवर्तनों के प्रति अनुकूलन में नरेगा की भूमिका;
- जलवायु परिवर्तन तथा लिंग;
- जलवायु परिवर्तन और उत्प्रवास प्रक्रियाओं को तेज करने पर इसका प्रभाव;
- जलवायु के प्रभाव संबंधी स्थानीय अवधारणाओं, स्थानीय नियंत्रक क्षमताओं तथा मौजूदा अनुकूलन कार्य को समझना;
- जलवायु परिवर्तन के विज्ञान के बारे में, इसके संभावित प्रभाव तथा विभिन्न अनुकूलन तथा प्रशमन कार्यनीतियों के बारे में विभिन्न पणधारियों के लिए सक्षमता निर्माण तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम।

केंद्र समन्वयक
डॉ. अनूप कुमार सतपथी, फेलो
दूरभाष : 0120 - 2411483
ई-मेल : anoop.kumarsatpathy@gmail.com

एन. आर. डे श्रम सूचना संसाधन केंद्र

एन. आर. डे श्रम सूचना संसाधन केंद्र (एनआरडीआरसीएलआई) देश में श्रम अध्ययनों के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिष्ठित पुस्तकालय-सह-प्रलेखन केंद्रों में से एक है। संस्थान के रजत जयंती समारोह के अवसर पर संस्थान के संस्थापक डीन स्वर्गीय (श्री) नितीश आर. डे की स्मृति में 01 जुलाई 1999 को इस केंद्र का पुनः नामकरण उनके नाम पर किया गया था। यह केंद्र पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत है और अपने प्रयोगकर्त्ताओं को निम्नलिखित सेवाएं और उत्पाद उपलब्ध कराता है:-

1. भौतिक सम्पदा

पुस्तकें - पुस्तकालय ने अप्रैल 2012 से नवम्बर, 2012 तक 97 पुस्तकें/रिपोर्टें/जिल्दबंद पत्रिकाएं खरीदकर पुस्तकों/रिपोर्टों/सजिल्द जर्नल्स आदि के भंडार को बढ़ाकर 63231 कर लिया है।

पत्रिकाएं - पुस्तकालय ने इस अवधि के दौरान नियमित तौर पर 194 व्यावसायिक पत्रिकाओं, मैगजीनों एवं समाचार पत्रों का मुद्रित एवं इलैक्ट्रॉनिक, दोनों स्वरूपों के लिए अभिदान किया।

2. सेवाएं

पुस्तकालय संवैधानिक रूप से प्रयोगकर्त्ताओं के लिए निम्नलिखित सेवाओं का अनुरक्षण करता है-

- सूचना का चयनित प्रसार (एसडीआई)
- सामयिक (करंट) जागरूकता सेवा
- संदर्भ सेवा
- ऑन लाइन खोज
- पत्रिकाओं के लेखों की अनुक्रमणिका
- समाचारपत्रों के लेखों की कतरनें
- माइक्रो-फिच खोज और मुद्रण
- रिप्रोग्राफिक सेवा
- सीडी-रोम खोज
- श्रव्य दृश्य सेवा
- समसामयिक (करंट) विषय-वस्तु सेवा
- आर्टिकल अलर्ट सेवा
- उधारी सेवा
- अंतर्पुस्तकालय ऋण सेवा

3. उत्पाद

पुस्तकालय प्रयोगकर्त्ताओं को मुद्रित रूपों में निम्न उत्पाद उपलब्ध कराता है :-

- आवधिक साहित्य की मार्गदर्शिका - तिमाही अन्तःसंस्थान प्रकाशन, जो 175 से अधिक चुनिंदा पत्रिकाओं/मैगजीनों में छपे लेखों की संदर्भ सूचना प्रदान करता है;
- सम-सामयिक जागरूकता बुलेटिन - तिमाही अन्तःसंस्थान प्रकाशन, जो एनआरडीआरसीएलआई में अधिप्राप्ति संबंधी संदर्भ सूचना उपलब्ध कराता है;

- आर्टिकल अलर्ट - एक साप्ताहिक प्रकाशन, जो अभिदत्त सभी पत्रिकाओं/मैगजीनों के महत्वपूर्ण लेखों की संदर्भ सूचना उपलब्ध कराता है;
- समसामयिक (करंट) विषयवस्तु सेवा - मासिक प्रकाशन। यह अभिदत्त पत्रिकाओं की विषय-सूचियों के पृष्ठों का संकलन है;
- आर्टिकल अलर्ट सेवा - यह साप्ताहिक सेवा जनता की पहुंच के लिए संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

4. विशेष संसाधन केंद्रों का अनुरक्षण

संदर्भ उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित चार विशेषीकृत संसाधन केंद्र सृजित एवं अनुरक्षित किए गए है:-

i) राष्ट्रीय बाल श्रम संसाधन केंद्र
ii) लिंगीय अध्ययन पर राष्ट्रीय संसाधन केंद्र
iii) एच आई वी/एड्स पर राष्ट्रीय संसाधन केंद
iv) राष्ट्रीय बाल श्रम ज्ञान केन्द्र।

अधिक जानकारी और ब्यौरे के लिए कृपया निम्नलिखित पर संपर्क करें :

सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी
वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
सैक्टर 24, नौएडा-201 301
ई-मेल : skvsrv@gmail.com
टेलीफोन : 0120-2411262 (सीधा) 2411533/34/35/एक्सटेंशन : 202

प्रकाशन

श्रम संबंधी विभिन्न सूचनाओं का सामान्य रूप से और अपने अनुसंधान के निष्कर्षों और अनुभवों का विशेष रूप से प्रचार-प्रसार करना वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान का गतिशील प्रकाशन कार्यक्रम है। इस कार्य को पूरा करने के लिए, संस्थान पत्रिकाओं, सामयिक प्रकाशनों, पुस्तकों और रिपोर्टों का प्रकाशन करता है। कुछ महत्वपूर्ण प्रकाशन इस प्रकार हैं :

लेबर एंड डेवलपमेंट

लेबर एंड डेवलपमेंट एक छमाही शैक्षणिक पत्रिका है। इसका उद्देश्य सैद्धांतिक विश्लेषण और आनुभविक अन्वेषण के जरिए श्रम के विभिन्न पहलुओं की जानकारी का वर्धन और उसका प्रसार करना है। यह पत्रिका छात्रों और श्रम अध्ययन में विशेषज्ञता प्राप्त करने वाले व्यावसायिकों के लिए एक बहुमूल्य संदर्भ पत्रिका है।

अवाड्र्स डाइजेस्ट : श्रम विधान का जर्नल

अवाड्र्स डाइजेस्ट एक द्विमासिक जर्नल है, जिसमें श्रम और औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र के अद्यतन मामला विधियों का सार प्रकाशित किया जाता है। इस जर्नल में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, प्रशासनिक अधिकरणों तथा केंद्रीय सरकारी औद्योगिक अधिकरणों द्वारा श्रम मामलों के बारे में दिए गए निर्णय प्रकाशित किए जाते हैं। इसमें श्रम कानूनों से संबंधित लेख, उनमें किए गए संशोधन, अन्य संगत सूचना शामिल होती है। यह पत्रिका कार्मिक प्रबंधकों, ट्रेड यूनियन नेताओं और श्रमिकों, श्रम कानूनों के परामर्शदाताओं, शैक्षिक संस्थानों, सुलह अधिकारियों, औद्योगिक विवादों के मध्यस्थों, प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं और श्रम कानूनों के विद्यार्थियों के लिए एक बहुमूल्य संदर्भ पत्रिका है।

श्रम विधान

श्रम विधान एक द्विमासिक हिन्दी पत्रिका है, जिसमें श्रम और औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में अद्यतन निर्णायज विधियों का सार प्रकाशित किया जाता है। इस पत्रिका में श्रम संबंधी मामलों के बारे में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, प्रशासनिक अधिकरणों और केंद्र सरकार के औद्योगिक अधिकरणों द्वारा दिए गए निर्णय प्रकाशित किए जाते हैं। यह पत्रिका कार्मिक प्रबंधकों, ट्रेड यूनियन नेताओं एवं श्रमिकों, श्रम कानूनों के परामर्शदाताओं, शैक्षणिक संस्थानों, सुलह अधिकारियों, औद्योगिक विवादों के मध्यस्थों, प्रैक्टिस करने वाले एडवोकेटों और श्रम कानूनों के विद्यार्थियों के लिए एक बहुमूल्य संदर्भ पत्रिका है।

इंद्रधनुष

यह संस्थान द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला द्वि-मासिक न्यूजलेटर है, जिसमें संस्थान की अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा, कार्यशाला, सम्मेलन आदि की बहुविध गतिविधियों का प्रकाशन किया जाता है। इस समाचार पत्र में संस्थान के संकाय सदस्यों तथा अधिकारियों की शैक्षणिक उपलब्धियों को रेखांकित करने के साथ-साथ ख्यातिप्राप्त व्यक्तियों के दौरों की रूपरेखा का भी विशिष्ट प्रकाशन किया जाता है।

चाइल्ड होप

चाइल्ड होप संस्थान का त्रैमासिक न्यूजलेटर है। इस न्यूजलेटर का प्रकाशन समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंच बनाने तथा इस दिशा में उनके प्रयासों को लामबंद करने के माध्यम से बाल श्रम उन्मूलन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए किया जा रहा है।

एन. एल. आई. अनुसंधान अध्ययन श्रृंखला

संस्थान अपने अध्ययन कार्यों के निष्कर्षों के प्रसार के लिए एनएलआई अनुसंधान अध्ययन श्रृंखला के शीर्षक वाली एक श्रृंखला भी प्रकाशित कर रहा है। संस्थान ने अब तक इस श्रृंखला के अंतर्गत 109 अनुसंधान निष्कर्ष प्रकाशित किए हैं। वर्ष 2013 में एनएलआई अनुसंधान अध्ययन श्रृंखला के रूप में प्रकाशित अनुसंधान अध्ययनों में निम्न शामिल हैं :

102/2013 त्रिपुरा में एमजीएनआरईजीएस : दक्षता एवं साम्यता पर अध्ययन - इन्द्रनील भौमिक

103/2013 जोखिम भरे रोजगार में प्रवासी एवं ऐसे बच्चे जिनकी खरीद-फरोक्त की गयी है नागालैण्ड का मामला - टी. चुबयंगर

104/2013 अन्तर्राष्ट्रीय श्रम प्रवासियों के लिए सामाजिक सुरक्षा मुद्दे एवं नीतिगत विकल्प - राखी थिमोथी

105/2013 कार्य में मूलभूत नियम एवं अधिकार तथा भारत में अनौपचारिक अर्थव्यवस्था : प्रवृत्तियां, पहलें एवं चुनौतियां - धन्या एम.बी.

106/2013 कोंकण में खोटी-रोधी आन्दोलन, सी-1920-1942-संतोष पंधारी सुरादकर

107/2013 त्रिपुरा में प्राकृतिक रबड़ की खेती का विस्तार : भू-धारण, रोजगार एवं आय पर प्रभाव - एस. मोहन कुमार

108/2013 ग्रामीण अरूणाचल प्रदेश में महिलाओं की कार्य सहभागिता एवं समय-उपयोग पद्धति - वंदना उपाध्याय।

109/2013 आईएलओ अभिसमय 181 : भारत में निजी व्यवस्थापन एजेंसियों के संदर्भ में मुद्दे एवं चुनौतियां - एलीना सामंतराय

सामयिक प्रकाशन

यह संस्थान अपने अनुसंधान तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर आधारित सामयिक प्रकाशन भी प्रकाशित करता है।

अन्य नवीनतम प्रकाशन

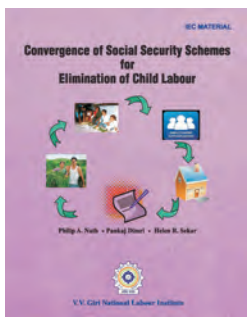

- रोजगार पर लोगों के लिए तीसरी वार्षिक रिपोर्ट (हिंदी एवं अंग्रेजी)
- अण्डमान एवं निकोबार द्वीप-समूह में कौशल मानचित्रणः आपूर्ति एवं मांग अन्तरालों का निर्धारण करना
- बाल श्रम के उन्मूलन के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का अभिसरण
- बाल श्रम को समझना
- बाल श्रम और विधायी ढांचा
- बाल श्रम और स्वास्थ्य खतरे
- समसामयिक परिदृश्य में कामगारों के अधिकार एवं पद्धतियां : एक सिंहावलोकन
- केरल के विशेष संदर्भ में भारत में काजू कामगारों को रोजगार एवं सामाजिक संरक्षण

अधिक जानकारी तथा ब्यौरे के लिए कृपया निम्न से संपर्क करें :

प्रकाशन (प्रभारी)
वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान,
सैक्टर 24, नौएडा-201 301
टेलीफोन : 0120-2411533/34/35
ई-मेल : publicationsvvgnli@gmail.com

श्रम प्रशासन कार्यक्रम

अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी : भूमिका और कार्य

लक्ष्य	कार्यक्रम का उद्देश्य अर्ध-न्यायिक भूमिका निभाने की दक्षता को सुदृढ़ बनाना है।
उद्देश्य	• मौजूदा सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य के संदर्भ में अर्ध-न्यायिक कार्यों को निपटाने के लिए संकल्पनात्मक ढांचा विकसित करना। • अर्ध-न्यायिक प्राधिकारियों की समस्याओं पर चर्चा करना। • श्रम कानूनों और न्यायिक व्याख्याओं में उभरती प्रवृत्तियों को समझना। • संवैधानिक विधि और प्रशासनिक विधि के संगत क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	विभिन्न श्रम अधिनियमनों के अंतर्गत अर्ध-न्यायिक अधिकारियों की भूमिकाएं और कर्त्तव्य, अर्ध-न्यायिक भूमिका को निभाने में समस्याएं और इन समस्याओं के समाधान के अर्थोपाय, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत और नवीनतम श्रम विधिशास्त्र की न्याय विवेक संगतता।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, समूह चर्चाएं और अनुभवों का आदान-प्रदान।
कौन भाग ले सकता है	केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के अर्ध-न्यायिक अधिकारी।
संकाय	श्रम विभाग और संस्थान के संकाय से वरिष्ठ और अनुभवी अधिकारी।
तारीख	27-30 जनवरी 2015
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	**डॉ. संजय उपाध्याय** sanjaynli@gmail.com

वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में श्रम प्रशासन : नये घटनाक्रम एवं दृष्टिकोण

लक्ष्य	इस कार्यक्रम का उद्देश्य कार्य की दुनिया में रूपान्तरणों के संदर्भ में श्रम प्रशासन के सामने आ रही चुनौतियों को दूर करना है। यह विशेष रूप से तैयार किए गए एवं अपनाए जा रहे नवीनताओं पर यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान केंद्रित करेगा कि श्रम प्रशासन सभी वर्गों के कामगारों की, विशेष रूप से उन कामगारों की जरूरतों को पूरा करेगा जो अनियमित अर्थव्यवस्था में हैं।
उद्देश्य	• श्रम बाजार में मुख्य रूपान्तरणों और श्रम प्रशासन हेतु इसके पहलुओं का विश्लेषण करना। • श्रम प्रशासन देशों में नये दृष्टिकोणों की जांच करना। • श्रम प्रशासन संरचनाओं द्वारा स्वीकृत नवीनात्मक दृष्टिकोणों के अनुभवों को साझा करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं, श्रम बाजार में रूपान्तरण, श्रम प्रशासन में दृष्टिकोण, श्रम प्रशासन में नवीनता, श्रम प्रशासन की भूमिका को सुदृढ़ बनाने के लिए कार्यनीतियां।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, आपसी बातचीत सत्र, चर्चाएं और मामला अध्ययन।
कौन भाग ले सकता है	केन्द्र एवं राज्य सरकारों से मध्यम एवं वरिष्ठ स्तर के श्रम प्रशासन अधिकारी।
संकाय	संस्थान से संकाय सदस्य, वरिष्ठ स्तर के श्रम प्रशासक और ट्रेड यूनियनों और नियोक्ता संगठनों के मुख्य पदाधिकारी।
तारीख	01-04 सितम्बर 2014, 02-05 मार्च 2015
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	**डॉ. एस. के. शशिकुमार, डॉ. राखी थिमोथी** sasikumarsk2@gmail.com, rakkeethirmothy@gmail.com

गुणवत्तापूर्ण रोजगार का सृजनः चुनौतियां एवं विकल्प

लक्ष्य	रोजगार, अपनी मात्रात्मकता में तथा और सुसंगत रूप से अपने गुणात्मक पहलुओं में लोकनीति की केन्द्रीय चिंताओं में से एक है। जबकि रोजगार सृजन एक महत्वपूर्ण दीर्घ अवधि नीतिगत लक्ष्य बना हुआ है। यह अब आर्थिक मंदी को कम करने में एक अति महत्वपूर्ण नीतिगत साधनों के रूप में उभर रहा है। रोजगार केवल एक मैक्रो आर्थिक फेनोमेना नहीं है, इसका महत्व एवं सामाजिक एवं व्यक्तिगत स्तर काफी बड़ा है। रोजगार व्यक्तिगत स्तर पर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और असुरक्षा के समाधान के लिए प्रमुख साधन बना हुआ है। इसी संदर्भ में कार्यक्रम टिकाउ एवं महत्वपूर्ण विकास के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन के रूप में गुणवत्ता रोजगार के सृजन से संबंधित विभिन्न आयामों को प्राप्त करता है।
उद्देश्य	• रोजगार, आर्थिक विकास और विकास के बीच लिंकेजों की जांच। • रोजगार में उभरती प्रवृत्तियों का विश्लेषण। • गद्दणवत्ता रोजगार सृजन पर अच्छी पद्धतियों को शेयर करना। • गुणवत्ता रोजगार को टिकाऊ और महत्वपूर्ण वृद्धि के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विषय-सूची के रूप में विकसित करने के लिए कार्यनीतियों पर चर्चा करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	रोजगार, वृद्धि और विकास के बीच लिंकेज, रोजगार में उभरती प्रवृत्तियां, गुणवत्ता रोजगार सृजन के मुख्य पिल्लर, रोजगार सृजन में अच्छी पद्धतियां, रोजगार को लोक नीति की केन्द्रीय सरोकार के रूप में स्थापित करने के लिए कार्यनीतियां।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, आपसी बातचीत सत्र, चर्चाएं और मामला अध्ययन।
कौन भाग ले सकता है	रोजगार, मामलों से संबंधित सरकारी कर्मचारी; रोजगार पर विशेषीकृत अनुसंधानकर्त्ता; रोजगार सृजन से संबंधित मामलों में लगे ट्रेड यूनियनों, नियोक्ताओं और सिविल सोसाइटी संगठनों से प्रतिनिधि।
संकाय	संस्थान से संकाय के सदस्य, वरिष्ठ स्तर के श्रम प्रशासक और ट्रेड यूनियनों एवं नियोक्ता संगठनों के मुख्य अधिकारी।
तारीख	19-22 अगस्त 2014
स्थान	वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा।
पाठ्यक्रम निदेशक	**डॉ. एस.के. शशिकुमार और डॉ. राखी थिमोथी।** sasikumarsk2@gmail.com, rakkeethimothy@gmail.com

श्रम कानूनों का प्रभावी प्रवर्तन

लक्ष्य	कार्यक्रम का लक्ष्य प्रवर्तन अधिकारियों की प्रवर्तन क्षमता और कौशल में वृद्धि करना है।
उद्देश्य	• श्रम विधान के संदर्भ की समझ प्राप्त करना। • विभिन्न श्रम कानूनों की सारभूत और प्रक्रियात्मक विषय-वस्तु की जानकारी प्राप्त करना। • श्रम कानूनों और न्यायिक व्याख्याओं की नई दिशाओं के संबंध में अवबोधन विकसित करना। • विद्यमान संसाधनों के इष्टतम उपयोग के उपाय खोजना। • श्रम कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन के मार्ग में आने वाली कठिनाईयों का पता लगाना तथा उनके उपचारात्मक उपाय खोजना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	संविधान और श्रम, चुनिंदा श्रम कानूनों के सारभूत और प्रक्रियात्मक पहलू, नवीनतम श्रम न्यायशास्त्र और प्रवर्तन की तकनीकें।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, समूह चर्चाएं, अनुभवों का आदान-प्रदान और पैनल चर्चा।
कौन भाग ले सकता है	केंद्रीय और राज्य सरकारों के ऐसे श्रम प्रवर्तन अधिकारी और श्रम निरीक्षक जिन्हें पांच से कम वर्षों का अनुभव हो।
संकाय	श्रम प्रशासन, ट्रेड यूनियन और शैक्षणिक संस्थाओं से के अनुभवी और प्रख्यात व्यक्ति तथा शिक्षाविद।
तारीख	21-25 जुलाई 2014
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	**डॉ. संजय उपाध्याय** sanjaynli@gmail.com

असंगठित क्षेत्र में श्रम कानूनों का प्रभावी प्रवर्तन

लक्ष्य	कार्यक्रम का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में श्रम कानूनों के प्रवर्तन हेतु श्रम अधिकारियों का कौशल विकास करना है।
उद्देश्य	• श्रम विधानों के मूलभूत तत्व एवं समकालिक औद्योगिक संबंध की मौलिकताओं को समझना। • विभिन्न श्रम कानूनों की सारभूत विषय-सूची के साथ-साथ उसकी प्रक्रियात्मक विषयवस्तु की जानकारी प्राप्त करना। • अर्ध-न्यायिक तथा समाधान प्रकार्यों को व्यापक रूप से समझना। • असंगठित क्षेत्र में प्रवर्तन प्रक्रियाओं के बेहतर अवबोधन को प्राप्त करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	श्रम कानूनों के मूलभूत तत्व, नवीनतम न्यायिक, अर्ध न्यायिक प्रकार्यों और महत्वपूर्ण मामला अध्ययनों का विश्लेषण, असंगठित क्षेत्र में श्रम कानूनों का प्रवर्तन।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, सामूहिक परिचर्चा, अनुभवों का आदान-प्रदान तथा क्षेत्र दौरे।
कौन भाग ले सकता है	राज्य सरकारों से श्रम पदाधिकारी।
संकाय	प्रसिद्ध विधि विशेषज्ञ, केंद्रीय तथा राज्य श्रम सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारी तथा संस्थान का अपना संकाय, जिसको श्रम कानूनों के क्षेत्र में पूरी जानकारी तथा अवबोधन प्राप्त है।
तारीख	23-27 जून 2014
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	**डॉ. संजय उपाध्याय** sanjaynli@gmail.com

महिला कर्मचारियों से संबंधित कानूनों का प्रभावी प्रवर्तन

लक्ष्य	उन प्रवर्तन अधिकारियों की प्रवर्तन क्षमता और कौशल को बढ़ाना जो महिलाओं से संबंधित कानूनों के प्रवर्तन में लगे हुए हैं।
उद्देश्य	• श्रम में लिंगीय मुद्दों पर विचार-विमर्श। • महिला कर्मकारों को विशेष रूप से ध्यान रखते हुए श्रम कानूनों की नई दिशाओं और न्यायिक व्याख्याओं से संबंधित अवबोधन विकसित करना। • महिला कर्मकारों से संबंधित नियमों यथा समान पारिश्रमिक अधिनियम, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम तथा कर्मकार प्रतिकर अधिनियम आदि के प्रवर्तन पर जोर देना। • यौन उत्पीड़न से संबंधित उच्चतम न्यायालय के मार्गदर्शी सिद्धातों से अवगत करवाना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	श्रम में लिंगीय मुद्दे, कार्य-स्थल पर महिलाओं से संबंधित कानून जैसे कि समान पारिश्रमिक अधिनियम, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम आदि तथा कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, वैयक्तिक और सामूहिक अभ्यास, वैयक्तिक अध्ययन तथा अनुभवों का आदान-प्रदान।
कौन भाग ले सकता है	केंद्र तथा राज्य सरकारों के श्रम प्रवर्तन अधिकारी।
संकाय	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के संकाय के अतिरिक्त इस क्षेत्र के विशेषज्ञों को सत्रों में व्याख्यान देने के लिए बुलाया जाएगा।
तारीख	14-18 जुलाई 2014
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	**डॉ. शशि बाला** shashibala2002@gmail.com

स्वास्थ्य संबंधी कानूनों का प्रभावी प्रवर्तन

लक्ष्य	कामगारों के स्वास्थ्य संरक्षण एवं सुरक्षा की आवश्यकता के अवबोधन का विकास करना।
उद्देश्य	• कर्मकारों के स्वास्थ्य संरक्षण की आवश्यकता का संकल्पनात्मक अवबोधन विकसित करना। • स्वास्थ्य विधानों के संबंध में उभरते मुद्दों और चुनौतियों की जांच करना। • कर्मकारों की स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी विभिन्न स्कीमों तथा कार्यक्रम से प्रतिभागियों को परिचित कराना। • कर्मकारों के स्वास्थ्य के संबंध में कानूनों के प्रवर्तन को समझना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रमों का सिंहावलोकन, समुदाय अनुभवों का आदान-प्रदान, सामुदायिक स्तर के कार्यक्रम आरंभ करने संबंधी कार्यनीतियां।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, परस्पर बातचीत सत्र, अलग-अलग तथा समूह प्रस्तुतीकरण, मामला अध्ययनों का आदान-प्रदान करना।
कौन भाग ले सकता है	ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि तथा सरकारी पदाधिकारी।
संकाय	वी वी जी एन एल आई संकाय, शैक्षणिक संस्थाओं से तथा ट्रेड यूनियनों से संसाधन व्यक्ति।
तारीख	04-08 अगस्त 2014
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	**डॉ. रूमा घोष** rumanli@gmail.com

औद्योगिक संबंध कार्यक्रम

वैश्विक अर्थव्यवस्था में औद्योगिक संबंध और ट्रेड यूनियनवाद

लक्ष्य	इस कार्यक्रम का लक्ष्य एक वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में श्रम प्रबंधन संबंधों के प्रमुख अवसरों और चुनौतियों के बारे में ट्रेड यूनियन नेताओं और औद्योगिक संबंध प्रबंधकों के अवबोधन में वृद्धि करना है।
उद्देश्य	• रोजगार संबंधों को प्रभावित करने वाले वैश्वीकरण के प्रमुख घटकों को समझना और उनका विश्लेषण करना। • वैश्वीकृत होती जा रही अर्थव्यवस्था में औद्योगिक संबंधों और ट्रेड यूनियनवाद के उभरते मुद्दों और चुनौतियों की जांच करना और अनुक्रिया करना। • श्रम प्रबंधन पद्धतियों के नये स्वरूपों को सीखना और अनुभवों का आदान-प्रदान करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	वैश्वीकरण, संकल्पनाएं और विशेषताएं, औद्योगिक संबंध; उभरते परिदृश्य; ट्रेड यूनियन प्रतिक्रियाओं पर मामला अध्ययन; श्रम प्रबंधन संबंधों पर अच्छी पद्धतियां।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, समूह चर्चाएं, मामला अध्ययन और अनुभवों का आदान-प्रदान।
कौन भाग ले सकता है	वरिष्ठ और मध्य स्तरीय औद्योगिक संबंध अधिकारी और ट्रेड यूनियन नेता।
संकाय	संस्थान से संकाय सदस्य, ट्रेड यूनियनों और नियोक्ता संघों के वरिष्ठ स्तरीय पदाधिकारी।
तारीख	01-04 सितम्बर 2014
शुल्क	11000/- रूपए प्रति आवासीय प्रतिभागी
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	**डॉ. एस. के. शशिकुमार** sasikumarsk2@gmail.com

ट्रेड यूनियन नेताओं को सशक्त बनाना

लक्ष्य	कार्यक्रम का लक्ष्य ट्रेड यूनियन नेताओं के ज्ञान कौशल के आधार को बढ़ाकर उन्हें सशक्त बनाना है।
उद्देश्य	• औद्योगिक संबंधों में प्रवृत्तियों और परिवर्तनों से अवगत होना। • नेतृत्व और वित्त प्रबंधन के कौशलों को बढ़ाना। • उभर रहे आर्थिक-राजनीतिक स्थिति में ट्रेड यूनियनों की भूमिका पर चर्चा करना। • उन्हें श्रम कानूनों और श्रम कानूनों में हाल ही के परिवर्तनों के बारे में जानकारी होना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	वैश्वीकरण और औद्योगिक संबंधों के मुद्दे, चयनित श्रम कानूनों और नवीनतम श्रम विधि शास्त्र और नेतृत्व शैलियों का सिंहावलोकन।
प्रशिक्षण पद्धति	कक्षा में व्याख्यान, सामूहिक कार्य, समूह चर्चाएं और व्यवहार विज्ञान तकनीक।
कौन भाग ले सकता है	ट्रेड यूनियनों/संगठनों/परिसंघों के प्लांट स्तरीय प्रतिनिधि।
संकाय	वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के संकाय सदस्यों के साथ विख्यात संस्थानों के अतिथि वक्ताओं को व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
तारीख	14-19 अप्रैल 2014, 19-24 मई 2014, 22-27 सितम्बर 2014, 24-29 नवम्बर 2014
कार्यक्रम शुल्क	13000/- रूपए प्रति आवासीय प्रतिभागी
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	**डॉ. पूनम एस. चौहान** poonamchauhan36@gmail.com

प्रभावी नेतृत्व विकास के लिए व्यवहारवादी कौशल

लक्ष्य	वैयक्तिक तथा समूह नेतृत्व के लिए प्रयोगात्मक शिक्षा प्राप्ति के जरिए प्रभावी नेतृत्व के लिए जरूरी वैयक्तिक और सामूहिक कौशल को बढ़ाना।
उद्देश्य	• प्रभावी नेतृत्व कौशल को बढ़ाना; • संप्रेषण कौशल को तीक्ष्ण करना; • प्रेरणात्मक शैलियों से अवगत कराना; • सर्वसम्मति निर्माण को मजबूत करना; • विवाद सुलझाने के कौशल को बढ़ाना; और • वार्ताकारी कौशल उत्पन्न करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	व्यक्तिगत और संगठनात्मक विकास में नेतृत्व की भूमिका, व्यवहार शैलियां, संप्रेषण प्रक्रिया, भावनात्मक समझ के जरिए नेतृत्व, निर्णय लेने की प्रक्रियाएं, दल प्रबंधन और स्वयं को व टीम को प्रेरित करना।
प्रशिक्षण पद्धति	निम्नलिखित प्रक्रियाओं के जरिए अनुभव - आधारित शिक्षा प्राप्ति, : वैयक्तिक बनाम सामूहिक प्रक्रियाएं, प्रभावी नेतृत्व को समझना, अनुभव करना, स्वीकार करना, प्रयोग करना, बढ़ाना और मजबूत बनाना, आंतरिक बनाना, लागू करना और बनाए रखना।
कौन भाग ले सकता है	ट्रेड यूनियनों के प्लांट स्तरीय प्रतिनिधि।
संकाय	बाह्य संसाधन व्यक्ति तथा संस्थान के आंतरिक संकाय सदस्य।
तारीख	23-27 जून 2014, 02-06 फरवरी 2015
शुल्क	12000/-रूपए प्रति आवासीय प्रतिभागी
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	**डॉ. पूनम एस. चौहान** poonamchauhan@gmail.com

कार्य का प्रभावी प्रबंधन : व्यवहारवादी दृष्टिकोण

लक्ष्य	कार्यक्रम का लक्ष्य वैयक्तिक और संगठनात्मक उत्कृष्टता के लिए कार्यस्थल पर कार्य और व्यवहार का प्रभावी प्रबंधन करना है।
उद्देश्य	• अपने प्रति, समूह और संगठन के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि करना। • अलग-अलग व्यक्तियों के गुणों और सीमाओं को समझने के लिए नैदानिक कौशल पैदा करना। • व्यक्तियों के भीतर रचनात्मकता और सकारात्मकता के कौशल विकसित करना। • समस्या समाधान के रचनात्मक कौशलों में वृद्धि करना। • समस्याओं को अवसरों में बदलना सीखना। • कार्यस्थल पर प्रबंधन और संप्रेषण करने के कौशल विकसित करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	पारम्परिक बनाम काल्पनिक नेतृत्व, वैयक्तिक तथा संगठनात्मक जीवन में काल्पनिक नेतृत्व का प्रभाव, नेतृत्व बनाए रखने के कौशल।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, वैयक्तिक तथा समूह अभ्यास, मामला अध्ययन और अनुभवों का आदान-प्रदान।
कौन भाग ले सकता है	सरकार, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संगठनों से प्रबंधन कार्मिक तथा यूनियन नेता।
संकाय	संस्थान के संकाय सदस्य तथा व्यवहार विज्ञान के क्षेत्रों में प्रख्यात बाहरी संकाय सदस्य।
तारीख	04-07 अगस्त 2014
शुल्क	11000/-रूपए प्रति आवासीय प्रतिभागी
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	**डॉ. पूनम एस. चौहान** poonamchauhan@gmail.com

कार्य में उत्कृष्टता के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना

लक्ष्य	कार्यक्रम का लक्ष्य प्रबंधकों और ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों को संगठनात्मक विकास के लिए अनुभवजन्य ज्ञान के माध्यम से सकारात्मक दृष्टिकोण और कौशल युक्त बनाना है।
उद्देश्य	• संकल्पनाकारी अभिवृत्तियां; • वैयक्तिक और व्यावसायिक सफलता में सकारात्मक दृष्टिकोण के प्रभाव पर विशिष्ट प्रकाश डालना; • नकारात्मक दृष्टिकोण और उसके प्रभाव से निपटने के लिए कौशल विकसित करना; • संगठनात्मक उत्कृष्टता पर सकारात्मक दृष्टिकोण के प्रभाव को समझना; • कार्य पर सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	संगठनात्मक विकास, निर्णय लेने और स्वयं तथा अन्य लोगों को प्रेरित करने में सकारात्मक रूख की भूमिका।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, वैयक्तिक तथा समूह चर्चाएं, मामला अध्ययन और अनुभवों का आदान-प्रदान।
कौन भाग ले सकता है	सरकारी, सार्वजनिक और निजी के संगठनों से ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि और प्रबंधन कार्मिक।
संकाय	संस्थान के संकाय सदस्य और व्यवहार-विज्ञान से प्रख्यात संकाय सदस्य को आमंत्रित किया जाएगा।
तारीख	23-26 फरवरी 2015
शुल्क	11000/- रूपए प्रति आवासीय प्रतिभागी
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	**डॉ. पूनम एस. चौहान** poonamchauhan@gmail.com

श्रम कानूनों के मूलभूत तत्व

लक्ष्य	कार्यक्रम का लक्ष्य प्रतिभागियों को श्रम विधान और हाल के श्रम विधिशास्त्र के संदर्भ में जानकारी प्रदान करना है।
उद्देश्य	• औद्योगिक संबंध कानून की सारभूत और साथ ही प्रक्रिया संबंधी विषयवस्तु की जानकारी प्राप्त करना। • सामाजिक सुरक्षा विधानों का अवबोधन प्राप्त करना। • मजदूरी कानून के बारे में पूरी जानकारी विकसित करना। • संविदा श्रम से संबंधित कानून का अवबोधन प्राप्त करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	औद्योगिक संबंध कानून, जिनमें ट्रेड यूनियन अधिनियम, औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम और औद्योगिक विवाद अधिनियम शामिल हैं, की मुख्य विशेषताएं तथा सामाजिक सुरक्षा कानूनों, जिनमें कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, उपदान संदाय अधिनियम और 1995 की पेंशन स्कीम शामिल हैं, के उद्देश्य और प्रमुख विशिष्टताएं और मजदूरी से संबंधित कानून की प्रमुख विशिष्टताएं।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, समूह चर्चाएं, अनुभवों का आदान-प्रदान और पैनल चर्चा।
कौन भाग ले सकता है	सरकारी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक के मध्यम स्तरीय कार्यपालक और ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि।
संकाय	श्रम प्रशासन, अकादमियों और ट्रेड यूनियनों से अनुभवी व प्रख्यात व्यक्ति।
तारीख	01-05 दिसम्बर 2014
शुल्क	12000/- रूपए प्रति आवासीय प्रतिभागी।
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	**डॉ. संजय उपाध्याय** sanjaynli@gmail.com

लिंग एवं सामाजिक सुरक्षा

लक्ष्य	श्रम में लिंगीय मुद्दों की समझ को सुदृढ़ करना और सामाजिक सुरक्षा उपायों की जागरूकता एवं प्रभावी क्रियान्वयन को बढ़ाना।
उद्देश्य	• सामाजिक सुरक्षा की एक स्पष्ट समझ प्रदान करना। • नवीन प्रवृत्तियों, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय अनुभवों, अच्छी पद्धतियों पर जानकारी उपलब्ध कराना। • मुख्य पणधारियों को प्रभावी प्रवर्त्तन नीति तैयार करने में सहायता करने की दिशा में व्यापक संसाधन निधान प्रदान करना और विभिन्न सामाजिक सुरक्षा प्रावधनों को लागू करने के लिए जागरूकता बढ़ाना। • कारपोरेट क्षेत्र में एचआर को प्रशिक्षित करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	ग्रामीण समाज, नेतृत्व संभावना को बढ़ाने के लिए व्यवहारात्मक कौशल, महिलाओं से संबंधित श्रम कानून, मातृत्व लाभ, समान पारश्रमिक, कार्य स्थल पर यौन-उत्पीड़न।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, व्यक्तिगत एवं समूह अभ्यास, मामला अध्ययन और अनुभव का अदान-प्रदान।
कौन भाग ले सकता है	सरकारी, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के उपक्रमों से वैयक्तिक एवं प्लांट स्तरीय ट्रेड यूनियनों का प्रबंधन।
संकाय	सेंट्रल टी.यू. नेता एवं वी.वी.जीएनएलआई संकाय।
तारीख	28 जुलाई-01 अगस्त 2014
शुल्क	11000/- रुपए प्रति आवासीय भागीदारिता
स्थान	वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	**डॉ. शशि बाला** ई-मेल : shashibala2002@gmail.com

क्षमता निर्माण कार्यक्रम

ग्रामीण ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम

लक्ष्य	इस कार्यक्रम का लक्ष्य ग्रामीण असंगठित क्षेत्र के उभरते हुए ट्रेड यूनियन नेताओं को सशक्त बनाना है।
उद्देश्य	• भारत में ग्रामीण असंगठित क्षेत्र में मुद्दों का पर्यावलोकन उपलब्ध कराना; • ग्रामीण समाज को समझने, उसका अध्ययन करने और उसका विश्लेषण करने में ग्रामीण ट्रेड यूनियन नेताओं का कौशल विकास करना उन्हें तीक्षणता प्रदान करना; • अंतर-वैयक्तिक और अंतर-समूह संबंधों की गतिशीलता में अंतर्दृष्टि प्रदान करना; • संगठन निर्माण से संबंधित विभिन्न मुद्दों और पहलुओं पर चर्चा करना; • कानूनी अधिकारों और उपबंधों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना; • विभिन्न सामाजिक सुरक्षा और रोजगार नीतियों के बारे में भावी नेताओं में संवेदी जागरूकता उत्पन्न करना; • प्रतिभागियों को ग्रामीण श्रमिकों को संगठित करने की उभरती हुई तकनीकी से परिचित कराना; और • लघु और बृहद स्तर पर संसाधनों का पता लगाने में सहायता देना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों की बदलती हुई सांख्यिकी रूपरेखा; ग्रामीण भारत में समाज का क्रम विकास और वर्ग निर्माण तथा ग्रामीण श्रमिकों को संगठित करने के लिए उसके निहितार्थ; सकारात्मक रूख का महत्व, श्रम कानून, प्रेरणात्मक शैलियां और नेतृत्व विकास।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, संरचित समूह अभ्यास और अनुरूपण गेम।
कौन भाग ले सकता है	ग्रामीण असंगठित क्षेत्र में कार्यरत केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के राज्य और जिला स्तर के ट्रेड यूनियन प्रतिनिधि
संकाय	केंद्रीय ट्रेड यूनियनों से बाह्य संसाधन व्यक्ति तथा संस्थान के आंतरिक संकाय सदस्य।
तारीख	07-11 जुलाई 2014, 19-22 अगस्त 2014, 15-19 सितम्बर 2014, 24-28 नवम्बर 2014, 09-13 फरवरी 2015, 16-20 मार्च 2015
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	**डॉ. संजय उपाध्याय, डॉ. एलीना सामंतराय, श्री पी. अमिताव खुंटिया, डॉ. रिन्जू रसाइली** sanjaynli@gmail.com Amitav_1@rediffmail.com,ellinasamantroy@gmail.com, rasaily@gmail.com

ग्रामीण महिला संगठनकर्ताओं को सशक्त बनाना

लक्ष्य	कार्यक्रम का लक्ष्य सेंट्रल ट्रेड यूनियनों से ग्रामीण महिला आयोजकों को सशक्त बनाना है।
उद्देश्य	पाठ्यक्रम के अंत में, प्रतिभागी निम्नलिखित कार्य करने में समर्थ हो सकेंगे : • ग्रामीण सोसायटी और आर्थिक संबंधों की समझ विकसित करना; • सशक्तीकरण के मुद्दे पर चर्चा करना; • नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करने के लिए कौशल विकसित करना; • महिला श्रमिकों के संबंध में श्रम कानूनों से परिचित होना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	ग्रामीण सोसायटी, नेतृत्व क्षमताओं में वृद्धि करने के लिए व्यवहार कौशल, महिलाओं से संबंधित श्रम कानून; प्रसूति प्रसुविधा, एकसमान मजदूरी, कार्य स्थल पर यौन-उत्पीड़न।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, व्यक्तिगत और समूह अभ्यास, मामला अध्ययन और अनुभवों का आदान-प्रदान।
कौन भाग ले सकता है	केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा प्रायोजित ग्रामीण महिला श्रमिक नेता।
संकाय	केंद्रीय ट्रेड यूनियन नेता और वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के संकाय सदस्य।
तारीख	07-11 अप्रैल 2014, 05-09 मई 2014, 23-27 मार्च 2015
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	**डॉ. शशि बाला, डॉ. रिन्जू रसाइली, डॉ. एलीना सामंतराय** shashibala2002@gmail.com,rasaily@gmail.com, ellinasamantroy@gmail.com

नेतृत्व कौशल का विकास करना : बागान कर्मकार

लक्ष्य	कार्यक्रम का लक्ष्य बागान उद्योग से ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं के नेतृत्व कौशल में वृद्धि करना है।
उद्देश्य	• प्रभावी संगठन निर्माण के कौशल और तकनीकें विकसित करना; • प्रभावी नेतृत्व के कौशल विकसित करना; • प्रतिभागियों को वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों से अवगत कराना; • श्रम कानूनों, विकास कार्यक्रमों और स्कीमों के बारे में जानकारी प्रदान करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	नेतृत्व कौशल की बुनियादी समझ और इसका अपने पर और अन्य लोगों पर प्रभाव, सम्प्रेषण कौशल, निर्णय लेने की प्रक्रिया, वैश्वीकरण और इसका श्रम पर प्रभाव।
प्रशिक्षण पद्धति	कक्षा में व्याख्यान, समूह चर्चाएं, अनुरूपण तकनीकी और भूमिका अदा करना।
कौन भाग ले सकता है	केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों के ट्रेड यूनियन नेता/बागान श्रमिकों के कार्यकर्ता
संकाय	वीवीजीएनएलआई के संकाय सदस्यों के अलावा, ट्रेड यूनियनों के विशेषज्ञों को इस प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
तारीख	28 जुलाई-01 अगस्त 2014
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	**डॉ. रिन्जू रसाइली** rasaily@gmail.com

नेतृत्व कौशल का विकास करना

लक्ष्य	कार्यक्रम का लक्ष्य महिला ट्रेड यूनियन नेताओं के नेतृत्व कौशलों का विकास करना है।
उद्देश्य	• प्रभावी संगठन निर्माण के कौशल और तकनीकों का विकास करना; • प्रभावी नेतृत्व के कौशलों से अभिप्रेरित करना; • प्रतिभागियों को वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों से अवगत कराना; • श्रम कानूनों, विकास कार्यक्रमों और स्कीमों के बारे में जानकारी प्रदान करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	नेतृत्व कौशल का बुनियादी अवबोधन तथा स्वयं एवं अन्यों पर उसका प्रभाव, संचार कौशल, निर्णयन प्रक्रिया, वैश्वीकरण तथा श्रम पर इसका प्रभाव।
प्रशिक्षण पद्धति	कक्षा में व्याख्यान, समूह चर्चाएं, अनुरूपण तकनीकी और भूमिका अदा करना।
कौन भाग ले सकता है	सीटीयू द्वारा प्रायोजित महिला ट्रेड यूनियन नेता।
संकाय	वी वी जी एन एल आई संकाय के अतिरिक्त, ट्रेड यूनियनों से विशेषज्ञ संसाधन व्यक्तियों को सत्र में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
तारीख	07-11 जुलाई 2014, 11-15 अगस्त 2014
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	**डॉ. शशि बाला, डॉ. धन्या एम. बी.** Shashibala.2002@gmail.com, dhanyambala@gmail.com

बागान क्षेत्र में श्रम, उत्पादकता तथा आजीविका

लक्ष्य	बागान क्षेत्र में श्रम, उत्पादकता तथा आजीविका के संबंध में वर्तमान चुनौतियों पर ध्यान देना।
उद्देश्य	पाठ्यक्रम के अंत में प्रतिभागी निम्न कार्य करने में समर्थ होंगे : • बागान क्षेत्र में चल रही स्थिति के संदर्भ को समझना; • वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में श्रम तथा आजीविका के सरोकारों पर ध्यान देना; • संगठित क्षेत्र के ट्रेड यूनियनों तथा लघु उत्पादकों के बीच वार्ता में शामिल होना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में बागान क्षेत्र की प्रांसंगिकता; बागान अर्थव्यवस्था के संगठित तथा असंगठित, दोनों क्षेत्रों में सामयिक चर्चाएं तथा स्थितियां; लघु तथा बड़ी, दोनों संपदाओं के श्रम, आजीविका तथा उत्पादकता सरोकारों की प्रास्थिति का अवबाधन; नवीनतम नीति तथा अन्य अनिवार्यताएं।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, समूह चर्चाएं, मामला अध्ययन तथा श्रव्य-दृश्य प्रस्तुतीकरण
कौन भाग ले सकता है	केंद्रीय ट्रेड यूनियनों तथा बागान क्षेत्र के लघु उत्पादक संघों के प्रतिनिधि।
संकाय	वीवीजीएनएलआई संकाय, क्षेत्र से विशेषज्ञ
तारीख	8-12 दिसंबर 2014
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	**डॉ. रिन्जू रसाइली** rasaily@gmail.com

अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में महिला कर्मकारों के लिए कौशल विकास कार्यनीतियां विकसित करना

लक्ष्य	कार्यक्रम का लक्ष्य अनौपचारिक क्षेत्रों में कौशल विकास कार्यनीतियों के साथ क्षेत्रीय अनुसंधान; ट्रेड यूनियनों और कौशल विकास संस्थानों को उन्नत बनाना है।
उद्देश्य	• अनौपचारिक अर्थव्यवस्था की विशेषताओं और प्रकृति पर चर्चा करना; • अनौपचारिक अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली में कौशल विकास के महत्व को दर्शाना; • कौशल विकास तथा प्रशिक्षण में विभिन्न सामाजिक भागीदारों के अनुभवों को शेयर करना; • अनौपचारिक क्षेत्र के व्यवसायों में कौशल विकास के लिए समुचित कार्यनीतियों पर चर्चा करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	अनौपचारिक क्षेत्र - संकल्पना, अनौपचारिक क्षेत्र में संघटन, अनौपचारिक क्षेत्र में लिंगीय अवधारणा, भारत में कौशल विकास पद्धति, मौजूदा समय में कौशल विकास की महत्ता, कौशल विकास संबंधी मामला अध्ययन, अनौपचारिक क्षेत्र में कौशल विकास की कार्यनीतियां।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, वैयक्तिक और समूह अभ्यास, मामला अध्ययन और अनुभवों का आदान-प्रदान।
कौन भाग ले सकता है	अनुसंधान संस्थानों, कौशल विकास संस्थानों एवं सेंट्रल ट्रेड यूनियनों से कर्मचारी
संकाय	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के संकाय सदस्य तथा क्षेत्र के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ।
तारीख	19-22 मई 2014
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	**डॉ. शशि बाला** shashibala2002@gmail.com

नेतृत्व कौशल में वृद्धि करना : परिवहन कर्मकार

लक्ष्य	परिवहन कर्मकार यूनियनों के कार्यकर्ताओं की संगठन निर्माण क्षमता में वृद्धि करना।
उद्देश्य	• सामान्य रूप से परिवहन उद्योग और विशेष रूप से कर्मकारों की स्थिति के बारे में ज्ञान और जानकारी प्रदान करना; • एक-दूसरे के साथ संप्रेषण में वृद्धि करना; • विभिन्न श्रम कानूनों में कानूनी संरक्षणों पर चर्चा करना; • कल्याण निधियों के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	परिवहन उद्योग का पर्यावलोकन; परिवहन उद्योग की समस्याएं, नेतृत्व शैलियां, सम्प्रेषण कौशल और प्रभावी ट्रेड यूनियन निर्माण।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, मामला अध्ययन और समूह चर्चा।
कौन भाग ले सकता है	केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा परिवहन क्षेत्र से प्रायोजित ट्रेड यूनियन नेता
संकाय	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के आंतरिक संकाय सदस्यों के अलावा, विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित संसाधन व्यक्तियों को इस प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
तारीख	21-25 जुलाई 2014, 15-19 दिसम्बर 2014
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	**डॉ. पूनम एस. चौहान** poonamchauhan@gmail.com

श्रम में लिंगीय मुद्दे

लक्ष्य	श्रम बाजार में लिंगीय मुद्दों की ओर ध्यान देना और उनके अवबोधन को मजबूत करना
उद्देश्य	• लैंगिक पक्षपात के मुद्दे का समाधान संपूर्णतावादी परिप्रेक्ष्य में करना; • प्रतिभागियों की क्षमता बढ़ाना, ताकि वे लिंगीय आधारित अन्याय से निपट सकें; • प्रतिभागियों का अभिविन्यास श्रम कानूनों की ओर करना; • प्रतिभागियों को कार्यस्थल पर यौन-उत्पीड़न के बारे में सुग्राही बनाना; • श्रम की दुनिया में लैंगिक भेदभाव पर चर्चा करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	श्रम में लैंगिक मुद्दे, श्रम बाजार में भेदभाव, लिंग विश्लेषण, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न : मामला अध्ययन, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न : निवारक उपाय और शिकायत तंत्र, कार्यस्थल पर महिलाओं से संबंधित कानून।
प्रशिक्षण पद्धति	कक्षा में व्याख्यान, समूह चर्चा, अनुरूपण तकनीकी और भूमिका अदा करना।
कौन भाग ले सकता है	ट्रेड यूनियन और गैर सरकारी संगठन।
संकाय	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के संकाय सदस्यों के अलावा, अन्य क्षेत्रों से प्रतिष्ठित व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाएगा।
तारीख	28 अप्रैल-02 मई 2014, 22-26 दिसम्बर 2014
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	**डॉ. शशि बाला, डॉ. एलीना सामंतराय** shashibala2002@gmail.com, ellinasamantroy@gmail.com

भारत में जेंडर रिस्पोंसिव बजटिंग

लक्ष्य	इस कार्यक्रम का लक्ष्य प्रतिभागियों को लैंगिक बजट की पहलों, जिनमें लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करने के लिए योगदान देने की संभावना है, की ओर उन्मुख करना है।
उद्देश्य	• लैंगिक तथा बजट संबंधी जानकारी तथा क्षमता बढ़ाना; • निर्णय लेने की प्रक्रिया में बराबर सहभागिता को प्रोत्साहित करना; • लैंगिक प्राकृतिक नीतियों पर अधिक चर्चा करना तथा नीति और बजट आवंटनों के बीच अंतर की पहचान करना; • लैंगिक मुद्दों पर सामाजिक वार्तालाप और पक्ष समर्थन को मजबूत बनाना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	लिंगीय संकल्पना, लिंगीय मुद्दे, मामला अध्ययन तथा लैंगिक नैसर्गिक नीतियां, जेंडर बजटिंग।
प्रशिक्षण पद्धति	प्रशिक्षण पद्धति में प्रस्तुतीकरण, वैयक्तिक तथा सामूहिक अधिगम कार्यकलापों के साथ-साथ प्रतिभागी माहौल तथा सार विषयक सामूहिक कार्य शामिल होगा।
कौन भाग ले सकता है	नीति निर्माता, राष्ट्रीय तथा स्थानीय सरकारी प्रतिनिधि, सरकारी प्रतिनिधि, सिविल सोसायटी प्रतिनिधि, नियोजक तथा कर्मकारों के प्रतिनिधि, इस क्षेत्र के अनुसंधानकर्ता।
संकाय	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के संकाय सदस्यों के अलावा, क्षेत्र में कार्यरत प्रतिष्ठित विशेषज्ञों को इन सत्रों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
तारीख	02-06 जून 2014
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	**डॉ. शशि बाला** shashibala2002@gmail.com

कार्यस्थल पर महिलाओं के कल्याण संबंधी मुद्दे

लक्ष्य	कार्यक्रम का लक्ष्य प्रतिभागियों को कार्यस्थल पर महिलाओं के कल्याण संबंधी मुद्दों के प्रति सुग्राही बनाना है।
उद्देश्य	• यथार्थवादी परिप्रेक्ष्य में लिंग विभेद के मुद्दों को हल करना; • कार्यस्थल पर महिलाओं से संबंधित मुद्दों के प्रति प्रतिभागियों को उन्मुख करना; • महिला कर्मकारों से संबंधित श्रम कानूनों जैसे कि समान पारिश्रमिक अधिनियम, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम से परिचित करवाना; • कार्य स्थल पर यौन-उत्पीड़न पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कानूनी ढांचे पर विचार-विमर्श करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	श्रम में लिंगीय मुद्दे, कार्यस्थल पर महिलाओं से संबंधित कानून अर्थात समान पारिश्रमिक अधिनियम, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न इत्यादि।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, वैयक्तिक और सामूहिक अभ्यास, मामला अध्ययन तथा अनुभव का आदान-प्रदान।
कौन भाग ले सकता है	केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों से ट्रेड यूनियन नेता।
संकाय	वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के अपने संकाय के अतिरिक्त, क्षेत्र के विशेषज्ञों को सत्र में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
तारीख	27-31 अक्तूबर 2014
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	**डॉ. शशि बाला** shashibala2002@gmail.com

लिंग तथा सामाजिक सुरक्षा

लक्ष्य	सामाजिक सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाना तथा उनका प्रभावी क्रियान्वयन।
उद्देश्य	• इस बात का स्पष्ट अवबोधन कराना कि कार्य पर सामाजिक सुरक्षा का क्या अर्थ है। • नवीनतम रूझानों, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों, अच्छी पद्धतियों संबंधी जानकारी प्रदान करना। • प्रभावी प्रवर्तन नीति का अभिकल्पन करने तथा विभिन्न समाजिक सुरक्षा प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रमुख पणधारकों की सहायता करने के उद्देश्य से व्यापक संसाधन भंडार की पेशकश करना। • उक्त प्रक्रिया में शामिल नियोजकों, ट्रेड यूनियन, गैर-सरकारी संगठन तथा पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	कार्य पर सामाजिक सुरक्षा; सामाजिक सुरक्षा किसके लिए; सामाजिक सुरक्षा का महत्व; मुख्य पणधारक; सामाजिक सुरक्षा विधान पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन; सामाजिक सुरक्षा विधान पर भारत; व्यवहारगत सामाजिक सुरक्षा का आकलन करना; सामाजिक सुरक्षा संरक्षण संबंधी जागरूकता बढ़ाना; तथा सामाजिक सुरक्षा संबंधी क्षमता निर्माण।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, वैयक्तिक तथा समूह अभ्यास, समूह चर्चाएं, क्षेत्रीय कार्य, मामला अध्ययन तथा अनुभव का आदान-प्रदान।
कौन भाग ले सकता है	नियोक्ता, ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता, गैर-सरकारी संगठन, श्रम प्रवर्तन अधिकारी।
संकाय	वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान संकाय के अतिरिक्त; क्षेत्र के विशेषज्ञों को सत्रों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
तारीख	05-09 मई 2014
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	**डॉ. शशि बाला** shashibala2002@gmail.com

नेतृत्व कौशल को सुदृढ़ बनाना : बीड़ी कर्मकार

लक्ष्य	बीड़ी कर्मकार यूनियनों के कार्यकर्ताओं की संगठन निर्माण क्षमता को बढ़ाना।
उद्देश्य	• बीड़ी उद्योग के बारे में सामान्य रूप से और कर्मकारों की स्थिति के बारे में विशेष रूप से सूचना और जानकारी प्रदान करना; • अंतर-वैयक्तिक सम्प्रेषण में वृद्धि करना; • विभिन्न श्रम विधानों में विधिक संरक्षणों पर चर्चा करना; • बीड़ी कर्मकारों के लिए कल्याण निधियों के विविध पहलुओं से उन्हें परिचित कराना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	बीड़ी उद्योग की समस्याएं, नेतृत्व शैलियां, संप्रेषण कौशल, बीड़ी उद्योग पर विहंगम दृष्टि, प्रभावी ट्रेड यूनियन निर्माण; और बीड़ी कर्मकार कल्याण अधिनियम और बीड़ी कर्मकार रोजगार विनियमन अधिनियम आदि।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, मामला अध्ययन और समूह चर्चा।
कौन भाग ले सकता है	केंद्रीय ट्रेड यूनियनों से बीड़ी कर्मकारों की ट्रेड यूनियनों/आयोजकों के प्रतिनिधि।
संकाय	वीवीजीएनएलआई के आन्तरिक संकाय सदस्यों के अलावा, विभिन्न क्षेत्रों से प्रख्यात विशेषज्ञों को इस प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
तारीख	19-23 जनवरी 2015, 16-20 मार्च 2015
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	**डॉ. पूनम एस. चौहान** poonamchauhan36@gmail.com

निर्माण उद्योग में उत्तम कार्य को बढ़ावा देना

लक्ष्य	प्रतिभागियों को उत्तम कार्य की आवश्यकता और संकल्पना के प्रति सुग्राही बनाना तथा निर्माण उद्योग में इसे बढ़ावा देने के लिए मुद्दों और कार्यनीतियों पर विचार-विमर्श करना।
उद्देश्य	• प्रतिभागियों को उत्तम कार्य की संकल्पना और घटकों से परिचित करवाना। • विनिर्माण उद्योग में उत्तम कार्य को लागू करने के मार्ग में आने वाली मुख्य चुनौतियों की पहचान करना। • उत्तम कार्य को बढ़ावा देने के मार्ग में आने वाली चुनौतियों के समाधान के लिए अर्थोपाय खोजना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	उत्तम कार्य की संकल्पना, विनिर्माण उद्योग का समस्या क्षेत्र जो उत्तम कार्य को वस्तुतः बाधित करता है, विनिर्माण में उत्तम कार्य के लिए पहलें, उत्तम कार्य को सफलतापूर्वक बढ़ावा देने के महत्वपूर्ण क्षेत्र विनिर्माण में उत्तम व्यवहारों का अनुभव।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, सामूहिक अभ्यास तथा मामला अध्ययन।
कौन भाग ले सकता है	निर्माण कर्मकारों के नेता/यूनियन कार्यकर्ता, नियोक्ता एसोसिएशनों/निर्माण उद्योग के प्रतिनिधि और श्रम अधिकारी।
संकाय	केंद्रीय ट्रेड यूनियनों तथा आन्तरिक संकाय से बाह्य संसाधन व्यक्ति।
तारीख	7-11 अप्रैल 2014
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	**श्री पी. अमिताव खुंटिया** Amitav_1@rediffmail.com

पर्वतीय क्षेत्रों में आजीविका प्रबंधन तथा सामजिक संरक्षण

लक्ष्य	सामाजिक भागीदारों की क्षमता को बढ़ाना तथा पर्वतीय क्षेत्रों में आजीविका तथा सामाजिक सुरक्षा उपायों के संवर्धन तथा समग्र प्रबंधन के लिए कार्य करने हेतु उन्हें अभिप्रेरित करना।
उद्देश्य	• आजीविका तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करना। • प्रतिभागियों को मुद्दों पर कार्रवाई करने में उनकी अपरिहार्य भूमिकाओं के बारे में अवबोधित करना। • नवाचार तथा नवीन विधियों का पता लगाना। • क्षेत्रों में आजीविका तथा सामाजिक सुरक्षा के संवर्धन तथा प्रबंधन के लिए प्रभावी योगदान देने में उन्हें समर्थ बनाना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	पर्वतीय क्षेत्रों से सामाजिक आर्थिक स्थितियों का पर्यावलोकन तथा उभरते मुद्दे, आजीविका तथा सामाजिक सुरक्षा के लिए अवरोधक कारक, जलवायु परिवर्तन तथा हिमखंडों की चुनौतियां। रोजगार में नवाचार तथा बेहतर आजीविक अवसरों के लिए स्थानीय दशाओं के साथ (स्थानीय संसाधन प्रबंधन, उद्यमशीलता विकास) रोजगार में नवाचार तथा कौशल विकास की पहलों का एकीकरण, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, समूह चर्चाएं, सामान्य चर्चा तथा परस्पर बातचीत सत्र।
कौन भाग ले सकता है	जिला स्तरीय प्रशासन से सरकारी पदाधिकारी, गैर सरकारी संगठन कौशल प्रदान करने वाली संस्थाएं तथा क्षेत्रों में सक्रिय ट्रेड यूनियन।
संकाय	वी वी जी एन एल आई संकाय, सरकार, नीति निर्माण, विकास क्षेत्र से बाह्य संसाधन व्यक्ति।
तारीख	28 जुलाई-01 अगस्त 2014
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	**श्री पी. अमिताव खुंटिया** Amitav_1@rediffmail.com

उत्प्रवास और विकास के मुद्दे तथा परिप्रेक्ष्य

लक्ष्य	इस कार्यक्रम का लक्ष्य उत्प्रवास और विकास के बीच संबंधों के अवबोधन को बढ़ाना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अनुसंधानकर्ता और नीति निर्माताओं की क्षमताओं का विकास करना भी है ताकि वे विशेष रूप से अनुसंधान तथा नीति सरोकारों के अर्थ में उत्प्रवास के उभरते मुद्दों की व्याख्या उचित रूप में कर सकें। यह कार्यक्रम उत्प्रवास अध्ययन के क्षेत्र में प्रैक्टिस कर रहे ख्याति प्राप्त व्यक्तियों और अध्येताओं को एक मंच पर लाने का अवसर प्रदान करता है।
उद्देश्य	• उत्प्रवास से संबंधित संकल्पनाओं और सिद्धांतों को समझना। • वैश्विकरण की अर्थव्यवस्था में उत्प्रवास की उभरती प्रवृत्तियों और पैटर्नों की जांच करना। • समसामयिक उत्प्रवास नीतियों के मुख्य घटकों पर विचार करना। • उत्प्रवास की विकासात्मक संभावनाओं का विश्लेषण करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	उत्प्रवास की संकल्पना का निर्माण करना, सैद्धांतिक दृष्टिकोण, उत्प्रवास की व्याख्या करना, उत्प्रवास की उभरती प्रवृत्तियां और विशेषताएं, उत्प्रवास नीतियां, उत्प्रवास और विकास।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, पारस्परिक सत्र, विचार-विमर्श तथा मामला अध्ययन।
कौन भाग ले सकता है	नीति निर्माता, अनुसंधानकर्ता तथा ऐसे सामाजिक भागीदार जो आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय उत्प्रवास मुद्दों पर कार्य कर रहे हैं।
संकाय	संस्थान से संकाय सदस्य, अग्रणी विश्वविद्यालयों से बाहरी संकाय सदस्य, प्रमुख अनुसंधान संस्थाओं के संकाय सदस्य तथा संबंधित सरकारी विभाग।
तारीख	22-25 सितम्बर 2014
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	**डॉ. एस. के. शशिकुमार तथा डॉ. राखी थिमोथी** sasikumarsk2@gmail.com, rakkeethimothy@gmail.com

लिंग, गरीबी और रोजगार

लक्ष्य	इस कार्यक्रम का लक्ष्य यह है कि महिलाएं और पुरूष किस प्रकार रोजगार के अवसरों, कार्यदशाओं, आदि से संतोषजनक लाभ उठा सकते हैं जिनका सीधा असर कार्यस्थल पर उत्पादकता और उनके परिवार के कल्याण पर पड़ता है।
उद्देश्य	• लिंग, गरीबी और रोजगार के बीच अंतःसंबंधों की जांच करना; • लैंगिकता, अनौपचारिकता एवं गरीबी के बारे में समझ विकसित करना। • गरीबी कम करने में लैंगिकता एवं उत्तम कार्य परिप्रेक्ष्य को समझना। • लैंगिकता से संबंधित विकासात्मक मुद्दों के बारे में भागीदारों को सुग्राह्य बनाना और नीति एवं प्लानिंग में लैंगिकता की समझ एवं विश्लेषण में उनकी क्षमता को बढ़ाना। • लिंगीय संवेदी गरीबरोधी तथा रोजगार नीतियों और कार्यक्रमों पर चर्चा करना;
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	लैंगिक, गरीबी तथा रोजगार, संकल्पना नीतियां तथा कार्यक्रम, उत्तम कार्य।
प्रशिक्षण पद्धति	प्रशिक्षण कार्यक्रम एक लचीला कार्यक्रम है तथा इस पाठ्यक्रम के लिए एक संरचना सह प्रतिभागी दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।
कौन भाग ले सकता है	नीति निर्माता, सरकारी प्रतिनिधि, कर्मकारों और नियोक्ता संगठनों के प्रतिनिधि, नागरिक समाज के प्रतिनिधि।
संकाय	वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के संकाय सदस्यों के अतिरिक्त क्षेत्र में विशेषज्ञों को सत्रों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
तारीख	25-29 अगस्त 2014, 19-23 जनवरी 2015
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	**डॉ. शशि बाला, डॉ. एलीना सामंतराय** shashibala2002@gmail.com, ellinasamantroy@gmail.com

युवाओं के नियोजन-योग्य कौशलों की क्षमता को बढ़ाना

लक्ष्य	इस पाठ्यक्रम का लक्ष्य युवाओं के लिए कार्य को सुकर बनाना है।
उद्देश्य	• नियोजन-योग्य कौशलों का विकास; • व्यक्तित्व, नेतृत्व तथा संचार कौशलों को बढ़ाना; • कार्य की दुनिया का अवबोधन।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	व्यक्तित्व तथा संचार कौशलों, वैयक्तिक विकास तथा संचार प्रक्रिया में नेतृत्व की भूमिका सहित नियोजन-योग्य कौशलों का पर्यावलोकन; वैश्वीकृत श्रम बाजार परिदृश्य में युवाओं की सक्षमता।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, चर्चाएं, परस्पर बातचीत सत्र।
कौन भाग ले सकता है	विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों/अनुसंधान संस्थाओं से विद्यार्थी।
संकाय	वी वी जी एन एल आई संकाय, शैक्षणिक संस्था तथा ट्रेड यूनियनों से संसाधन व्यक्ति।
तारीख	04-08 अगस्त 2014, 22-26 दिसम्बर 2014
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	**डॉ. धन्या एम. बी.** dhanyambala@gmail.com

जलवायु परिवर्तन तथा आजीविका संबंधी मुद्दे

लक्ष्य	इस कार्यक्रम का उद्देश्य सहभागियों को, इस बात पर जोर देते हुए कि जलवायु परिवर्तन किस प्रकार निर्धन लोगों और उनकी आजीविका पर प्रभाव डालता है, जलवायु परिवर्तन तथा आजीविका से संबंधित मुद्दों से अवगत कराना, प्रतिभागियों को इन समस्याओं से निपटने तथा वैकल्पिक कार्यनीतियां अपनाने के प्रति जागरूक बनाना है।
उद्देश्य	• श्रम तथा आजीविका और जलवायु परिवर्तन के बीच जुड़ावों को समझना; • संधारणीय विकास तथा आजीविका के संबंध में जलवायु परिवर्तन और चुनौतियां; • जलवायु परिवर्तन के लिए प्रशमन तथा अनुकूलन कार्यनीतिया, मुद्दे और चुनौतियां (हरित रोजगारों की और संक्रमण, नवीकरणीय ऊर्जा आदि, मैक्रो, मेसो तथा माइक्रो स्तरीय प्रतिक्रियाएं); • निरंतर विकास तथा जलवायु परिवर्तन से संबंधित नीतियां (अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर); • जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सामुदायिक नेताओं तथा गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, व्यक्तिगत तथा सामूहिक प्रस्तुतीकरण, श्रव्य-दृश्य सहायक उपकरण आदि।
कौन भाग ले सकता है	केंद्रीय ट्रेड यूनियनों तथा गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि।
संकाय	वीवीजीएनएलआई संस्थान के अपने संकाय सदस्यों के अतिरिक्त, लिंगीय मुद्दों पर कार्य कर रहे प्रसिद्ध विशेषज्ञ व्यक्तियों को बुलाया जाएगा।
तारीख	14-18 अप्रैल 2014
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	**डॉ. राखी थिमोथी** rakkeethimothy@gmail.com

कौशल विकास तथा रोजगार सृजन

लक्ष्य	संपूर्ण विश्व के देशों में अधिक एवं बेहतर गुणवत्ता के रोजगारों का सृजन करना एक आम चुनौती है। विकासशील देशों में यह चुनौती अधिक उभरकर सामने आई है क्योंकि ऐसे देशों में अनौपचारिक क्षेत्र का दायरा बहुत बड़ा है और उसमें अर्द्ध बेरोजगारी और बेरोजगारी की समस्या अत्यधिक है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार सामान्य रूप से लोगों के और विशेष रूप से कर्मकारों के कौशल विकास को बढ़ाने पर अधिक जोर दे रही है ताकि उन्हें रोजगार प्राप्त हो सके और वे उत्कृष्ट रोजगारों में जा सकें।
उद्देश्य	• विकास और रोजगार के साथ व्यावसायिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण के संबंधों को समझना; • व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण पद्धतियों तथा इनके विभिन्न घटकों के संबंध में जानकारी प्राप्त करना; • उन चुनौतियों से निपटने के लिए रोजगार सृजन तथा समुचित कौशल विकास की चुनौतियों को समझना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के साथ व्यावसायिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण के बीच लिंकेज, व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण पद्धतियों तथा विभिन्न घटकों का पर्यावलोकन, व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण का अभिशासन एवं प्रबंधन, कौशल विकास में सार्वजनिक-निजी सहयोग की भूमिका, श्रम बाजार सूचना पद्धति और कौशल विकास, अनौपचारिक क्षेत्र तथा उभरते क्षेत्र में कौशल की मांग का पता लगाना तथा कौशल की कमियों का विश्लेषण करना, व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण तथा श्रम बाजार का वित्तपोषण करना और कौशल विकास नीतियां।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, पारस्परिक बातचीत सत्र, विचार-विमर्श तथा मामला अध्ययन।
कौन भाग ले सकता है	त्रिपक्षीय भागीदार, व्यावसायिक शिक्षा तथा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से जुड़े अधिकारी, शोध संस्थान, प्रशिक्षक तथा अनुदेशक, व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण देने में कार्यरत संगठन/ संस्थान।
संकाय	संस्थान के आंतरिक संकाय के अलावा इस क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाएगा।
तारीख	14-18 अप्रैल 2014, 16-20 जून 2014, 23-27 मार्च 2015
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	**डॉ. अनूप कुमार सतपथी, श्री अतोजीत क्षेत्रिमयूम** anoop.kumarsatpathy@gmail.com, otojit@gmail.com

सामाजिक संरक्षण और आजीविका सुरक्षा

लक्ष्य	अनौपचारिक क्षेत्र के कर्मकारों के लिए संधारणीय आजीविका तथा सामाजिक संरक्षण का अवबोधन विकसित करना।
उद्देश्य	• अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में कर्मकारों द्वारा सामना की जाने वाली असुरक्षा के स्रोतों तथा सामाजिक संरक्षण की आवश्यकता को समझना। • सम्पोषणीय आजीविका तथा सामाजिक संरक्षण प्रदान करने वाले संस्थागत तंत्र की भूमिका को समझना। • सरकार, ट्रेड यूनियनों तथा सामुदायिक नेताओं की भूमिका।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	आजीविका सृजन के कार्यक्रमों पर विहंगम दृष्टि, सामुदायिक प्रयोगों का आदान-प्रदान, सामुदायिक स्तरीय कार्यक्रम की पहल के लिए कार्यनीतियां।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, वैयक्तिक तथा सामूहिक प्रस्तुतीकरण, मामला अध्ययनों का आदान-प्रदान।
कौन भाग ले सकता है	सरकारी अधिकारी और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों से ट्रेड यूनियन प्रतिनिधि।
संकाय	वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के संकाय के अतिरिक्त, शैक्षिक संस्थाओं तथा ट्रेड यूनियनों के विशेषज्ञ बुलाए जाएंगे।
तारीख	26-30 मई 2014
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	**डॉ. रूमा घोष** rumanli@gmail.com

श्रम बाजार और रोजगार नीतियां

लक्ष्य	कार्यक्रम का उद्देश्य संकल्पनाकारी, डिजाइनिंग एवं प्रचालनकारी प्रभावी श्रम बाजार एवं रोजगार नीतियों में संबंधित पणधारियों की क्षमताओं को बढ़ाना है और इससे संबंधित अनुसंधान अध्ययनों को शुरू करना है। कार्यक्रम भागीदारों को अवसर देता है कि उनके पास श्रम बाजार और रोजगार नीतियों के क्षेत्र में प्रसिद्ध स्कॉलर एवं प्रैक्टीशनरों के सहित तीव्र अन्तरपृष्ठ हो।
उद्देश्य	• सामान्यता विश्व के और विशेषतः भारत के श्रम एवं रोजगार परिदृश्य पर सिंहावलोकन प्रदान करना; • श्रम पर विभिन्न स्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त करना; • श्रम बाजार सर्वेक्षण करने के लिए क्षमताओं का विकास करना तथा रोजगार प्रभाव एवं मूल्यांकन अध्ययन।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	संकल्पनाकारी श्रम, श्रम बाजार का उभरता स्वरूप एवं विशेषताएं, क्षेत्रीय सर्वेक्षण करना, श्रम पर डाटा स्रोत, श्रम अनुसंधान में कम्प्यूटर एप्लीकेशन्स परियोजना रिपोर्ट तैयार करना।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, आपसी बातचीत सत्र, चर्चाएं और मामला अध्ययन।
कौन भाग ले सकता है	श्रम बाजार और रोजगार मामलों से संबंधित मध्यम एवं वरिष्ठ स्तरीय अधिकारी एवं पदाधिकारी, अनुसंधानकर्ता, जो श्रम बाजार एवं रोजगार अध्ययनों में विशेषज्ञता-प्राप्त हों।
संकाय	संस्थान से संकाय सदस्य और संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय एवं सरकारी संगठनों, अग्रणी विश्वविद्यालयों एवं प्रमुख अनुसंधान संस्थानों से बाहरी संकाय सदस्य।
तारीख	13-17 अक्तूबर 2014
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	**डॉ. राखी थिमोथी** rakkeethimothy@gmail.com

असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिए सामाजिक सुरक्षा

लक्ष्य	अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा की जरूरत की समझ को विकसित करना।
उद्देश्य	• समाजिक सुरक्षा की संकल्पना के साथ समान भागीदारिता और औपचारिक क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा की जरूरत; • विभिन्न सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रमों की समझ विकसित करना; • विभिन्न माइक्रो स्तरीय सामाजिक सुरक्षा परीक्षणों से भागीदारों को परिचित कराना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	सामुदायिक परीक्षणों, सामुदायिक स्तर के कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए कार्यनीतियों को शेयर करते हुए सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रमों का पर्यावलोकन।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, पारस्परिक बातचीत सत्र, व्यक्तिगत एवं समूह प्रस्तुतीकरण, मामला अध्ययन को शेयर करना।
कौन भाग ले सकता है	सरकारी कर्मचारी और सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि।
संकाय	वीवीजीएनएलआई संकाय, शैक्षणिक संस्थानों एवं ट्रेड यूनियनों से संसाधन व्यक्ति।
तारीख	9-13 जून 2014, 8-12 सितम्बर 2014
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	**डॉ. पूनम एस. चौहान, डॉ. रूमा घोष** Poonamchauhan36@gmail.com runamli@gmail.com

विकास कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सुशासन

लक्ष्य	इस कार्यक्रम का लक्ष्य अच्छे शासन और विभिन्न विकास कार्यक्रमों के साथ भागीदारों की जानकारी को सुदृढ़ बनाना है और कार्य समूह को प्रभावी बनाने के लिए मामलों एवं तंत्र पर चर्चा करना।
उद्देश्य	• अच्छे शासन की संकल्पना, विशेषताओं एवं महत्व को समझना; • प्रचालनरत विभिन्न विकास कार्यक्रमों पर चर्चा करना; • प्रभावी क्रियान्वयन में उत्पन्न मामलों पर चर्चा करना; • प्रभावी निष्पादन व्यवस्था के अर्थोपायों का पता लगाना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	संकल्पना, अच्छे शासन की विशेषताएं, विकास कार्यक्रम, जैसे कि मनरेगा, कौशल विकास पहल, आरएसईटीवाई, आरएसबीवाई, जेएसवाई, एनसीएलपी, आईसीडीएस, बेहतर कार्य निष्पादन हेतु व्यवहारात्मक कौशल, प्रभावी निष्पादन हेतु तंत्र।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, समूह चर्चाएं और सामान्य चर्चा, मंत्रालयों एवं नीति निर्माण निकायों से उच्च अधिकारियों के साथ आपसी बातचीत सत्र।
कौन भाग ले सकता है	सरकारी अधिकारी (ब्लॉक एवं जिलास्तरीय; राज्य स्तरीय) जिन्हें विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कार्य सौंपा गया है और विकास व्यावसायिक।
संकाय	वीवीजीएनएलआई संकाय, मंत्रालयों से अधिकारी नीतिनिर्माता और विकास विशेषज्ञ।
तारीख	02-06 जून 2014
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	**श्री पी. अमिताव खुंटिया** amitav_1@rediffmail.com

तटीय क्षेत्रों में आजीविका एवं सामाजिक संरक्षण का प्रबंधन

लक्ष्य	सामाजिक भागीदारों की क्षमता बढ़ाना और उन्हें समुद्रतटीय क्षेत्रों में आजीविका एवं सामाजिक सुरक्षा उपायों को बढ़ाने एवं समग्र प्रबंधन के संबंध में कार्य करने के लिए प्रेरित करना।
उद्देश्य	• समुद्रतटीय क्षेत्रों में आजीविका एवं सामाजिक सुरक्षा से संबंधित विभिन्न चुनौतियों वाले मामलों, पर चर्चा करना। • प्रतिभागियों को माललों को हल करने में अपने कार्यों की समझने में लक्ष्य बनाना। • नये अवसरों एवं नवीनात्मक विधियों के बारे में चर्चा करना। • उन्हें क्षेत्रों में आजीविका एवं सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने एवं व्यवस्थापन के लिए प्रभावी रूप से सहयोग करने में सक्षम बनाना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	समुद्रतटीय क्षेत्रों और उभरते मामलों में सामाजिक-आर्थिक स्थितियों का अवलोकन, आजीविका एवं सामाजिक सुरखा के लिए निवारक कारक, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां, आपदाओं का सामना करना, बेहतर आजीविका अवसरों के लिए स्थानीय स्थितियों के साथ रोजगार एवं एकीकरण, कौशल विकास पहलों में नवीनता (स्थानीय संसाधन प्रबंधन, उद्यमिता का विकास)। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, समूह चर्चाएं, सामान्य चर्चाएं और आपसी बातचीत सत्र, मामला अध्ययन।
कौन भाग ले सकता है	जिला/राज्य प्रशासन से सरकारी अधिकारी, एनजीओ, कौशल प्रदान करने वाले संस्थान और समुद्रतटीय क्षेत्रों से ट्रेड कार्यकर्ता।
संकाय	वीवीजीएनएलआई संकाय, मंत्रालयों से अधिकारी, नीति निर्माता और विकास विशेषज्ञ।
तारीख	07-11 जुलाई 2014
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	**श्री पी. अमिताव खुंटिया** amitav_1@rediffmail.com

कार्यस्थल में यौन-उत्पीड़न के मामलों के संबंध में संवेदनशीलता को बढ़ाना

लक्ष्य	कार्यक्रम का लक्ष्य कार्यस्थल में यौन-उत्पीड़न मामलों के संबंध में ट्रेड यूनियन नेताओं को संवेदनशील बनाना है।
उद्देश्य	• कार्यस्थल में यौन-उत्पीड़न पर चर्चा करना और उत्पादकता रोजगार/अर्थव्यवस्था में उत्पादकता सहयोग के साथ इसके अन्तःलिकेंज। • कार्य स्थल में यौन-उत्पीड़न को दूर करने के संबंध में कानूनी ढांचे पर चर्चा करना। • कार्यस्थल में यौन-उत्पीड़न से लड़ने के लिए आवश्यक कार्यनीतियों पर चर्चा करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	यौन-उत्पीड़न की संकल्पना, यौन-उत्पीडन से संबंधित झूठ एवं सत्य, यौन-उत्पीड़न के परिणाम एवं प्रभाव, सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश, विधायी पहल।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, व्यक्तिगत एवं समूह अभ्यास, मामला अध्याय और अनुभव बांटना।
कौन भाग ले सकता है	सेंट्रल ट्रेड यूनियन संगठनों से ट्रेड यूनियन लीडर और एनजीओ से प्रतिनिधि।
संकाय	वीवीजीएनएलआई संकाय, यौन-उत्पीड़न के मामले पर कार्य कर रहे वकील/विशेषज्ञ।
तारीख	10-14 नवम्बर 2014
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	**डॉ. शशि बाला** shashibala2002@gmail.com

बाल श्रम कार्यक्रम

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं को प्रभावी बनाना

लक्ष्य	राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के परियोजना निदेशकों की क्षमताओं का निर्माण करना ताकि वे राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना का प्रभावी कार्यान्वयन कर सकें।
उद्देश्य	• प्रभावी पुनर्वास के लिए काम पर बच्चों की पहचान करने का कौशल प्रदान करना; • उन्हें इस कदर क्षमतावान बनाना कि वे बाल श्रमिक परिवारों पर केंद्रित विभिन्न स्कीमों के बीच समानता को अभिप्रेरित कर सकें; • राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के वित्तीय पहलुओं का अवबोधन विकसित करना; • बाल श्रम की रोकथाम और उन्मूलन के लिए सफल अनुभवों का आदान-प्रदान करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	भारत में बाल श्रमिकों पर विहंगम दृष्टि, सहकारी और गैर सरकारी कार्यकलाप राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के दिशानिर्देश, बाल श्रम नीति और विधान, वित्तीय पहलू।
प्रशिक्षण पद्धति	अनुभवजन्य शिक्षण, समूह विचार-विमर्श, परिपूर्ण सत्र, व्याख्यान, वृत्त चित्र, मामला अध्ययन, भूमिका अदा करना।
संकाय	संस्थान के अपने आंतरिक संकाय के अतिरिक्त शिक्षा क्षेत्र से प्रसिद्ध प्रशिक्षक, अधिकारी तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेषज्ञ।
कौन भाग ले सकता है	परियोजना निदेशक, क्षेत्रीय अधिकारी और राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के लेखाकार।
तारीख	09-12 जून 2014
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	**डॉ. हेलन आर. सेकर** helensekarvvgnli@gmail.com

खतरनाक कार्यों से मुक्त करवाए गए बच्चों के संबंध में अभिविन्यास कार्यक्रम

लक्ष्य	राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के विशेष स्कूलों के अध्यापकों की क्षमताओं का विकास करना ताकि वे कार्य से मुक्त करवाए गए बाल श्रमिकों का पुनर्वास कर सकें।
उद्देश्य	• प्रभावी पुनर्वास के लिए कामकाजी बच्चों की पहचान करने का कौशल प्रदान करना; • उनमें इस कदर योग्यता का विकास करना ताकि वे बच्चों का स्कूल प्रतिधारण सुनिश्चित कर सके; • राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के उद्देश्यों तथा विभिन्न पहलुओं का अवबोधन विकसित करना; • बाल श्रम को रोकने और उनके उन्मूलन के सफल अनुभवों का आदान-प्रदान करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	भारत में बाल श्रम पर विहंगम दृष्टि, सरकारी और गैर-सरकारी कार्यकलाप राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के दिशानिर्देश, बाल श्रम नीति और विधान, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं की सफल कहानियां।
प्रशिक्षण पद्धति	अनुभवजन्य शिक्षण, समूह विचार-विमर्श, परिपूर्ण सत्र, व्याख्यान, वृत्त चित्र, मामला अध्ययन, भूमिका अदा करना।
संकाय	संस्थान के अपने आंतरिक संकाय के अतिरिक्त, शिक्षा क्षेत्र से प्रसिद्ध प्रशिक्षक, अधिकारी तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेषज्ञ।
कौन भाग ले सकता है	राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के विशेष स्कूलों की अध्यापिकाएं।
संकाय	वी वी जी एन एल आई संकाय, विकास क्षेत्र के विशेषज्ञ तथा श्रम विभाग के पदाधिकारी।
तारीख	01-04 जुलाई 2014; 02-05 मार्च 2015
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	**डॉ. हेलन आर. सेकर** helensekarvvgnli@gmail.com

अनुसंधान पद्धति कार्यक्रम

श्रम अर्थशास्त्र में अनुसंधान पद्धतियां

लक्ष्य	यह पाठ्यक्रम श्रम अध्ययनों पर अनुसंधान कार्य कर रहे/करने का आशय रखने वाले युवा अनुसंधान अध्येताओं को श्रम अध्ययन संबंधी अनुसंधान संकल्पना करने, उसका डिजाइन तैयार करने और उसका प्रचालन करने का कठोर और पारस्परिक प्रयास करने का अवसर प्रदान करता है। यह पाठ्यक्रम श्रम अध्ययन के क्षेत्र में विख्यात विद्वानों/व्यावसायिकों के साथ गहन परस्पर-संपर्क के अवसर भी उपलब्ध कराता है।
उद्देश्य	• श्रम से संबद्ध विभिन्न संकल्पनाओं और सिद्धांतों को समझना; • विश्व के श्रम परिदृश्य का सामान्य रूप से और भारत के श्रम परिदृश्य का विशेष रूप से पर्यावलोकन; • वैश्वीकरण के संदर्भ में रोजगार और श्रम के क्षेत्र में मुद्दों की गहरी समझ प्राप्त करना; • श्रम अध्ययनों के लिए प्रासंगिक विभिन्न अनुसंधान विधियों और तकनीकों को समझना तथा उन्हें लागू करना; • श्रम के डाटा के विभिन्न स्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त करना; • श्रम अनुसंधान में परिमाणवाचक विधियों तथा कम्प्यूटर एप्लीकेशनों के ज्ञान और कौशल को पैना करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	श्रम के संबंध में सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य, श्रम बाजारों का उभरता हुआ स्वरूप और विशेषताएं, श्रम अनुसंधान की विधियां, श्रम के संबंध में डाटा के स्रोत, प्रमात्रात्मक विधियां, श्रम अनुसंधान में कम्प्यूटर अनुप्रयोग।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, प्रतिभागियों द्वारा अनुसंधान प्रस्ताव/अनुसंधान पत्र तैयार करना और प्रस्तुत करना और मामला अध्ययन।
कौन भाग ले सकता है	विश्वविद्यालयों/कालेजों/अनुसंधान संस्थाओं के युवा शिक्षक और अनुसंधानकर्ता तथा सरकारी संगठनों के व्यावसायिक, जिनका आशय श्रम अनुसंधान और नीति में रूचि का परिशीलन करने का हो, प्रतिभागियों का प्रत्याशित समूह होंगे।
संकाय	संस्थान के संकाय सदस्य और प्रमुख विश्वविद्यालयों/अनुसंधान संस्थाओं के बाह्य संकाय सदस्य।
तारीख	07-18 अक्तूबर 2014
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	**डॉ. अनूप के. सतपथी** anoop.kumarsatpathy@gmail.com

श्रम अनुसंधान में गुणात्मक पद्धतियां

लक्ष्य	पाठ्यक्रम का लक्ष्य गुणात्मक अनुसंधान के क्षेत्र में युवा अनुसंधान अध्येताओं की क्षमताओं का विकास करना है। यह पाठ्यक्रम, श्रम अनुसंधान पर विशेष बल देते हुए, विभिन्न गुणात्मक विधियों और साधनों के समझने के अवबोधन संबंधी कठोर और अन्योन्यक्रिया करने का अवसर प्रदान करता है।
उद्देश्य	• श्रम से संबंधित विभिन्न अवधारणाओं और सिद्धांतों पर कार्रवाई करना; • प्रतिभागियों को गुणात्मक अनुसंधान में विभिन्न विचारधाराओं से अवगत करवाना; • प्रतिभागियों को विभिन्न गुणात्मक पद्धतियों के अवबोधन एवं अनुप्रयोज्यता से सुसज्जित करना; • गुणात्मक आंकड़ों की व्याख्या तथा विश्लेषण को समझना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य, गुणात्मक अनुसंधान की पद्धतियां, गुणात्मक अनुसंधान तकनीकें, गुणात्मक डाटा का विश्लेषण और व्याख्या।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, परस्पर बातचीत सत्र, अनुसंधान प्रस्ताव तैयार करना एवं प्रस्तुत करना।
कौन भाग ले सकता है	विश्वविद्यालयों/कालेजों/अनुसंधान संस्थाओं के युवा शिक्षक और अनुसंधानकर्ता तथा सरकारी संगठनों के प्रोफेशनल जो श्रम नीति और अनुसंधान में अपनी रूचि का परिशीलन करने का आशय रखते हैं।
संकाय	संस्थान के संकाय सदस्य और अग्रणी विश्वविद्यालयों और प्रमुख अनुसंधान संस्थाओं के बाह्य संकाय सदस्य।
तारीख	14-25 जुलाई 2014
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	**डॉ. रूमा घोष** rumanli@gmail.com

माइक्रोवित्त अनुसंधान की विभिन्न पद्धतियां

लक्ष्य	पाठ्यक्रम का उद्देश्य अनुसंधानकर्ताओं को माइक्रो वित्त की गुणात्मकता और मात्रात्मक पद्धतियों का अवबोधन प्रदान करना है।
उद्देश्य	• माइक्रो वित्त अनुसंधान पद्धतियों का पर्याप्त अवबोधन विकसित करना; • गुणात्मक और प्रमात्रात्मक अनुसंधान पद्धतियों पर विहंगम दृष्टि; • माइक्रो वित्त से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों और संकल्पनाओं को समझना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य, गुणात्मक और प्रमात्रात्मक अनुसंधान तकनीकों की पद्धति, अनुसंधान आंकड़ों का विश्लेषण और व्याख्या।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, परिचर्चा, पारस्परिक बातचीत सत्र और व्यावहारिक ज्ञान।
कौन भाग ले सकता है	विश्वविद्यालयों/कालेजों/अनुसंधान संस्थाओं से युवा अध्यापक और अनुसंधानकर्ता और माइक्रो वित्त संस्थाओं से प्रोफेशनल।
संकाय	संस्थान के संकाय सदस्य तथा अग्रणी विश्वविद्यालयों तथा मुख्य अनुसंधान संस्थाओं से बाह्य संकाय।
तारीख	08-19 सितम्बर 2014
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	**डॉ. धन्या एम. बी.** dhanyambala@gmail.com

लिंगीय मुद्दों पर अनुसंधान पद्धतियां

लक्ष्य	पाठ्यक्रम का लक्ष्य युवा अनुसंधानकर्ताओं की श्रम मुद्दों पर लैंगिक अनुसंधान की क्षमता का विकास करना है।
उद्देश्य	• लैंगिक अनुसंधान पर सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य; • लैंगिक अनुसंधान में नारी जाति से संबंधित विभिन्न पद्धतियों और दृष्टिकोणों को समझना; • मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान में इस्तेमाल की जाने वाली जानकारी और पद्धतियों के प्रबल सिद्धांतों का संवेदी अवबोधन; • श्रम अनुसंधान में लिंगीय मुद्दों पर विभिन्न गुणात्मक तथा प्रमात्रात्मक तकनीकों को लागू करना; • प्रतिभागियों को एस पी एस एस, एन यू डी आई एस टी, क्यू एस आर जैसे नए सांख्यिकी पैकेजों से अवगत करवाना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य, गुणात्मक तथा प्रमात्रात्मक अनुसंधान पद्धतियां, लैंगिक अध्ययनों में उभरते मुद्दे, लैंगिक अनुसंधान में कम्प्यूटर एप्लीकेशन का प्रयोग।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, परिचर्चा, पारस्परिक बातचीत सत्र तथा व्यावहारिक ज्ञान।
कौन भाग ले सकता है	विश्वविद्यालयों/कालेजों/अनुसंधान संस्थाओं से युवा शिक्षक और अनुसंधानकर्ता तथा सरकारी संगठनों के प्रोफेशनल्स।
संकाय	संस्थान के संकाय सदस्य और विश्वविद्यालयों तथा अनुसंधान संस्थाओं के विशेषज्ञ तथा संसाधन व्यक्ति।
तारीख	10-21 नवम्बर 2014
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	**डॉ. एलीना सामंतराय** ellinasamantroy@gmail.com

श्रम अनुसंधान में विधियां तथा दृष्टिकोण

लक्ष्य	इस कार्यक्रम का लक्ष्य श्रम अनुसंधान में उभरते मुद्दों को एक अंतरविधात्मक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करना है। यह कार्यक्रम विश्वविद्यालय/कालेज/अनुसंधान संस्थाओं के श्रम तथा रोजगार के विभिन्न अनुसंधानकर्ताओं तथा अध्यापकों के समूह को एक साथ लाएगा। यह कार्यक्रम प्रतिभागियों को श्रम अध्ययनों के क्षेत्र में प्रतिष्ठित अध्येताओं तथा व्यावसायिकों के साथ गहन साक्षात्कार करने का अवसर प्राप्त करेगा।
उद्देश्य	• श्रम से जुड़ी विभिन्न संकल्पाओं तथा सिद्धांतों को समझना; • श्रम अध्ययनों से संगत विभिन्न अनुसंधान विधियों से परिचित करवाना; • बदलते श्रम एवं रोजगार का पर्यावलोकन प्रदान करना; • श्रम संबंधी आंकड़ों के विभिन्न स्रोतों तथा श्रम अनुसंधान के लिए प्रयुक्त पद्धतियों संबंधी जानकारी प्राप्त करना; • श्रम के विभिन्न आयामों पर कठोर अध्ययन करने के लिए क्षमताएं विकसित करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	विभिन्न विधात्मक ढांचों में श्रम की संकल्पना का निर्माण करना तथा सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य, श्रम बाजारों का उभरता स्वरूप तथा विशेषताएं, श्रम संबंधी आंकड़ों के स्रोत, श्रम अनुसंधान में प्रयुक्त प्रमात्रात्मक तथा गुणात्मक विधियों को लागू करना, अनुसंधान रिपोर्ट तैयार करना।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, चर्चाएं, पारस्परिक बातचीत सत्र तथा मामला अध्ययन।
कौन भाग ले सकता है	विश्वविद्यालयों/कालेजों/अनुसंधान संस्थाओं के श्रम तथा रोजगार अध्ययनों के विभिन्न आयामों में विशेषज्ञता प्राप्त अनुसंधानकर्ता तथा अध्यापक।
संकाय	संस्थान से संकाय सदस्य तथा संबंधित अंतर्राष्ट्रीय तथा सरकारी संगठनों एवं अग्रणी विश्वविद्यालयों तथा प्रमुख अनुसंधान संस्थाओं से बाह्य संकाय सदस्य।
तारीख	02-13 फरवरी 2015
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	**डॉ. राखी थिमोथी** rakkeethimothy@gmail.com

श्रम तथा वैश्वीकरण का समाजशास्त्र

लक्ष्य	सामान्यतः अंतरविधात्मक परिप्रेक्ष्य से तथा विशेष रूप से समाज विज्ञानी परिप्रेक्ष्य से वैश्वीकरण तथा श्रम पर इसके प्रभाव का अवबोधन प्रदान करना।
उद्देश्य	• श्रम की संकल्पनाओं, रोजगार संबंधों तथा वैश्वीकरण का पर्यावलोकन प्रदान करना; • भारत में श्रम तथा रोजगार परिदृश्य की रूपरेखा उपलब्ध कराना; • श्रम तथा वैश्वीकरण के संदर्भ में उभरते मुद्दों की जांच करना; • श्रम अनुसंधान संचालन की विभिन्न विधियों तथा दृष्टिकोणों से परिचित करवाना; • गहन अध्ययन संचालित करने के लिए अनुसंधान के संगत क्षेत्र विकसित करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	जबकि पाठ्यक्रम का लक्ष्य भारत जैसे विकासशील समाजों में विद्यार्थियों को प्रमुखतः वैश्वीकरण पर समाज विज्ञानी परिप्रेक्ष्यों तथा श्रम पर इसके प्रभावों से परिचित करवाना है, इसमें राजनीति शास्त्र, विधि, इतिहास, मानव शास्त्र तथा आर्थिकी की विधाओं सहित समाज शास्त्र से भी व्यापक रूप से जानकारी शामिल होगी। इसके अतिरिक्त, इस पाठ्यक्रम में नारीवादी सैद्धांतीकरण तथा श्रम अनुसंधान एवं वैश्वीकरण से महत्वपूर्ण जानकारी शामिल की गई है।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, मामला अध्ययन, समूह कार्य, परियोजना कार्य, पुस्तक/लेख समीक्षाएं; प्रस्तुतीकरण।
कौन भाग ले सकता है	श्रम के क्षेत्र में अनुसंधानकर्ता
तारीख	19-30 जनवरी 2015
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	**श्री अतोजीत क्षेत्रिमयूम** otojit@gmail.com

कार्य, लिंग तथा स्वास्थ्य में अनुसंधान विधियां

लक्ष्य	अध्ययन कार्य, लैंगिक तथा स्वास्थ्य मुद्दों का अध्ययन करने में विभिन्न अनुसंधान विधियों के प्रयोग का अवबोधन प्राप्त करने में विद्यार्थियों/ अनुसंधानकर्ताओं को समर्थ बनाना।
उद्देश्य	• विद्यार्थियों तथा अनुसंधानकर्ताओं की कार्य, लैंगिक तथा स्वास्थ्य के बीच संबंध का संकल्पनात्मक अवबोधन प्राप्त करने में सहायता करना; • उन्हें ऐसी पृच्छाओं का संचालन करने के लिए अनुसंधान साधनों तथा तकनीकों को समझने में समर्थ बनाना; • उन्हें कार्य, लैंगिक तथा स्वास्थ्य के क्षेत्रों में अनुसंधान का परिशीलन करने में पद्धतिबद्ध रूप से सुसज्जित करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	कार्य पर लैंगिक तथा स्वास्थ्य मुद्दों का संकल्पनात्मक अवबोधन, गुणात्मक तथा प्रमात्रात्मक अनुसंधान की विधियां, कार्य, लैंगिक तथा स्वास्थ्य के क्षेत्रों में उभरते मुद्दे।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, समूह चर्चाएं तथा मामला अध्ययन।
कौन भाग ले सकता है	एम एस डब्ल्यू/एम ए समाज शास्त्र/लैंगिक अध्ययनों के विद्यार्थी तथा लैंगिक एवं स्वास्थ्य मुद्दों पर कार्य कर रहे संगठनों में अनुसंधानकर्त्ता।
संकाय	संस्थान से संकाय सदस्य तथा संबंधित अंतर्राष्ट्रीय तथा सरकारी संगठनों एवं अग्रणी विश्वविद्यालयों तथा प्रमुख अनुसंधान संस्थाओं से बाह्य संकाय।
तारीख	02-13 मार्च 2015
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	**डॉ. रिन्जू रसाइली** rasaily@gmail.com

श्रम अध्ययनों में अनुसंधान पद्धतियां

लक्ष्य	भागीदारों को अन्तरविधात्मक ढांचे से अनुसंधान हेतु उभरते श्रम मामलों से अवगत कराना है; श्रम अनुसंधानों में प्रयुक्त विभिन्न विधियों से उनकी जानकारी को सुदृढ़ बनाना, जिन्हें उन्हें श्रम अनुसंधान के क्षेत्र में और सहयोग देने में सक्षम बनाया जा सके।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	अन्तरविधात्मक परिप्रेक्ष्य से श्रम की संकल्पना एवं सिद्धान्त, उभरते श्रम मामले, श्रम बाजार और श्रम बाजार सूचना सिस्टम, अनुसंधान की विधियां, मांत्रात्मक, गुणात्मक और इथनोग्राफिक, श्रम में अनुसंधान हेतु डाटा स्रोत, सांख्यिकी एवं कम्प्यूटर एप्लीकेशन, रिपोर्टें तैयार करना।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, चर्चाएं, परस्पर बातचीत सत्र, समूह कार्य एवं प्रस्तुतीकरण।
कौन भाग ले सकता है	विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/अनुसंधान संगठनों के अनुसंधान अध्येता, अध्यापक और श्रम अनुसंधान के क्षेत्र में लगे व्यावसायिक।
संकाय	संस्थान के संकाय सदस्य, शैक्षणिक संस्थानों से बाहरी स्रोत व्यक्ति, नीतिनिर्माता निकाय, अनुसंधान संस्थान।
तारीख	01-12 दिसम्बर 2014
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	**श्री पी. अमिताव खुंटिया** amitav_1@rediffmail.com

स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर कार्यक्रम

वैश्विक अर्थव्यवस्था में लिंग, कार्य और स्वास्थ्य

लक्ष्य	अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में ऐसे जोखिमों और स्वास्थ्य समस्याओं का अवबोधन विकसित करना जिनका सामना महिला कर्मकारों को करना पड़ता है।
उद्देश्य	• उन विशिष्ट जोखिमों और स्वास्थ्य समस्याओं पर परिचर्चा करना जिनका सामना अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में कार्यरत महिलाओं को करना पड़ता है; • महिला कर्मकारों के कार्य से संबंधित स्वास्थ्य नीतियों और कार्यक्रमों की आवश्यकता को, विशेष रूप से विकासशील देशों के संदर्भ में समझना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	उत्पादन के वैश्वीकरण, सस्ते और लचीले श्रम की आवश्यकता तथा महिला कर्मकारों के स्वास्थ्य जोखिम के संबंधों को समझना।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, पारस्परिक बातचीत सत्र, वैयक्तिक और सामूहिक प्रस्तुतीकरण, मामला अध्ययनों का आदान-प्रदान।
कौन भाग ले सकता है	सरकारी अधिकारी और ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि।
संकाय	वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के संकाय सदस्य, शैक्षिक संस्थाओं तथा ट्रेड यूनियनों से संसाधन व्यक्ति।
तारीख	12-16 जनवरी 2015
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	**डॉ. रूमा घोष** rumanli@gmail.com

स्वास्थ्य सुरक्षा और कामगारों का संरक्षण

लक्ष्य	अनौपचारिक रोजगार में कर्मकारों की स्वास्थ्य संबंधी असुरक्षाओं को समझने में प्रतिभागियों को समर्थ बनाना तथा आधारिक स्तर के स्वास्थ्य सुरक्षा नेटवर्क का विकास करना।
उद्देश्य	• अनौपचारिक रोजगार में कर्मकारों की स्वास्थ्य संबंधी असुरक्षाओं पर चर्चा करना; • प्रतिभागियों को अनौपचारिक नियोजन में कर्मकारों के लिए विभिन्न स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमों तथा विकल्पों से परिचित कराना; • माइक्रो स्तरीय सामाजिक बीमा तथा समुदाय बीमा उपायों पर चर्चा करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	माइक्रो स्तरीय मामला अध्ययनों पर चर्चा करना, माइक्रो स्तरीय स्वास्थ्य सुरक्षा नेटवर्क के निर्माण हेतु क्षमता का विकास करना।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, श्रव्य-दृष्य प्रस्तुतीकरण, समूह चर्चाएं तथा आधारिक स्तरीय उपायों के मामला अध्ययन।
कौन भाग ले सकता है	सरकारी पदाधिकारी तथा ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि।
संकाय	संस्थान का अपना संकाय सदस्य तथा क्षेत्र में सुप्रसिद्ध विशेषज्ञ।
तारीख	23-27 फरवरी 2015
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	**श्री पी. अमिताव खुंटिया** Amitav_1@rediffmail.com

कार्यस्थल स्वास्थ्य और सुरक्षा : मुद्दे तथा चुनौतियां

लक्ष्य	कार्यस्थल स्वास्थ्य तथा सुरक्षा के मुद्दों तथा चुनौतियां संबंधी स्पष्टता लाना।
उद्देश्य	• कार्यस्थल पर स्वास्थ्य तथा सुरक्षा के महत्व पर समस्या के अवबोधन, अनुपालन तंत्र तथा विनियामक प्रावधान के जरिए विशिष्ट प्रकाश डालना; • उपलब्ध राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विनियामक ढांचे का पर्यावलोकन प्रदान करना; • उन संगत मुद्दों को उठाना और उन पर चर्चा करना, जो नीति निर्माण में समर्थ हों।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	कार्य-स्थल स्वास्थ्य तथा सुरक्षा का संकल्पनात्मक अवबोधन; मामला अध्ययनों के माध्यम से समस्या के परिमाण का पर्यावलोकन, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विनियामक ढांचे, नीतिगत सिफारिशें तथा विधायी संशोधन।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, समूह चर्चा, मामला अध्ययन तथा श्रव्य-दृश्य प्रस्तुतीकरण।
कौन भाग ले सकता है	केंद्र तथा अन्य ट्रेड यूनियनों के दोनों क्षेत्रों जिनमें विनिर्माण, शिप ब्रेकिंग उद्योग इत्यादि शामिल है; नियोक्ता संगठन, सरकारी विभागों (मुख्य कारखाना निरीक्षण, डी जी फासली इत्यादि) से प्रतिनिधि।
संकाय	वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के संकाय सदस्य और अन्य बाहरी विशेषज्ञ।
तारीख	05-09 जनवरी 2015
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	**डॉ. रिन्जू रसाइली** rasaily@gmail.com

अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

कौशल विकास तथा रोजगार सृजन पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

लक्ष्य	संपूर्ण विश्व के देशों में अधिक एवं बेहतर गुणवत्ता रोजगारों का सृजन करना एक आम चुनौती है। विकासशील देशों में यह चुनौती अधिक उभर कर सामने आई है क्योंकि ऐसे देशों में अनौपचारिक क्षेत्र का दायरा बहुत बड़ा है और उसमें अर्द्ध बेरोजगारी और बेरोजगारी की समस्या अत्यधिक है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार सामान्य रूप से लोगों के और विशेष रूप से कर्मकारों के कौशल विकास को बढ़ाने पर अधिक जोर दे रही है ताकि उन्हें रोजगार प्राप्त हो सके ओर वे उत्कृष्ट रोजगार प्राप्त कर सकें।
उद्देश्य	• विकास और रोजगार के साथ व्यावसायिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण के बीच संबंधों को समझना; • व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण पद्धतियों तथा इसके विभिन्न घटकों के संबंध में जानकारी प्राप्त करना; • रोजगार सृजन की चुनौतियों को समझना तथा उन चुनौतियों से निपटने के लिए उपयुक्त सक्रिय श्रम बाजार कौशल विकास नीतियों का अभिकल्पन।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के साथ व्यावसायिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण के बीच आपसी संबंध, व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण पद्धतियों तथा इसके विभिन्न घटकों का पर्यावलोकन, व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण का अभिशासन एवं प्रबंधन, कौशल विकास में सार्वजनिक निजी सहयोग की भूमिका, श्रम बाजार सूचना पद्धति और कौशल विकास, कौशल अंतर विश्लेषण और अनौपचारिक तथा उभरते क्षेत्र में कौशल मांग की पहचान करना, व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण तथा श्रम बाजार का वित्तपोषण करना और कौशल विकास नीतियां।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, पारस्परिक सत्र, विचार-विमर्श तथा मामला अध्ययन।
कौन भाग ले सकता है	सरकारी अधिकारी, व्यावसायिक शिक्षा तथा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से जुड़े अधिकारी, प्रशिक्षक तथा अनुदेशक, शोध संस्थान, व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण देने में कार्यरत संगठन और संस्थाएं। यह कार्यक्रम विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित विदेशी राष्ट्रिकों के लिए है।
संकाय	संस्थान के संकाय के अलावा इस क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न अन्य विशेषज्ञ।
तारीख	11-29 अगस्त 2014
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	**डॉ अनूप कुमार सतपथी** anoop.kuamrsatpathy@gmail.com

श्रम में लिंगीय मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

लक्ष्य	श्रम बाजार में लिंगीय मुद्दों के अवबोधन पर ध्यान देना और उसे सुदृढ़ बनाना और समुचित नैगम नीतियां विकसित करने के लिए लैंगिक तथा महिला श्रम के मुद्दों के अवबोधन को बढ़ाना।
उद्देश्य	• लिंगीय मुद्दों में सामाजिक वार्तालाप के महत्व पर चर्चा करना। • प्रतिभागियों की क्षमता में बढ़ोतरी करना ताकि वे लिंगीय आधारित अन्याय पर आवश्यक कार्रवाई कर सकें। • प्रतिभागियों को कानूनी ढांचे के प्रति उन्मुख कराना ताकि कार्य की दुनिया में समानता को बढ़ावा दिया जा सके। • प्रतिभागियों को कार्य स्थलों पर यौन उत्पीड़न के प्रति सुग्राही बनाना। • कार्य की दुनिया में लिंग भेदभाव से संबंधित दृष्टिकोण और मुख्य संकल्पनाओं पर चर्चा करना। • लिंगीय तथा उत्तम कार्य परिप्रेक्ष्य के बीच अंतरसंबंधों की जांच करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	लैंगिकता से संबंधित संकल्पनाएं और दृष्टिकोण, लिंग एवं श्रम बाजार, महत्वपूर्ण वृद्धि लिंगीय समानता सकारात्मक नीतियां, यौन-उत्पीड़न को रोकना, गुणवत्ता शिक्षा की पहुंच, उत्तम कार्यस्थल आदि।
प्रशिक्षण पद्धति	प्रशिक्षण पद्धति मूलतः प्रतिभागी है और वार्ताकारी है तथा प्रतिभागियों के पास उपलब्ध कुल समय का पूरा उपयोग किया जाता है। प्रतिभागियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्यक्रम के दौरान व्याख्यान, चर्चाओं, मामला अध्ययनों, श्रव्य-दृश्य साधनों, पुस्तकालय और पठन कार्यों, आवधिक मूल्यांकन, देश विशिष्ट परियोजना कार्य, औद्योगिक इकाइयों के क्षेत्र दौरों जैसी पद्धतियों का उपयोग किया जाएगा। संस्थान के उच्च अर्हताप्राप्त और अनुभवी अंतर्विषयक प्रमुख संकाय सदस्यों के अलावा, प्रख्यात प्रशासक, मध्यस्थ, अधिवक्ता, विशेषज्ञ, ट्रेड यूनियन नेता, वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी और शिक्षाविद संसाधन व्यक्तियों के रूप में उपलब्ध होंगे।
कौन भाग ले सकता है	सरकारी विभागों, संस्थाओं के अधिकारी, कर्मचारी/नियोक्ता संगठनों के प्रतिनिधि, औद्योगिक और सेवा क्षेत्र/गैर सरकारी संगठनों, आदि के कार्यकारी अधिकारी।
संकाय	आंतरिक संकाय सदस्यों के अलावा, क्षेत्र में कार्यरत अन्य प्रतिष्ठित विशेषज्ञ।
तारीख	08-26 सितम्बर 2014
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा, भारत
पाठ्यक्रम निदेशक	**डॉ. शशि बाला** Shashibala2002@gmail.com

नेतृत्व विकास पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

लक्ष्य	विकासशील देशों के प्रतिभागियों में नेतृत्व के बारे में अवबोधन, अभिक्षमता और सकारात्मक रूख विकसित करना।
उद्देश्य	• विभिन्न नेतृत्व पद्धतियों में साझेदारी और अनुभवों का आदान-प्रदान करना; • अंतर-वैयक्तिक और अंतर-समूह संबंधों की नेतृत्व गतिशीलता के बारे में पूरी जानकारी मुहैया करना; • प्रभावी वाक्-कौशल और श्रवण कौशल पर विशेष बल देते हुए संचार कौशल विकसित करना; • कार्यस्थल पर प्रबंधन तथा विवाद सुलझाने का कौशल विकसित करना • कार्य, अपने से वरिष्ठ अधिकारियों, समकक्ष अधिकारियों और अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रति सकारात्मक रूख अपनाना; • अधीनस्थों की प्रभावकारिता बढ़ाने के लिए पर्यवेक्षण, समन्वय और प्रेरण के लिए व्यवहार कौशल और अंतर्दृष्टि को पैना बनाना; • वैश्वीकरण के संदर्भ में बदले श्रम बाजार और रोजगार संबंधों के परिदृश्य को समझना; • श्रम प्रशासन की विभिन्न पद्धतियों और दृष्टिकोणों की जांच करना; • भावनात्मक बुद्धिमता की संकल्पना और उसके प्रयोग को समझना; और • समय का कारगर ढंग से प्रबंध करने का ज्ञान प्राप्त करना; • प्रतिकूल प्रबंधन कौशल में वृद्धि करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	वैश्वीकृत विश्व में नेतृत्व : नेतृत्व गतिशीलता, नेतृत्व की संकल्पना को समझना, नेतृत्व शैलियां, विजनरी नेतृत्व, वैश्वीकरण और विश्व बाजार तथा श्रम, प्रेरणादायक शैलियां, सम्प्रेषण कौशल, सकारात्मक रूख का विकास, मानव संसाधन प्रबंधन, व्यक्तिगत तथा संगठनात्मक प्रभावकारिता विकसित करना, प्रभावपूर्ण विवाद प्रबंधन, अंतरा और अंतर-वैयक्तिक संबंध, तनाव प्रबंधन।
प्रशिक्षण पद्धति	कार्य पद्धति मूलतः प्रतिभागितापूर्ण है और वार्ताकारी है तथा प्रतिभागियों के पास उपलब्ध कुल समय का पूरा उपयोग किया जाता है। प्रतिभागियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्यक्रम के दौरान व्याख्यान चर्चाओं, मामला अध्ययनों, श्रव्य-दृश्य साधनों, पुस्तकालय और पठन कार्यों, आवधिक मूल्यांकन, देश विशिष्ट परियोजना कार्य, औद्योगिक इकाइयों के क्षेत्र दौरों जैसी पद्धतियों का उपयोग किया जाएगा।
कौन भाग ले सकता है	सरकारी विभागों, संस्थानों के अधिकारी, कर्मचारी/नियोक्ता संगठनों के प्रतिनिधि, औद्योगिक और सेवा क्षेत्रक से कार्यपालक और प्रशासनिक कार्य से जुड़े अन्य अधिकारी आदि। यह कार्यक्रम विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रयोजित विदेशी नागरिकों के लिए है।
संकाय	संस्थान के उच्च अर्हताप्राप्त व अनुभवी अंतर-विषयक प्रमुख संकाय सदस्यों के अलावा, प्रख्यात प्रशासक, मध्यस्थ, अधिवक्ता, विशेषज्ञ, ट्रेड यूनियन नेता, वरिष्ठ कार्यपालक और शिक्षाविद स्रोत व्यक्ति के रूप में उपलब्ध होंगे।
तारीख	13-31 अक्तूबर 2014
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा, भारत
पाठ्यक्रम निदेशक	**डॉ. पूनम एस. चौहान** poonamchauhan36@gmail.com

वैश्विक अर्थव्यवस्था में श्रम और रोजगार संबंधों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

लक्ष्य	इस पाठ्यक्रम का लक्ष्य वैश्विक अर्थव्यवस्था की सामाजिक और आर्थिक नीतियों के प्रभावी प्रबंधन में लगे श्रम और रोजगार संबंधी सामाजिक भागीदारों के अवबोधन और क्षमता का विकास करना है।
उद्देश्य	• वैश्वीकरण के संदर्भ में परिवर्तनशील श्रम बाजार और रोजगार संबंधों के परिदृश्य को समझना और उसका मूल्यांकन करना; • श्रम की दुनिया में परिवर्तनों के संदर्भ में सामाजिक भागीदारों की बदलती भूमिकाओं के बारे में ज्ञान अर्जित करना; • श्रम प्रबंधन पद्धतियों के नए स्वरूपों के संबंध में जानकारी हासिल करना और अनुभवों का आदान-प्रदान करना; • कार्य, वरिष्ठ अधिकारियों, सहयोगियों तथा अधीनस्थ कर्मचायों के प्रति सकारात्मक रूख विकसित करना; और • पर्यवेक्षण, समन्वय और प्रेरणा के लिए व्यवहारात्मक कौशल एवं पूरी जानकारी में वृद्धि करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	वैश्वीकरण और श्रम बाजार परिणाम; वैश्वीकरण और बदलते रोजगार संबंध; श्रम बाजार सूचना को सुदृढ़ बनाना; श्रम विधियां; नवीनतम प्रवृत्तियां; नई श्रम प्रबंधन पद्धतियों पर मामला अध्ययन; अनौपचारिक क्षेत्र में श्रम; श्रम में लैंगिक मुद्दे; श्रमिक उत्प्रवास, श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा; बाल श्रम; कौशल विकास; व्यावहारिक कौशल यथा नेतृत्व, कौशल संप्रेषण और रचनात्मकता, प्रतिभागियों द्वारा परियोजना रिपोर्टें।
प्रशिक्षण पद्धति	प्रशिक्षण पद्धति मूलतः सहभागितापूर्ण है। शिक्षण के लिए अपनाए जाने वाली विभिन्न विधियों में ये शामिल हैं : व्याख्यान, समूह चर्चाएं, मामला अध्ययन, देश विशिष्ट परियोजना और अध्ययन दौरों की तैयारी और प्रस्तुतीकरण।
कौन भाग ले सकता है	सरकार के वरिष्ठ और मध्यम स्तर के पदाधिकारी; नियोक्ता संघ; श्रम और सामाजिक नीति में कार्यरत ट्रेड यूनियनें तथा संस्थाओं को भी अंग्रेजी का कार्यसाधक ज्ञान होना चाहिए। यह कार्यक्रम विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित विदेशी नागरिकों के लिए है।
संकाय	संस्थान के उच्च अर्हताप्राप्त और अनुभवी आंतरिक प्रमुख संकाय के अलावा, प्रतिष्ठित प्रशासक, परामर्शदाता मध्यस्थ, अधिवक्ता, विशेषज्ञ, ट्रेड यूनियनों के नेता, वरिष्ठ कार्यपालक और शिक्षाविद संसाधन व्यक्तियों के रूप में कार्य करेंगे।
तारीख	10-28 नवम्बर 2014
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	**डॉ. एस. के. शशिकुमार** sasikumarsk2@gmail.com

विकास और सामाजिक सुरक्षा उपायों के प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

लक्ष्य	इस कार्यक्रम का लक्ष्य प्रतिभागियों को कारगर सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों से अवगत कराना और माइक्रो-स्तरीय सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क शुरू करने की तकनीकें और कार्यनीतियां विकसित करना है।
उद्देश्य	• सामाजिक सुरक्षा की संकल्पनाओं से अवगत कराना; • सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों से परिचित कराना; • स्वयं सहायता सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क विकसित करना; • विभिन्न माइक्रो स्तरीय सामाजिक सुरक्षा प्रयोगों से परिचित कराना; • सामाजिक सुरक्षा उपाय और नेटवर्क विकसित करना; • माइक्रो स्तर के सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क को शुरू करने की तकनीकें और कार्यनीतियां।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	सामाजिक सुरक्षा और अनौपचारिक क्षेत्र कर्मकार, सामाजिक सुरक्षा की समस्याओं और मुद्दों का पता लगाना; विकास के लिए कार्यक्रम और स्कीमें; अनौपचारिक क्षेत्र के लिए सामाजिक सुरक्षा - विधिक तंत्र; माइक्रो स्तर के सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क को शुरू करने की तकनीकें और कार्यनीतियां; सामाजिक सुरक्षा के लिए क्षमता निर्माण, संघटन के लिए संप्रेषण कौशल; सामाजिक सुरक्षा पद्धतियों के माइक्रो स्तरीय अनुभव का आदान-प्रदान; कार्य योजना।
प्रशिक्षण पद्धति	प्रशिक्षण पद्धति मूलतः प्रतिभागितापूर्ण है और वार्ताकारी है तथा प्रतिभागियों के पास उपलब्ध कुल समय का पूरा उपयोग किया जाता है। प्रतिभागियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्यक्रम के दौरान व्याख्यान, चर्चाओं, मामला अध्ययनों, श्रव्य-दृश्य साधनों, पुस्तकालय और पठन कार्यों, आवधिक मूल्यांकन, देश विशिष्ट परियोजना कार्य, औद्योगिक इकाइयों के क्षेत्र दौरों जैसी पद्धतियों का उपयोग किया जाएगा। संस्थान के उच्च अर्हताप्राप्त और अनुभवी अंतर विषयी प्रमुख संकाय के अलावा, प्रख्यात प्रशासक, परामर्शदाता, अधिवक्ता, विशेषज्ञ, ट्रेड यूनियन नेता, वरिष्ठ कार्यपालक और शिक्षाविद संसाधन व्यक्तियों के रूप में उपलब्ध होंगे।
कौन भाग ले सकता है	सरकारी अधिकारी, सिविल सोसायटी संगठनों के प्रतिनिधि, नियोक्ता/कर्मचारी संगठनों से अधिकारी, संस्थान और उद्योग सेवा क्षेत्रक/गैर सरकारी संगठनों आदि के अधिकारी। यह कार्यक्रम विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित विदेशी नागरिकों के लिए है।
संकाय	संस्थान के आंतरिक संकाय के अलावा, इस क्षेत्र के अन्य प्रतिष्ठित विशेषज्ञ।
तारीख	01-19 दिसम्बर 2014
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा, भारत
पाठ्यक्रम निदेशक	**श्री अतोजीत क्षेत्रिमयूम** otojit@gmail.com

श्रम अध्ययन में अनुसंधान पद्धतियों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

लक्ष्य	यह पाठ्यक्रम श्रम अध्ययनों पर अनुसंधान कर रहे/करने के इच्छुक अनुसंधानकर्ताओं और अभ्यासकर्ताओं को श्रम अध्ययनों संबंधी अनुसंधान की संकल्पना करने, उसका डिजाइन तैयार करने और प्रचालन करने का कठोर और पारस्परिक प्रयास करने का अवसर प्रदान करता है। यह पाठ्यक्रम श्रम अध्ययनों के क्षेत्र में विख्यात स्कॉलरों/प्रैक्टीशनरों के साथ सघन रूप से परस्पर - संपर्क के अवसर भी उपलब्ध कराता है।
उद्देश्य	• श्रम से संबंधित विभिन्न संकल्पनाओं और सिद्धांतों को समझना; • सामान्य रूप से विश्व के और विशेष रूप से विकासशील देशों के श्रम परिदृश्य का एक पर्यावलोकन मुहैया करना; • वैश्वीकरण के संदर्भ में रोजगार और श्रम के उभरते हुए मुद्दों के बारे में गहरा अवबोधन प्राप्त करना; • श्रम अध्ययनों से संगत विभिन्न अनुसंधान पद्धतियों और तकनीकों को समझना और उनका उपयोग करना; • श्रम के डाटा के विभिन्न स्रोतों का ज्ञान प्राप्त करना; • श्रम अनुसंधान में कम्प्यूटर एप्लीकेशनों के बारे में ज्ञान और कौशल को तेज करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	श्रम संकल्पना; श्रम अध्ययनों के लिए सैद्धांतिक दृष्टिकोण; श्रम बाजार का उभरता हुआ स्वरूप और विशेषताएं; श्रम अनुसंधान की पद्धतियां; क्षेत्र सर्वेक्षण करना; श्रम संबंधी डाटा के स्रोत; श्रम अनुसंधान में कम्प्यूटर एप्लीकेशन; परियोजना रिपोर्ट तैयार करना।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, पारस्परिक बातचीत सत्र, चर्चाएं और मामला अध्ययन।
कौन भाग ले सकता है	विश्वविद्यालयों/कालेजों/अनुसंधान संस्था से अनुसंधानकर्ता और श्रम अनुसंधान तथा नीति में अपनी रूचियों का अनुसरण कर रहे/करने के इच्छुक सरकारी संगठनों के व्यावसायिकों से प्रतिभागियों के प्रत्याशित समूह का निर्माण होगा। विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित यह कार्यक्रम विदेशी नागरिकों के लिए है। प्रतिभागियों को अंग्रेजी का कार्यसाधक ज्ञान भी होना चाहिए।
संकाय	संस्थान के संकाय सदस्य और अग्रणी विश्वविद्यालयों तथा प्रमुख अनुसंधान संस्थाओं के बाह्य संकाय सदस्य।
तारीख	09-27 फरवरी 2015
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा, भारत
पाठ्यक्रम निदेशक	**डॉ. एस. के. शशिकुमार** sasikumarsk2@gmail.com

स्वास्थ्य संरक्षण तथा सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

लक्ष्य	स्वास्थ्य क्षेत्र में बाजारोन्मुख सुधार से संसाधनों के आबंटन और इस्तेमाल में निम्न क्षमता बढ़ती असमानता के साथ-साथ स्वास्थ्य सुरक्षा सेवाओं में गरीब लोगों की क्षमता कम हुई है। यह स्थिति उन लोगों के लिए ज्यादा स्वास्थ्य असुरक्षा पैदा करती है जिनके लिए बीमारी के बड़े जोखिम है लेकिन उन्हें सामाजिक संरक्षण प्राप्त नहीं है जैसे कि अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में काम कर रहे कर्मकार।
उद्देश्य	• कामगारों के स्वास्थ्य जोखिमों तथा असुरक्षाओं की पहचान करना; • स्वास्थ्य संरक्षण के मुद्दों तथा कार्यस्थल पर इसे बढ़ावा देने का अवबोधन; • स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली तथा स्वास्थ्य वित्त पोषण में आए बदलावों के प्रभाव को समझना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	• पर्याप्त स्वास्थ्य संरक्षण तक सार्वभौमिक पहुंच, जिसमें उन पर ज्यादा ध्यान दिया जाना है जो आधारभूत सामाजिक सुरक्षा नेट तक पहुंच नहीं बना सके हैं जिसमें बेरोजगार तथा अनौपचारिक कार्य करने वाले कामगार शामिल हैं। • सामाजिक सुरक्षा (न्यूनतम मानक) पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय, 102 से संबंधित मुद्दों जैसे स्वास्थ्य देखभाल, परिवार लाभ, बीमारी, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, अक्षमता, रोजगार के दौरान लगी चोटें, प्रसूति और अर्जक की हानि आदि मुद्दों पर विचार करना। • स्वास्थ्य संरक्षण स्कीमों के निजीकरण से संबंधित मुद्दों पर कार्रवाई करना और स्वास्थ्य लाभ से संबंधित सामाजिक भागीदारों की घटती संलिप्तता पर कार्रवाई करना।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, सामूहिक चर्चा, मामला अध्ययन, दृश्यश्रव्य साधन, वृत चित्र तथा व्यवहारवादी विज्ञान प्रक्रियाएं।
कौन भाग ले सकता है	सरकार, ट्रेड यूनियनों, नियोजक संगठनों तथा उद्योग जगत से वरिष्ठ तथा मध्यम स्तरीय पदाधिकारी, जो स्वास्थ्य मुद्दों में कार्यरत हैं। यह कार्यक्रम विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित विदेशी नागरिकों के लिए है।
संकाय	संस्थान के संकाय सदस्य तथा क्षेत्र के जाने माने विशेषज्ञ।
तारीख	09-27 मार्च 2015
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा, भारत
पाठ्यक्रम निदेशक	**डॉ. रूमा घोष** rumanli@gmail.com

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कार्यक्रम

श्रम कानूनों के मूलभूत तत्व

लक्ष्य	कार्यक्रम का लक्ष्य प्रतिभागियों को श्रम विधान और हाल के श्रम विधिशास्त्र के संदर्भ की जानकारी प्रदान करना है।
उद्देश्य	• औद्योगिक संबंध कानून की सारभूत और साथ ही प्रक्रिया संबंधी विषय-वस्तु की जानकारी प्राप्त करना; • सामाजिक सुरक्षा विधानों की समझ प्राप्त करना; • मजदूरी कानून के बारे में पूरी जानकारी विकसित करना; • संविदा श्रम से संबंधित कानून की समझ विकसित करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	औद्योगिक संबंध कानून, की मुख्य विशेषताएं जिनमें ट्रेड यूनियन अधिनियम, औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम और औद्योगिक विवाद अधिनियम शामिल हैं, की मुख्य विशेषताएं, सामाजिक सुरक्षा कानूनों, जिनमें कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, उपदान संदाय अधिनियम शामिल हैं, के उद्देश्य और खास-खास बातें और मजदूरी से संबंधित कानून शामिल हैं।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, समूह चर्चाएं, अनुभवों का आदान-प्रदान और पैनल चर्चा।
कौन भाग ले सकता है	पूर्वोत्तर राज्यों के श्रमिक नेता और पूर्वोत्तर राज्यों से गैर सरकारी संगठन।
संकाय	श्रम प्रशासन, शैक्षणिक और ट्रेड यूनियनों से अनुभवी व प्रख्यात व्यक्ति।
तारीख	30 जून-04 जुलाई 2014, 12-16 जनवरी 2015
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा, भारत
पाठ्यक्रम निदेशक	**डॉ. संजय उपाध्याय, श्री अतोजीत क्षेत्रिमयूम** sanjaynli@gmail.com, otojit@gmail.com

नेतृत्व विकास कार्यक्रम

लक्ष्य	कार्यक्रम का लक्ष्य पूर्वोत्तर राज्यों के ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं के नेतृत्व कौशल में वृद्धि करना है।
उद्देश्य	• प्रभावी संगठन निर्माण के कौशल और तकनीकें विकसित करना; • प्रभावी नेतृत्व के कौशल विकसित करना; • प्रतिभागियों को वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों से अवगत कराना; • श्रम कानूनों, विकास कार्यक्रमों और स्कीमों के बारे में जानकारी प्रदान करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	नेतृत्व कौशल की बुनियादी समझ और इसका स्वयं पर और दूसरे लोगों पर प्रभाव, संप्रेषण कौशल, निर्णय लेने की प्रक्रिया, वैश्वीकरण और इसका श्रम पर प्रभाव।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, समूह चर्चाएं, अनुरूपण तकनीक और भूमिका अदा करना।
कौन भाग ले सकता है	पूर्वोत्तर राज्यों में कार्यरत ट्रेड यूनियन नेता/कार्यकर्ता।
संकाय	वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के संकाय सदस्यों के अलावा ट्रेड यूनियनों और पूर्वोत्तर राज्यों के विशेषज्ञों को सत्र में भाग लेने के लिए बुलाया जाएगा।
तारीख	05-09 जनवरी 2015
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	**डॉ. पूनम एस. चौहान** poonamchauhan36@gmail.com

महिला कर्मकारों से संबंधित श्रम मामलों एवं कानूनों के प्रति जागरूकता को सुदृढ़ बनाना

लक्ष्य	श्रम बाजार में लिंगीय मुद्दों के अवबोधन को हल करना एवं सुदृढ़ बनाना और संबंधित कानूनों की समझ को बढ़ाना।
उद्देश्य	• महिला कर्मकारों को उनसे संबंधित विभिन्न कानूनों उपबंधों के बारे में अवगत कराना; • श्रम बाजार में लिंगीय मुद्दों पर चर्चा करना; • विभिन्न विकास योजनाओं से संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाना; • कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन-उत्पीड़न प्रतिरोध विधेयक 2010 पर चर्चा करना;
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	श्रम में लिंगीय मुद्दे, श्रम बाजार में भेदभाव, लैंगिक विश्लेषण, कार्य स्थल पर यौन-उत्पीड़न : मामला अध्ययन, कार्यस्थल पर यौन-उत्पीड़न : निवारक उपाय और शिकायत तंत्र, कार्य स्थल पर महिलाओं से संबंधित कानून।
प्रशिक्षण पद्धति	कक्षा में व्याख्यान, समूह चर्चा, अनुरूपण तकनीकें और भूमिका अदा करना।
कौन भाग ले सकता है	पूर्वोत्तर क्षेत्र के गैर सरकारी संगठनों के महिला कर्मकार।
संकाय	वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के संकाय सदस्यों के अतिरिक्त, लैंगिक मुद्दों पर काम करने वाले संसाधन व्यक्तियों को सत्र में भाग लेने के लिए बुलाया जाएगा।
तारीख	26-30 मई 2014, 16-20 फरवरी 2015
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	**डॉ. धन्या एम. बी., डॉ. शशि बाला** dhanyambala@gmail.com, shashibala2002@gmail.com

श्रम मामलों पर जागरूकता का सुदृढ़ीकरण

लक्ष्य	संगठनात्मक निर्माण क्षमता को बढ़ाना तथा महिला नेताओं का सशक्तीकरण।
उद्देश्य	• प्रभावी संगठन निर्माण के कौशल तथा तकनीकों का विकास करना; • प्रभावी नेतृत्व के कौशलों को प्रोत्साहित करना; • वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में सामाजिक-आर्थिक तथा राजनैतिक परिवर्तनों से प्रतिभागियों को अवगत कराना; • विकास कार्यक्रमों तथा स्कीमों के बारे में जानकारी प्रदान करना; • लिंगीय गरीबी तथा रोजगार के बीच अंतर संबंधनों की जांच करना; • अनौपचारिक रोजगार में कर्मकारों की स्वास्थ्य सुरक्षा पर चर्चा करना; • सामाजिक सुरक्षा की संकल्पना तथा अनौपचारिक क्षेत्र के कर्मकारों के लिए सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता से प्रतिभागियों को अवगत कराना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	श्रम में लिंगीय मुद्दे, श्रम बाजार भेदभाव; नेतृत्व विकास, सामाजिक सुरक्षा; स्वास्थ्य सुरक्षा।
प्रशिक्षण पद्धति	कक्षा में व्याख्यान, समूह चर्चाएं, अनुरूपण तकनीकें तथा भूमिका अदा करना।
कौन भाग ले सकता है	पूर्वोत्तर क्षेत्र से गैर सरकारी संगठनों की महिला कर्मकार।
संकाय	वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के संकाय के अतिरिक्त, लिंगीय मुद्दों पर कार्यरत प्रख्यात संसाधन व्यक्तियों को सत्र में भाग लेने के लिए बुलाया जाएगा।
तारीख	02-06 जून 2014
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	**डॉ. एलीना सामंतराय** ellinasamantroy@gmail.com

सामाजिक संरक्षण और आजीविका सुरक्षा

लक्ष्य	अनौपचारिक क्षेत्र के कर्मकारों के लिए सामाजिक संरक्षण एवं आजीविका सुरक्षा का अवबोधन विकसित करना।
उद्देश्य	• आजीविका जोखिम तथा ग्रामीण निर्धनों की असुरक्षा को समझना; • विभिन्न सामाजिक संरक्षण कार्यक्रमों, जो स्वरोजगार के लिए संपत्तियों को अंतरित करते हैं और कौशल प्रदान करते हैं तथा सार्वजनिक कार्यक्रम जो लोगों को गरीबी से निपटने में सहायता करते हैं, को समझना; • गरीबी को कम करने के लिए वैकल्पिक कोरियापइंग कार्यनीतियों/ अच्छे व्यवहारों का पता लगाना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	सामाजिक सुरक्षा तथा गरीबी-रोधी कार्यक्रम पर विहंगम दृष्टि, सामुदायिक अनुभवों का आदान-प्रदान, गरीबी कम करने की वैकल्पिक कार्यनीतियों को समझना।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, वैयक्तिक तथा सामूहिक प्रस्तुतीकरण, मामला अध्ययनों के शेयर करना।
कौन भाग ले सकता है	पूर्वोत्तर राज्यों से ट्रेड यूनियन नेता, शिक्षाविद तथा सरकार के प्रतिनिधि।
संकाय	वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के संकाय सदस्यों के अतिरिक्त शैक्षणिक संस्थानों तथा ट्रेड यूनियनों से संसाधन व्यक्ति।
तारीख	28 अप्रैल-02 मई 2014, 02-06 फरवरी 2015
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	**डॉ. धन्या एम. बी., श्री अतोजीत क्षेत्रिमयूम** Dhanyambala@gmail.com, otojit@gmail.com

लिंग, गरीबी और रोजगार

लक्ष्य	इस कार्यक्रम का लक्ष्य यह चर्चा करना है कि महिलाएं और पुरूष किस प्रकार रोजगार के अवसरों, कार्यदशाओं, हितलाभों एवं सुरक्षा का फायदा विभिन्न तरीकों में उठा सकते हैं, जिनका सीधा असर उनकी जीवनचर्या और उनके परिवार के कल्याण पर पड़ता हो।
उद्देश्य	• जीपीई कार्यक्रम का तात्पर्य निम्न में क्षमताओं के सुदृढ़ीकरण द्वारा महिलाओं और पुरुषों के लिए उत्तम कार्य को प्रोत्साहित करके गरीबी से लड़ने के स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास करना है; • लिंगीय, गरीबी और रोजगार के बीच अंतःसंबंध की जांच करना; • लिंग संवेदी गरीबीरोधी तथा रोजगार नीतियों और कार्यक्रमों का अभिकल्पन, उनका कार्यान्वयन तथा मूल्यांकन; • गरीबी कम करने के मुद्दे पर राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय नीति की कार्यसूची में लैंगिकता तथा उत्तम कार्य संबंधी परिप्रेक्ष्य को एकीकृत करना। • राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर प्रभावी बहस एवं क्रिया को प्रोत्साहित करना।
प्रशिक्षण पद्धति	प्रशिक्षण कार्यक्रम लचीला है और इसका ढांचा मॉडुलर है। इसका डिजाइन न केवल वैयक्तिक समय उपलब्धता के मद्देनजर बनाया गया है बल्कि वैयक्तिक रूचियों तथा कार्य संबंधी जरूरतों के भी अनुरूप है। प्रत्येक प्रतिभागी, दिए गए माडयूल्स में से अपनी रूचि का विषय चुनते हुए ''तैयार कारगर'' अधिगम पथ बना सकते हैं।
कौन भाग ले सकता है	पूर्वोत्तर क्षेत्र के श्रम अधिकारी, ट्रेड यूनियनें तथा गैर सरकारी संगठन।
संकाय	वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के संकाय सदस्यों के अलावा, लैंगिक मुद्दों पर कार्यरत प्रतिष्ठित संसाधन व्यक्तियों को सत्रों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
तारीख	26-30 मई 2014, 09-13 मार्च 2015
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	**डॉ. रिन्जू रसाइली, डॉ. धन्या एम.बी.** rasaily@gmail.com, dhanyambala@gmail.com

श्रम प्रवर्तन अधिकारियों के लिए प्रभावी श्रम कानून प्रवर्तन

लक्ष्य	कार्यक्रम का लक्ष्य प्रवर्तन अधिकारियों की प्रवर्तन क्षमता और कौशल को बढ़ाना है।
उद्देश्य	• पूर्वोत्तर में श्रम विधान के संदर्भ को समझना होना; • विभिन्न श्रम कानूनों के प्रक्रियात्मक तथा सारभूत विषयों की जानकारी होना; • श्रम कानूनों तथा न्यायिक व्याख्या में नये निर्देशनों के संबंध में अवबोधन विकसित करना; • मौजूदा संसाधनों के इष्टतम उपयोग के तरीकों की तलाश करना; • श्रम कानूनी के प्रभावी प्रवर्तन के रास्ते में आने वाली कठिनाईयों की पहचान करना तथा उपचारी उपायों का पता लगाना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	पूर्वोत्तर समाज पर विहंगम दृष्टि, संविधान और श्रम, चयनित श्रम कानूनों के सारभूत तथा प्रक्रियात्मक पहलू, नवीनतम श्रम न्याय-शास्त्र तथा प्रवर्तन की तकनीकियां।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, सामूहिक चर्चा, अनुभव का आदान-प्रदान, पैनल चर्चा।
कौन भाग ले सकता है	राज्य सरकारों तथा पूर्वोत्तर राज्यों के ऐसे श्रम प्रवर्तन अधिकारी तथा श्रम निरीक्षक, जिन्हें 5 वर्ष से कम का अनुभव है।
संकाय	श्रम प्रशासन, ट्रेड यूनियन तथा शैक्षणिक संस्थानों से अनुभवी तथा प्रसिद्ध व्यक्ति।
तारीख	17-21 नवम्बर 2014, 16-20 फरवरी 2015
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	**डॉ. संजय उपाध्याय, श्री अतोजीत क्षेत्रिमयूम** sanjaynli@gmail.com, otojit@gmail.com

असंगठित क्षेत्र में श्रम कानूनों का प्रभावी प्रवर्तन

लक्ष्य	कार्यक्रम का लक्ष्य श्रम अधिकारियों में ऐसे कौशल का विकास करना है जो उन्हें असंगठित क्षेत्र में श्रम कानूनों के प्रवर्तन में सक्षम बना सकता है।
उद्देश्य	• श्रम कानूनों की मूलभूत जानकारी तथा समसायिक औद्योगिक संबंध मुद्दों की समझ होना। • विभिन्न श्रम कानूनों के सारभूत तथा प्रक्रियात्मक संदर्भों की जानकारी होना। • अर्ध-न्यायिक और सुलह कार्यों को विस्तार पूर्वक समझना। • असंगठित क्षेत्र में प्रवर्तन प्रक्रिया का पैना अवबोधन अर्जित करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	श्रम कानूनों की मूलभूत जानकारी, नवीनतम न्यायिक प्रवृत्तियां, अर्ध- न्यायिक कार्यों का विश्लेषण और महत्वपूर्ण मामला अध्ययन, असंगठित क्षेत्रों में श्रम कानूनों को लागू करना।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, सामूहिक चर्चा तथा अनुभव का आदान-प्रदान और क्षेत्रीय दौरे।
कौन भाग ले सकता है	पूर्वोत्तर राज्यों के श्रम अधिकारी।
संकाय	प्रसिद्ध कानूनी विशेषज्ञ, केंद्र और राज्य श्रम सेवा से वरिष्ठ अधिकारी, संस्थान के ऐसे संकाय सदस्य जिन्हें श्रम कानूनों की गहरी समझ हो।
तारीख	15-19 दिसम्बर 2014
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	**डॉ. संजय उपाध्याय** sanjaynli@gmail.com

महिला कर्मकारों के कौशल विकास को प्रोत्साहित करना

लक्ष्य	कार्यक्रम का लक्ष्य पूर्वोत्तर पर अधिक ध्यान देते हुए सामान्यतः नियोजित को बढ़ाने के लिए और उत्तम रोजगार के सुकर बनाने के लिए कर्मकारों के और विशेषतः महिला कर्मकारों के कौशलों को बढ़ाने पर जोर डालना है।
उद्देश्य	• अनौपचारिक अर्थव्यवस्था और कौशल कार्य के स्वरूप एवं विशेषताओं पर चर्चा करना। • अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के कार्यकरण में महिलाओं के लिए कौशल विकास के महत्व को स्थापित करना। • कौशल विकास एवं प्रशिक्षण में विभिन्न सामाजिक भागीदारों के अनुभव को शेयर करना। • अनौपचारिक क्षेत्र के व्यवसायों में कौशल विकास हेतु उपयुक्त कार्यनीतियों पर चर्चा करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	अनौपचारिक क्षेत्र; संकल्पना, अनौपचारिक क्षेत्र संघटन, औपचारिक क्षेत्र में लैंगिकता, वर्तमान ईसवी में कौशल विकास का महत्व, भारत में कौशल विकास सिस्टम, कौशल अन्तराल, नीति प्रतिक्रिया और कौशल विकास पहलें, कौशल विकास पर मामला अध्ययन, अनौपचारिक क्षेत्र में महिला कामगारों के कौशल विकास हेतु कार्यनीतियां।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, व्यक्तिगत एवं समूह अभ्यास, मामला अध्ययन और अनुभव शेयर करना।
कौन भाग ले सकता है	कौशल विकास से संबंधित सरकारी कर्मचारी, ट्रेड यूनियन और पूर्वोत्तर राज्यों से एनजीओ।
संकाय	संस्थान के संकाय सदस्य, शैक्षणिक संस्थानों से बाहरी संसाधन व्यक्ति, नीति निर्माण निकाय, अनुसंधान संस्थान।
तारीख	05-09 मई 2014
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	**श्री पी. अमिताव खुंटिया** Amitav_1@rediffmail.com

श्रम बाजार, रोजगार और सामाजिक संरक्षण के मुद्दे

लक्ष्य	पूर्वोत्तर में श्रम बाजार, रोजगार और सामाजिक संरक्षण से संबंधित मुद्दों की समझ पर पारस्परिक बातचीत प्रक्रिया के जरिए अवसर उपलब्ध कराना।
उद्देश्य	• सामान्यतः भारत में और विशेषतः क्षेत्र में श्रम, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा परिदृश्य का अवलोकन करना। • वैश्वीकरण के संदर्भ में उभरते मुद्दों की जांच करना। • टिकाऊ विकास के लिए कार्यनीतियां तैयार करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में श्रम परिदृश्य देश के अन्य क्षेत्रों की तुलना में एकदम भिन्न हैं, जो बहुविध कारकों के कारण है (जिसमें भौगोलिक, सामाजिक-आर्थिक और राजनैतिक कारण शामिल हैं)। श्रम बाजार, रोजगार कार्यनीतियों और एनईआर वारेंटों में सामाजिक संरक्षण की समझ, विशेषीकृत प्रयास और विश्लेषणात्मक ढांचा, क्योंकि देश के अन्य भागों से संबंधित अनुभूतिमूलक साक्ष्यों के आधार पर संकल्पनात्मक सीमा में पूर्णरूप से जिम्मेदार नहीं हो सकते।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, अनुभव शेयरिंग, मामला अध्ययन, समूह अभ्यास, प्रस्तुतीकरण
कौन भाग ले सकता है	सरकारी अधिकारी, सीटीयू के प्रतिनिधि, सिविल सोसाइटी, पूर्वोत्तर राज्यों से अनुसंधानकर्त्ता।
संकाय	वीवीजीएनएलआई से संकाय सदस्य एवं एमआईएलएस।
तारीख	07-10 अक्तूबर 2014
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	**श्री अतोजीत क्षेत्रिमयूम** Otojit@gmail.com

पूर्वोत्तर क्षेत्र में बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी के निवारण हेतु सामाजिक भागीदारों के प्रयासों का अभिसरण

लक्ष्य	बाल श्रम एवं बंधुवा मजदूर के हल हेतु सामाजिक भागीदारों के कौशलों का विकास।
उद्देश्य	• पहचान एवं पुर्नवास हेतु कौशल विकास। • सामाजिक बुराईयों के समाधान हेतु प्रयासों एवं सेवाओं को बढ़ाने के महत्व पर समझ को बढ़ाना। • भागीदारों को विभिन्न पुनर्वास परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में सहयोग करने के लिए तैयार करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	भारत में बंधुआ मजदूर एवं बाल श्रम का स्थितिजन्य विश्लेषण, सरकारी योजनाएं, जिनका उद्देश्य पुनर्वास एवं सामाजिक संरक्षण देना है, नीति एवं विधान और समुदाय जुटाव कौशल।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, समूह चर्चा, परिपूर्ण सत्र और पैनल चर्चा।
कौन भाग ले सकता है	पूर्वोत्तर राज्यों से सामाजिक भागीदारी (पीआरआई, एनजीओ, टीयू)
संकाय	वीवीजीएलएनआई संकाय सदस्यों के अलावा, बाल श्रम एवं स्थानीय अभिशासन पर विशेषज्ञों को सत्र में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
तारीख	07-10 अक्तूबर 2014
स्थान	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
पाठ्यक्रम निदेशक	**डॉ. हेलन आर. सेकर** helensekarvvgnli@gmail.com

सहयोगात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम

ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम (केएलआई, कर्नाटक)

लक्ष्य	कार्यक्रम का लक्ष्य ग्रामीण असंगठित क्षेत्र में उभर रहे ट्रेड यूनियन नेताओं को सशक्त बनाना है।
उद्देश्य	• भारत के ग्रामीण असंगठित क्षेत्र के मुद्दों पर विहंगम दृष्टि प्रदान करना; • ग्रामीण ट्रेड यूनियन नेताओं के कौशल को विकसित करना/तेज गति देना, ताकि वे ग्रामीण समाज को समझ सकें, उसका अध्ययन कर सकें और उसका विश्लेषण कर सकें; • अन्तर-वैयक्तिक और अंतर समूह संबंधों की गतिशीलता की पूरी जानकारी प्रदान करना; • संगठन निर्माण से संबंधित विभिन्न पहुलओं और मुद्दों पर चर्चा करना; • कानूनी अधिकारों और प्रावधानों के बारे में जागरूकता पैदा करना; • विभिन्न सामाजिक संरक्षण और रोजगार नीतियों के संबंध में भावी नेताओं में महत्वपूर्ण संवेदी जागरूकता विकसित करना; • प्रतिभागियों को ग्रामीण कर्मचारी को संगठित करने की उभरती तकनीकों से अवगत कराना; • माइक्रो तथा मैक्रो स्तर पर संसाधनों का पता लगाने में सहायता करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	कृषि और गैर कृषि क्षेत्र की बदलती सांख्यिकीय रूपरेखा, ग्रामीण भारत में समाज और वर्ग गठन का मूल्यांकन तथा ग्रामीण कर्मकारों के संगठन पर इसका प्रभाव, सकारात्मक रूख का मूल्य, श्रम कानून, प्रेरणात्मक शैलियां और नेतृत्व कौशल।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, संरचित सामूहिक अभ्यास, अनुरूपण गेम।
कौन भाग ले सकता है	केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठन, ग्रामीण असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले राज्य तथा जिला स्तरीय ट्रेड यूनियन प्रतिनिधि।
संकाय	संस्थान के संकाय सदस्य तथा केंद्रीय ट्रेड यूनियनों एवं आन्तरिक संकाय से बाहरी संसाधन व्यक्ति।
तारीख	19-22 अगस्त 2014
स्थान	कर्नाटक श्रम संस्थान, कर्नाटक
पाठ्यक्रम निदेशक	**डॉ. पूनम एस. चौहान** poonamchauhan36@gmail.com

सामाजिक संरक्षण और आजीविका सुरक्षा (टीआईएलएस, चेन्नई)

लक्ष्य	अनौपचारिक क्षेत्र के कर्मकारों के लिए सामाजिक संरक्षण तथा आजीविका सुरक्षा की समझ विकसित करना।
उद्देश्य	• आजीविका जोखिम तथा ग्रामीण निर्धनों की असुरक्षा को समझना; • विभिन्न सामाजिक संरक्षण कार्यक्रमों, जो स्वरोजगार के लिए संपत्तियों को अंतरित करते हैं और लोगों को कुशल बनाते हैं तथा सार्वजनिक कार्य, कार्यक्रम जो लोगों को गरीबी से निपटने में सहायता करते हैं, को समझना; • गरीबी को कम करने के लिए वैकल्पिक कापिइंग कार्यनीतियों/ अच्छे व्यवहारों का पता लगाना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	सामाजिक सुरक्षा तथा गरीबी-रोधी कार्यक्रम पर विहंगम दृष्टि, सामुदायिक अनुभवों का आदान प्रदान, गरीबी कम करने की वैकल्पिक कार्यनीतियों को समझना।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, वैयक्तिक तथा सामूहिक प्रस्तुतीकरण, मामला अध्ययनों का आदान-प्रदान।
कौन भाग ले सकता है	ट्रेड यूनियन नेता, शिक्षाविद तथा सरकार के प्रतिनिधि।
संकाय	वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के संकाय, सदस्य, शैक्षिक संस्थानों तथा ट्रेड यूनियनों के संसाधन व्यक्ति।
तारीख	08-10 अक्तूबर 2014
स्थान	तमिलनाडु श्रम अध्ययन संस्थान, चेन्नई
पाठ्यक्रम निदेशक	**डॉ. धन्या एम. बी.** dhanyambala@gmail.com

असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिए सामाजिक सुरक्षा (एसएलआई, पश्चिम बंगाल)

लक्ष्य	अनौपचारिक क्षेत्र के कर्मकारों के लिए सामाजिक सुरक्षा की जरूरत की समझ को विकसित करना।
उद्देश्य	• प्रतिभागियों को सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा और अनौपचारिक क्षेत्र के कर्मकारों के लिए सामाजिक सुरक्षा की जरूरत से अवगत करवाना; • विभिन्न सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रमों का अवबोधन; • प्रतिभागियों को विभिन्न माइक्रो स्तरीय सामाजिक सुरक्षा प्रयोगों से अवगत करवाना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रमों पर विहंगम दृष्टि, सामुदायिक अनुभवों का आदान-प्रदान, सामुदायिक स्तर के कार्यक्रमों की पहल के लिए कार्यनीतियां।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, पारस्परिक बातचीत सत्र, वैयक्तिक तथा सामूहिक प्रस्तुतियां, मामला अध्ययनों का आदान-प्रदान।
कौन भाग ले सकता है	सरकारी अधिकारी और ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि।
संकाय	वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के संकाय, शैक्षिक संस्थाओं तथा ट्रेड यूनियनों के संसाधन व्यक्ति।
तारीख	05-07 नवम्बर 2014
स्थान	राज्य श्रम संस्थान, पश्चिम बंगाल
पाठ्यक्रम निदेशक	**डॉ. रूमा घोष** rumanli@gmail.com

श्रम अध्ययनों में अनुसंधान पद्धतियां (एमआईएलएस, मुंबई)

लक्ष्य	यह कार्यक्रम श्रम अनुसंधान में उभरते विषयों पर महत्वपूर्ण अनुसंधान की संकल्पना निर्माण, अभिकल्पन तथा प्रचालनीकरण में श्रम अध्ययन पर अनुसंधान का परिशीलन कर रहे/परिशीलन करने के इच्छुक अध्येताओं को अवसर प्रदान करता है।
उद्देश्य	• भारत में श्रम अनुसंधान का पर्यावलोकन प्रदान करना; • श्रम अध्ययनों से संगत विभिन्न अनुसंधान विधियों तथा तकनीकों को समझना तथा उनका अनुप्रयोग करना; • श्रम संबंधी आंकड़ों के द्वितीयक स्रोतों की उपयोगिता तथा सीमाओं पर चर्चा करना; • श्रम अनुसंधानों में सांख्यिकी पैकेजों के प्रयोग हेतु जानकारी तथा कौशलों को पैना करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	भारत में श्रम अनुसंधान : एक पर्यावलोकन; अनुसंधान समस्याओं को मूर्त रूप देना; अनुमान निरूपण/अनुसंधान प्रश्न; प्रश्नावली विकास; क्षेत्र सर्वेक्षणों का संचालन, श्रम संबंधी आंकड़ा स्रोत; कम्प्यूटर एप्लीकेशन तथा सांख्यिकी पैकेज।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, पारस्परिक बातचीत सत्र तथा चर्चाएं।
कौन भाग ले सकता है	विश्वविद्यालयों/कालेजों/अनुसंधान संस्थाओं से श्रम अध्ययन के क्षेत्र में अनुसंधान कर रहे/या करने के इच्छुक अनुसंधान अध्येता तथा युवा अध्यापक।
संकाय	वीवीजीएनएलआई तथा एमआईएलएस से संकाय सदस्य।
तारीख	25-29 अगस्त 2014
स्थान	महाराष्ट्र श्रम अध्ययन संस्थान (एमआईएलएस) मुंबई
पाठ्यक्रम निदेशक	**डॉ. रूमा घोष** rumanli@gmail.com

श्रम में लिंगीय मुद्दे (एसएलआई, उड़ीसा)

लक्ष्य	श्रम बाजार में लिंगीय मुद्दों की समझ को सुदृढ़ करना और उन्हें दूर करना।
उद्देश्य	• संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में लिंगीय पक्षपात के मुद्दे पर कार्रवाई करना; • प्रतिभागियों की क्षमता का विकास करना ताकि वे लैंगिक आधारित अन्याय पर आवश्यक कार्रवाई कर सकें; • कर्मकारों पर लागू होने वाले श्रम कानूनों के प्रति प्रतिभागियों को उन्मुख करना; • कार्य स्थल पर यौन-उत्पीड़न के प्रति प्रतिभागियों को सुग्राही बनाना; • कार्य की दुनिया में लिंगीय विभेद पर चर्चा करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	श्रम में लिंगीय मुद्दे; श्रम बाजार भेदभाव; लैंगिक विश्लेषण; कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न : मामला अध्ययन, कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न : निवारण के उपाय तथा शिकायत तंत्र, कार्यस्थल पर महिलाओं से संबंधित कानून।
प्रशिक्षण पद्धति	कक्षा में व्याख्यान, सामूहिक चर्चा, अनुरूपण तकनीकें तथा भूमिका अदा करना।
कौन भाग ले सकता है	ट्रेड यूनियन तथा गैर सरकारी संगठन।
संकाय	वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के संकाय सदस्यों के अतिरिक्त क्षेत्र के अन्य विशेषज्ञों को सत्र में भाग लेने के लिए बुलाया जाएगा।
तारीख	8-10 सितम्बर 2014
स्थान	एसएलआई, उड़ीसा
पाठ्यक्रम निदेशक	**डॉ. एलीना सामंतराय** ellinasamantroy@gmail.com

बाल-श्रम के बचाव एवं पुनर्वास को लागू करना (टीआईएलएस, चेन्नई)

लक्ष्य	बाल-श्रम की समस्या को पहचानना और इसे दूर करने के लिए उच्च प्राथमिकता देना।
उद्देश्य	• बाल-श्रम के उन्मूलन में सभी जिलों में प्रवर्त्तन अधिकारियों की क्षमता को बढ़ाना; • प्रवर्त्तन अधिकारियों को बाल नियोजन को रोकने वाले श्रम विधानों को लागू करते समय प्रयोग किए जाने वाली प्रक्रियाओं एवं तकनीकियों में प्रशिक्षित करना; • सभी श्रम कानूनों में बाल श्रम से संबंधित प्रावधानों को सुदृढ़ करने एवं प्रभावी प्रवर्त्तन के लिए प्रवर्त्तन अधिकारियों की जरूरतों की पहचान करना; • उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 और बच्चों को यौन अपराध संबंधी संरक्षण अधिनियम, 2012 पर सही-सही जानकारी देना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	भारत में बालश्रम का अवलोकन; सरकारी तथा गैर-सरकारी कार्यक्रम; एनसीएलपी के दिशा-निर्देश; बाल श्रम नीति एवं विधान, एनसीएलपी के सफल वृत्तान्त।
प्रशिक्षण पद्धति	कक्षा में व्याख्यान, सामूहिक चर्चा, अनुसरण तकनीकियों एवं कार्य निष्पादन।
कौन भाग ले सकता है	श्रम अधिकारी।
संकाय	वी वी जीएनएलआई संकाय के अलावा, बाहरी प्रतिष्ठित व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाएगा।
तारीख	13 जून 2014, 18 जुलाई 2014, 22 अगस्त 2014, 19 सितम्बर 2014
स्थान	टीआईएलएस, चेन्नई।
पाठ्यक्रम निदेशक	**डॉ. हेलन आर. सेकर** helensekar@gmail.com

श्रम आर्थिकी का परिचय (एमजीएलआई, अहमदाबाद)

लक्ष्य	श्रम अध्ययनों पर कार्य कर रहे विद्यार्थियों, अनुसंधानकर्त्ताओं की समझ को बढ़ाना।
उद्देश्य	• नवीनतम श्रम बाजार प्रवृत्तियों पर चर्चा करना; • मजदूरी के सिद्धान्तों को समझना; • श्रम बाजार विखण्डीकरण सिद्धान्तों को समझना; • श्रम पूर्ति एवं मांग के विभिन्न आयामों के निर्धारकों का विश्लेषण करना, जो मजदूरी, रोजगार एवं बेरोजगारी को निर्धारित करने में परस्पर क्रियारत हैं; • श्रम बाजार में सामूहिक मोल-भाव की भूमिका पर चर्चा करना; • उत्तम कार्य तथा वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप कौशल बढ़ाने के महत्व पर विश्लेषण करना; • श्रम बाजार में सामाजिक सुरक्षा की समझ विकसित करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	श्रम बाजार की प्रवृत्तियां, श्रम बाजार विखण्डीकरण सिद्धान्त, मजदूरी निर्धारण, मानव पूंजी सूत्रीकरण आदि।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, समूह चर्चाएं, क्षेत्रीय दौरे एवं मामला अध्ययन।
कौन भाग ले सकता है	विद्यार्थी, अनुसंधानकर्त्ता, शिक्षाविद, श्रम से संबंधित मामलों पर कार्य कर रहे अधिकारी।
संकाय	क्षेत्र विशेषज्ञता-प्राप्त विशेषज्ञों को सत्रों में आख्यान हेतु आमंत्रित किया जाएगा।
तारीख	29-31 दिसम्बर 2014
स्थान	एमजीएलआई, अहमदाबाद
पाठ्यक्रम निदेशक	**डॉ. शशि बाला** shashibala2002@gmail.com

श्रम मुद्दों पर अभिमुखीकरण कार्यक्रम, एनसीडीएस, भुवनेश्वर

लक्ष्य	युवा विद्यार्थियों को विभिन्न श्रम मुद्दों से अवगत कराना और उनके शैक्षणिक एवं व्यावसायिक पेशे में सहयोग करने हेतु उनकी क्षमताओं का विकास करना।
उद्देश्य	• भागीदारों को विभिन्न श्रम मामलों से अवगत कराना; • श्रम और रोजगार से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करना; • भागीदारों को उनके शैक्षणिक एवं व्यावसायिक कार्य में सहयोग करने में सक्षम बनाना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	श्रम को समझना, श्रम एवं रोजगार अवलोकन, महत्वपूर्ण मामले, जैसे कि कौशल विकास, सामाजिक सुरक्षा, उत्प्रवासन, श्रम प्रशासन, लैंगिक मुद्दों, नेतृत्व/संचार कौशल, श्रम अनुसंधान आदि।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, समूह चर्चाएं, समूह अभ्यास और प्रस्तुतिकरण।
कौन भाग ले सकता है	मास्टर डिग्री कर रहे सामाजिक विज्ञान के विश्वविद्यालय के छात्र (अर्थशास्त्र, लोक प्रशासन, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक कार्य)।
संकाय	वीवीजीएनएलआई संकाय के सदस्य, बाहरी संसाधन व्यक्ति, समाज विज्ञानी।
तारीख	27-31 अक्तूबर 2014
स्थान	एनसीडीएस, भुवनेश्वर
पाठ्यक्रम निदेशक	**श्री पी. अमिताव खुंटिया** Amitav_1@rediffmail.com

असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिए सामाजिक सुरक्षा (एमआईएलएस, मुम्बई)

लक्ष्य	अनौपचारिक क्षेत्र के कर्मकारों के लिए सामाजिक सुरक्षा की जरूरत की समझ को विकसित करना।
उद्देश्य	• प्रतिभागियों को सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा और अनौपचारिक क्षेत्र के कर्मकारों के लिए सामाजिक सुरक्षा की जरूरत से अवगत करवाना; • विभिन्न सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रमों का अवबोधन; • प्रतिभागियों को विभिन्न माइक्रो स्तरीय सामाजिक सुरक्षा प्रयोगों से अवगत करवाना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रमों पर विहंगम दृष्टि, सामुदायिक अनुभवों का आदान-प्रदान, सामुदायिक स्तर के कार्यक्रमों की पहल के लिए कार्यनीतियां।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, पारस्परिक बातचीत सत्र, वैयक्तिक तथा सामूहिक प्रस्तुतियां, मामला अध्ययनों का आदान-प्रदान।
कौन भाग ले सकता है	सरकारी अधिकारी और ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि।
संकाय	वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के संकाय, शैक्षिक संस्थाओं तथा ट्रेड यूनियनों के संसाधन व्यक्ति।
तारीख	01-03 सितम्बर 2014
स्थान	एमआईएलएस, मुम्बई
पाठ्यक्रम निदेशक	**श्री अतोजीत क्षेत्रिमयूम** otojit@gmail.com

कर्मकारों के कौशल विकास को प्रोत्साहित करना, एनसीडीएस, भुवनेश्वर

लक्ष्य	कार्यक्रम का लक्ष्य पूर्वोत्तर पर अधिक ध्यान देते हुए सामान्यतः नियोजिता को बढ़ाने के लिए और उत्तम रोजगार के सुकर बनाने के लिए कर्मकारों के और विशेषतः महिला कर्मकारों के कौशलों को बढ़ाने पर जोर डालना है।
उद्देश्य	• अनौपचारिक अर्थव्यवस्था और कौशल कार्य के स्वरूप एवं विशेषताओं पर चर्चा करना। • अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के कार्यकरण में महिलाओं के लिए कौशल विकास के महत्व को स्थापित करना। • कौशल विकास एवं प्रशिक्षण में विभिन्न सामाजिक भागीदारों के अनुभव को शेयर करना। • अनौपचारिक क्षेत्र के व्यवसायों में कौशल विकास हेतु उपयुक्त कार्यनीतियों पर चर्चा करना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	अनौपचारिक क्षेत्र; संकल्पना, अनौपचारिक क्षेत्र संघटन, औपचारिक क्षेत्र में लैंगिकता, वर्तमान ईसवी में कौशल विकास का महत्व, भारत में कौशल विकास सिस्टम, कौशल अन्तराल, नीति प्रतिक्रिया और कौशल विकास पहलें, कौशल विकास पर मामला अध्ययन, अनौपचारिक क्षेत्र में महिला कामगारों के कौशल विकास हेतु कार्यनीतियां।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, व्यक्तिगत एवं समूह अभ्यास, मामला अध्ययन और अनुभव शेयर करना।
कौन भाग ले सकता है	कौशल विकास से संबंधित सरकारी कर्मचारी, ट्रेड यूनियन और पूर्वोत्तर राज्यों से एनजीओ।
संकाय	संस्थान के संकाय सदस्य, शैक्षणिक संस्थानों से बाहरी संसाधन व्यक्ति, नीति-निर्माण निकाय, अनुसंधान संस्थान।
तारीख	15-17 सितम्बर 2014
स्थान	एनसीडीएस, भुवनेश्वर
पाठ्यक्रम निदेशक	**डॉ. अनूप कुमार सतपथी** Anoop.kumarsatpathy@gmail.com

कौशल विकास एवं रोजगार सृजन, एमजीएलआई, अहमदाबाद

लक्ष्य	संपूर्ण विश्व के देशों में अधिक एवं बेहतर गुणवत्ता के रोजगारों का सृजन करना एक आम चुनौती है। विकासशील देशों में यह चुनौती अधिक उभरकर सामने आई है क्योंकि ऐसे देशों में अनौपचारिक क्षेत्र का दायरा बहुत बड़ा है और उसमें अर्द्ध बेरोजगारी और बेरोजगारी की समस्या अत्यधिक है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार सामान्य रूप से लोगों के और विशेष रूप से कर्मकारों के कौशल विकास को बढ़ाने पर अधिक जोर दे रही है ताकि उन्हें रोजगार प्राप्त हो सके और वे उत्कृष्ट रोजगारों में जा सकें।
उद्देश्य	• विकास और रोजगार के साथ व्यावसायिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण के संबंधों को समझना; • व्यासायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण पद्धतियों तथा इनके विभिन्न घटकों के संबंध में जानकारी प्राप्त करना; • उन चुनौतियों से निपटने के लिए रोजगार सृजन तथा समुचित कौशल विकास की चुनौतियों को समझना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के साथ व्यावसायिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण के बीच लिंकेज, व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण पद्धतियों तथा विभिन्न घटकों का पर्यावलोकन, व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण का अभिशासन एवं प्रबंधन, कौशल विकास में सार्वजनिक-निजी सहयोग की भूमिका, श्रम बाजार सूचना पद्धति और कौशल विकास, अनौपचारिक क्षेत्र तथा उभरते क्षेत्र में कौशल की मांग का पता लगाना तथा कौशल की कमियों का विश्लेषण करना, व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण तथा श्रम बाजार का वित्तपोषण करना और कौशल विकास नीतियां।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, पारस्परिक बातचीत सत्र, विचार-विमर्श तथा मामला अध्ययन।
कौन भाग ले सकता है	त्रिपक्षीय भागीदार, व्यावसायिक शिक्षा तथा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से जुड़े अधिकारी, शोध संस्थान, प्रशिक्षक तथा अनुदेशक, व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण देने में कार्यरत संगठन/ संस्थान।
संकाय	संस्थान के आंतरिक संकाय के अलावा इस क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाएगा।
तारीख	17-19 नवम्बर 2014
स्थान	एमजीएलआई, अहमदाबाद
पाठ्यक्रम निदेशक	**डॉ. अनूप कुमार सतपथी** anoop.kumarsatpathy@gmail.com

कौशल विकास और रोजगार सृजन, केआईएलई, केरल

लक्ष्य	संपूर्ण विश्व के देशों में अधिक एवं बेहतर गुणवत्ता के रोजगारों का सृजन करना एक आम चुनौती है। विकासशील देशों में यह चुनौती अधिक उभरकर सामने आई है क्योंकि ऐसे देशों में अनौपचारिक क्षेत्र का दायरा बहुत बड़ा है और उसमें अर्द्ध बेरोजगारी और बेरोजगारी की समस्या अत्यधिक है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार सामान्य रूप से लोगों के और विशेष रूप से कर्मकारों के कौशल विकास को बढ़ाने पर अधिक जोर दे रही है ताकि उन्हें रोजगार प्राप्त हो सके और वे उत्कृष्ट रोजगारों में जा सकें।
उद्देश्य	• विकास और रोजगार के साथ व्यावसायिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण के संबंधों को समझना; • व्यासायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण पद्धतियों तथा इनके विभिन्न घटकों के संबंध में जानकारी प्राप्त करना; • उन चुनौतियों से निपटने के लिए रोजगार सृजन तथा समुचित कौशल विकास की चुनौतियों को समझना।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा	आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के साथ व्यावसायिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण के बीच लिंकेज, व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण पद्धतियों तथा विभिन्न घटकों का पर्यावलोकन, व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण का अभिशासन एवं प्रबंधन, कौशल विकास में सार्वजनिक-निजी सहयोग की भूमिका, श्रम बाजार सूचना पद्धति और कौशल विकास, अनौपचारिक क्षेत्र तथा उभरते क्षेत्र में कौशल की मांग का पता लगाना तथा कौशल की कमियों का विश्लेषण करना, व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण तथा श्रम बाजार का वित्तपोषण करना और कौशल विकास नीतियां।
प्रशिक्षण पद्धति	व्याख्यान, पारस्परिक बातचीत सत्र, विचार-विमर्श तथा मामला अध्ययन।
कौन भाग ले सकता है	त्रिपक्षीय भागीदार, व्यावसायिक शिक्षा तथा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से जुड़े अधिकारी, शोध संस्थान, प्रशिक्षक तथा अनुदेशक, व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण देने में कार्यरत संगठन/संस्थान।
संकाय	संस्थान के आंतरिक संकाय के अलावा इस क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाएगा।
तारीख	01-03 दिसम्बर 2014
स्थान	केआईएलई, केरल
पाठ्यक्रम निदेशक	**डॉ. अनूप कुमार सतपथी** anoop.kumarsatpathy@gmail.com

संकाय सदस्यों की प्रोफाइल

श्री पार्थ प्रतिम मित्रा

महानिदेशक

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

श्री पार्थ प्रतिम मित्रा, महानिदेशक, 1979 बैच के भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारी हैं। आपने 26 दिसम्बर 2013 को पदभार ग्रहण किया। आपने कलकत्ता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में निष्णात उपाधि और दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है।

आपके मुख्य रुचि क्षेत्रों में श्रम के क्षेत्र में अनुसंधान, ग्रामीण विकास, माइक्रो वित्त एवं बैंकिंग शामिल है।

पिछले तीन दशकों में आपका अत्यधिक विशिष्टताप्राप्त व्यावसायिक कैरियर रहा है और 1979 में भारतीय आर्थिक सेवा में पदभार ग्रहण करने के बाद मुख्य पदों पर रहे हैं। आप भारत सरकार के कई विभागों में महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, जिनमें वाणिज्य एवं उद्योग, आपूर्ति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विद्युत, श्रम, आर्थिक कार्य मामले, वित्तीय सेवाएं, सामाजिक न्याय और रोजगार एवं ग्रामीण विकास शामिल हैं। आपको अर्थव्यवस्था के अलग-अलग क्षेत्र में व्याप्त व्यापक एवं विविधीकृत अनुभव प्राप्त है।

इसके अतिरिक्त, आप श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार में श्रम एवं रोजगार सलाहकार के पद पर आसीन हैं।

ई-मेल : directorgeneralvvgnli@gmail.com

डॉ. एस. के. शशिकुमार

वरिष्ठ फेलो

एम.ए., पीएच.डी. (अर्थशास्त्र)

डॉ. एस. के. शशिकुमार प्रशिक्षित अर्थशास्त्री हैं और इस विषय में आपने पीएच.डी की उपाधि प्राप्त की है। आपकी व्यावसायिक रूचियों के मुख्य क्षेत्रों में श्रम बाजार विश्लेषण, श्रम उत्प्रवास, वैश्वीकरण और रोजगार, और अनुसंधान पद्धतियां शामिल हैं। आपको श्रम अध्ययन के क्षेत्र में अनुसंधान और प्रशिक्षण का लगभग 27 वर्ष का अनुभव प्राप्त है। आप वैश्वीकरण पर अध्ययन समूह, दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग (2002), उत्प्रवास अधिनियम पर समिति, भारत सरकार (2003), उत्प्रवास संबंधी समिति, केरल सरकार (2004), 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए श्रमिक बल और रोजगार सुरक्षा संबंधी कार्य समूह, भारत सरकार (2007-2012) जैसे प्रमुख राष्ट्र स्तरीय आयोगों/समितियों के साथ सदस्य के रूप में जुड़े हुए हैं। आप श्रम ब्यूरो, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के दूसरे रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण संबंधी तकनीकी ग्रुप (2011) के सदस्य रहे हैं। आप दक्षिण एशिया उत्प्रवासन संसाधन नेटवर्क के प्रमुख सदस्य रहे हैं और आप उत्प्रवास एवं विकास पत्रिका (रूटलेज द्वारा प्रकाशित) के अन्तर्राष्ट्रीय सम्पादकीय सलाहकार बोर्ड के सदस्य रहे हैं। आप ''लेबर एंड डेवलपमेंट'' पत्रिका के सम्पादक हैं। आप वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई) के मुख्य अनुसंधान केंद्रों में से दो केंद्रों-श्रम बाजार अध्ययन केंद्र तथा एकीकृत श्रम इतिहास अनुसंधान कार्यक्रम के समन्वयक हैं।

आपने श्रम अध्ययनों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहुत-सी अनुसंधान परियोजनाएं आरंभ की हैं। हाल ही में किए गए अनुसंधान अध्ययनों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कुछ अनुसंधान अध्ययनों में शामिल हैः- श्रम बाजार और रोजगार मूल्यांकनः एक जिला स्तरीय विश्लेषण (आईएलओ), वैश्वीकरण में सामाजिक समायोजन; सामाजिक कार्यकर्ताओं की भूमिका (आईएलओ एवं जापान श्रम नीति एवं प्रशिक्षण संस्थान); स्वतंत्र भारत से अंतर्राष्ट्रीय श्रम उत्प्रवास (वी.वी.गि.रा.श्र.सं.); बाह्य उत्प्रवास और प्रेषण (एडीबी) एवं (वी.वी.गि.रा.श्र.सं.); उत्तम कार्य पर शैक्षिक सामग्री (आईआईएलएस); भारत में श्रम बाजार मुद्दे और परिप्रेक्ष्य (एडीबी); विदेशों में रोजगार के लिए कौशल रूपरेखा निर्माण और कौशल प्रमाणीकरण (प्रवासी भारतीय मामले मंत्रालय एवं अंतर्राष्ट्रीय उत्प्रवासन संगठन); भारत में श्रम प्रवास और आजीविका (वी.वी.गि.रा.श्र.सं.); वैश्विक मंदी तथा भारत का निर्यात क्षेत्र; रोजगार तथा उत्पादन पर प्रभाव (वाणिज्य विभाग, भारत सरकार); राष्ट्रीय बुनियादी न्यूनतम मजदूरी को सांविधिक बनाने के प्रभाव और आवश्यकता का मूल्यांकन (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय); रोजगार पर लोगों को वार्षिक रिपोर्ट, 2010, 2011, 2012 और 2013 (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय); सार्वजनिक तथा निजी सहभागिता के माध्यम से 1396 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उन्नत बनाने की स्कीम का मध्यकालिक मूल्यांकन (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय); दक्षिण एशिया से खाड़ी में महिला कर्मकारों का उत्प्रवास (यू.एन. वीमेन); और भारत में बेरोजगारी बीमा (कोरिया श्रम संस्थान); विकलांगों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केंद्रों का मूल्यांकन अध्ययन (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय); अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए अध्यापन-सह मार्गदर्शन केंद्र का मूल्यांकन अध्ययन (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय); तथा अंडमान एवं निकोबार में कौशल निरूपण; पूर्ति तथा मांग अंतरालों का निर्धारण (अंडमान व निकोबार प्रशासन); और एशिया में श्रम उत्प्रवास ढांचा एवं वित्त व्यवस्था (अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन)।

आपने श्रमिक उत्प्रवास, औद्योगिक संबंधों, वैश्वीकरण और श्रम, अनुसंधान पद्धतियों, श्रमिक उत्प्रवासन ट्रेड यूनियनवाद और कौशल विकास जैसे विषयों पर अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समन्वयन किया है। आप लगभग 20 अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों और 75 राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम निदेशक रहे हैं।

आपने, पुस्तकों, संदर्भित पत्र-पत्रिकाओं तथा संपादित खंडों और अनुसंधान मोनोग्राफ के रूप में लगभग 45 अनुसंधानिक लेख प्रकाशित किए हैं। आपके हाल ही के और प्रमुख प्रकाशनों में शामिल हैं :- भारत में बेरोजगारी बीमा, एशिया में बेरोजगारी (कोरिया श्रम संस्थान; 2013, सह-लेखक); सरकारी तथा निजी सहभागिता के जरिए 1396 सरकारी आईटीआई को उन्नत बनाने की स्कीम का मध्यावधि मूल्यांकन रिपोर्ट, रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय; श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली (2012); दक्षिण अफ्रीका से खाड़ी में महिला कर्मकारों का उत्प्रवास (यू.एन. वीमेन, 2012) (सहलेखक); भारत के वत्र एवं कपड़ा उद्योग की फर्मों की श्रम लागत और निर्यात व्यवहार (इक्नामिक्स मैनेजमेंट एंड फाइनेंशल मार्केट्स, मार्च, 2011, आफिशियल जर्नल आफ दि कंटेम्परेरी साईंस एसोसिएशन, न्यूयार्क-सह-लेखक); वैश्विक मंदी तथा भारत में निर्यात क्षेत्रः उत्पादन, निर्यात एवं रोजगार पर प्रभाव (वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान) 2010; भारत से यूरोप को प्रवास को बढ़ावा देने के संदर्भ में भारत में कौशल प्रोफाइलिंग तथा कौशल प्रमाणीकरण (प्रवास संबंधी अंतर्राट्रीय संगठन 2009); भारत से अंतर्राष्ट्रीय श्रम प्रवास प्रबंधनः नीतियां और दृष्टिकोण (आईएलओ एशिया-पैशिफिक वर्किंग पेपर सीरिज 2009); भारत में श्रम बाजारः मुद्दे और दृष्टिकोण, जीसस फिलिप तथा राणा-हसन में (सह-लेखक); और एशिया में श्रम बाजारः मुद्दे और दृष्टिकोण (पालग्रेव, मैकमिलन तथा एशियन विकास बैंक 2006)।

डॉ. पूनम एस. चौहान

वरिष्ठ फेलो

एम.ए. पीएच. डी (मनोविज्ञान)

डॉ. पूनम एस. चौहान, ''संगठनात्मक व्यवहार'' में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली से विशेषज्ञता के साथ मनोविज्ञान में विद्या वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित हैं। आपकी मुख्य व्यावसायिक रुचि के क्षेत्रों में शामिल हैः - कृषि संबंध, भूमि सुधार और ग्रामीण श्रम पर प्रभाव, क्रिया अनुसंधान, ग्रामीण श्रम संगठनीकरण, श्रम में लैंगिक मुद्दे, कृषि/गैर-कृषि क्षेत्र में महिलाएं और सामाजिक सुरक्षा। आपको श्रम अध्ययनों में अनुसंधान एवं प्रशिक्षण में लगभग 24 वर्ष का अनुभव प्राप्त है। आप संस्थान के विभिन्न समितियों के सदस्य हैं। डॉ. चौहान, डीजीएलडब्ल्यू में ''घरेलू कामगार'' पर कार्यबल में वीवीजीएनएलआई प्रतिनिधि थी। आपने कई राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लिया है, जिनमें से एक सम्मेलन एडीबी मनीला द्वारा मनीला, फिलिपिंस में आयोजित है। आपने अनुसंधान परियोजनाएं, मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र में कामगारों के लिए शुरू की हैं, जैसे कि- स्त्री-पुरुष के हिसाब से व्यावसायिक पृथक्करण : भारतीय श्रम बाजार में एक अध्ययन (भाग-I) (गौण डाटा आधारित अन्वेषण) (अनुलिपि पत्र); स्त्री-पुरुष के हिसाब से व्यावसायिक पृथक्करण : भारतीय श्रम बाजार में एक अध्ययन (भाग-II) (प्राथमिक डाटा आधारित अनुसंधान) (अनुलिपि पत्र); लिंगः अवधारणा, संदर्भ और प्रभाव; गौण डाटा आधारित अध्ययन, एनएलआई के श्रम परियोजना में लिंगीय मुद्दे के भाग के रूप में (अनुलिपि पत्र); ग्रामीण कारीगरों के संदर्भ में ग्रामीण श्रमिकों का सशक्तीकरणः कार्यनीति तैयार करने की ओर एक क्रियानिष्ठ अनुसंधान परियाजना (अनुलिपि पत्र); भारत में महिला श्रमिकः एक विस्तृत नियम पुस्तिका (श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित परियोजना); सहकारी ग्रामीण विकास सूचना नेटवर्क - एक अध्ययन (अनुलिपि पत्र)।

डीडब्ल्यूसीआरए समूह आयोजकों के लिए प्रशिक्षण नियम पुस्तिका; ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास तथा रोजगार आश्वासन योजना - एक मूल्यांकन अध्ययन; विकास में प्रभावी प्रतिभागिता के लिए ग्रामीण श्रमिकों को संगठित करनाः खुर्जा ब्लाक, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश की एक रिपोर्ट, भारत में महिला श्रमिकों पर पुस्तिका; हथकरघा कामगारः उनकी कार्यदशाओं और कार्य तथा संगठन की परिस्थितियों की जांचः एक प्रारंभिक रिपोर्ट; महिलाएं और विकास - एक लेखा-जोखा; सामाजिक सुरक्षा का प्रभावी क्रियान्वयनः एक क्रियानिष्ठ अनुसंधान परियोजना, मध्य प्रदेश; सामाजिक सुरक्षा का प्रभावी क्रियान्वयनः एक क्रियानिष्ठ अनुसंधान परियोजना, पश्चिम बंगाल; राजस्थान में कृषि संबंध; बदलता हुआ ग्रामीण परिदृश्यः बुजावर गांव, जोधपुर, राजस्थान का एक मामला अध्ययन वीवीजीएनएलआई अनुसंधान श्रृंखला 2007; भारत में मत्स्य क्षेत्र और मछली कर्मकारः एक पर्यावलोकन, वीवीजीएनएलआई अनुसंधान श्रृंखला 2007; भारत में महिला श्रमिकों पर पुस्तिका, वीवीजीएनएलआई प्रकाशन, 2007; राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की दस-अनुसूची का अध्ययनः एक मूल्यांकन अध्ययन (एमओआरडी); सड़क परिवहन कामगार बढ़ाने के लिए उपयुक्त उपाय तैयार करने के संबंध मेः सड़क परिवहन व्यवस्था को सुधारने के विशेष संदर्भ में जीवन एवं कार्य स्थितियां; भारत में ग्रामीण कामगारों के विकास के लिए जागरूकता सृजित करने के लिए प्रभावी कार्यनीतियां एवं तकनीकियां एवं संगठन तैयार करनाः ''एक क्रियानिष्ठ अनुसंधान परियोजना (एमओआरडी); भारत में समुद्री मत्स्य पालन उद्योग एवं समुद्री मत्स्य कामगारः क्षेत्र में रोजगार संभावनाओं का पता लगाने के लिए विशेष संदर्भ में अध्ययन; बंगलौर और हैदराबाद क्षेत्रों में बीड़ी कामगारों के लिए कल्याण उपायों का अध्ययन; विकलांग व्यक्तियों के सार्थक रोजगार के लिए स्थान एवं अवसरों को बढ़ानाः एक अध्ययन; अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपायः कुछ चयनित कार्यक्रमों का अध्ययन और महाराष्ट्र एवं पश्चिम बंगाल में योजनाएं।

आप संस्थान के विभिन्न आन्तरिक नियमित प्रकाशनों एवं बाहरी पत्रिकाओं और सम्पादित पुस्तकों में भी पर्याप्त लेख प्रकाशित किए हैं। आपने ग्रामीण श्रमिकों को संगठित करने के क्षेत्र में प्राप्त अपने अनुभव को प्रलेखित किया है। आपने व्यक्तिगत रूप से एवं अन्य लेखकों के साथ पुस्तकें लिखी हैं और संपादित की हैं, आपकी पुस्तकें हैं- दि लेंदनिंग शैडोज- भारत में महिला कामगारों की स्थिति। मानव अधिकार एवं मानव विकास, भारत में महिला एवं विकासः एक लेखा-जोखा।

आपने प्रभावी नेतृत्व विकसित करने के लिए व्यवहारात्मक कौशलों और कार्य को प्रभावी रूप से व्यवस्थित करने के लिए व्यावहारात्मक कौशलों में ट्रेड यूनियन नेताओं को सशक्त बनाने पर प्रदत्त कार्यक्रमों का समन्वय करती हैं। आपने नेतृत्व विकास संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों का भी समन्वय करती हैं। । इनके अतिरिक्त, आप ग्रामीण कार्यक्रमों, ग्रामीण श्रम षिविरों और बीड़ी, परिवहन एवं मत्स्य कामगार आयोजकों के लिए प्रशिक्षण तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों का भी समन्वय करती हैं। आपने मनरेगा कामगारों के लिए कई टीओटी कार्यक्रमों को समन्वित किया। आपकी विशेषज्ञता नेतृत्व, संचार, न्याय-निर्णयन, टीम निर्माण, आपसी विश्वास, विवाद प्रबंधन, समय प्रबंधन, संगठनात्मक दबाव एवं समूह गतिजता आदि जैसे- विषयों से संबंधित है।

डॉ. हेलन आर. सेकर

वरिष्ठ फेलो

एम.ए., एम.फिल, पीएच.डी.

डॉ. हेलन आर. सेकर, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान की एक वरिष्ठ संकाय सदस्य हैं। आपने प्रेसीडेंसी कॉलेज, मद्रास से लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर की उपाधि तथा मद्रास विश्वविद्यालय से संबद्ध मद्रास क्रिश्चियन कालेज से लोक प्रशासन में एम.फिल. तथा पीएच.डी. की उपाधियां प्राप्त की हैं।

डॉ. हेलन आर. सेकर इस समय राष्ट्रीय बाल श्रम संसाधन केंद्र (एनआरसीसीएल) की समन्वयक हैं। यह कार्य प्राइमरी और गौण अनुसंधान, पक्ष समर्थन, प्रशिक्षण, योजना, अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन का मिला-जुला रूप है। यद्यपि आपकी प्रारंभिक रूचि लोक प्रशासन, भारत के कई भागों में क्षेत्रीय कार्य को तैयार करने में थी, आपने ताला उद्योग, चाकू उद्योग, पीतल वस्तु उद्योग पशुवध गृहों और माचिस तथा पटाखा उद्योग जैसे खतरनाक उद्योगों में बाल श्रम पर अनुसंधान किया। आपके अनुसंधान के अन्य क्षेत्रों में गृह आधारित कार्य, यातायात की बत्तियों पर बच्चे, कूड़ा बीनने वाले बच्चे, बाल श्रमिकों पर एचआईवी/एड्स का प्रभाव, अनौपचारिक क्षेत्र के विक्रेताओं की असुरक्षाएं तथा कमजोरियां, और संबद्ध मुद्दे शामिल हैं। आपके अनुसंधान का केंद्र बिन्दु बचपन में खतरे एवं लचीलापन और बच्चों की आर्थिक एवं सामाजिक भूमिकाओं तथा उत्प्रवासी एवं अवैध व्यापार में फसें बच्चों के श्रम आयामों पर सिद्धांत और अनुभवजन्य साक्ष्य विकसित करना था।

डॉ. सेकर का कार्य बाल श्रम और शिक्षा, बाल श्रम कानून और प्रवर्तन, बाल श्रमिकों की मांग पर प्रौद्योगिकीय परिवर्तन के प्रभाव, स्वास्थ्य और बाल श्रमिक, पंचायती राज संस्थाएं और बाल श्रम पर भी केंद्रित था। आपने संयुक्त राज्य अमेरिका के खेतों में कठोर परिश्रम करते बच्चे तथा कानूनी ढांचाः एक महत्वपूर्ण विश्लेषण पर एक अध्ययन किया है।

डॉ. हेलन आर. सेकर ने राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना का व्यापक अनुवीक्षण, डेस्क पुनर्विलोकन, निरीक्षण तथा क्षेत्र पुनर्विलोकन किया है। आपने राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के राष्ट्रव्यापी मूल्यांकन का समन्वयन नौवीं पंचवर्षीय योजना तथा दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया। आप विभिन्न समितियों, कार्य बल और सलाहकार बोर्ड के सदस्य रही हैं। आपने बाल श्रम पर पहली और दूसरी सार्क क्षेत्रीय कार्यशालाओं को भी समन्वित किया। डॉ. सेकर भारत में विभिन्न विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम तैयार करने और परीक्षकों के बोर्ड में भी शामिल रही हैं।

अनुरूपण कार्य में निपुण होने के साथ एक अनुभवी प्रशिक्षक के रूप में आपने शिक्षण तथा प्रशिक्षण कौशलों को विकसित करने में योगदान दिया है जिसके परिणामस्वरूप आपने विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों, संयुक्त राष्ट्र संगठनों, ट्रेड यूनियनों, श्रम विभागों, शिक्षा संघों, गैर-सरकारी संगठनों, पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों, वकीलों, सामाजिक कार्य के छात्रों सहित युवा समूहों, एनएसएस और एनवाईके, एनसीएलपी के परियोजना निदेशकों तथा क्षेत्र अधिकारियों के साथ व्यापक सहयोग किया है। आप विभिन्न शैक्षिक तथा प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा आयोजित पाठ्यक्रमों में अतिथि संकाय सदस्य रही हैं।

आपके द्वारा प्रकाशित कुछ पुस्तकों में शिवकासी के माचिस उद्योग में बालिका श्रमिकः उनकी जिंदगी में रोशनी नहीं; भारत में बाल श्रम विधानः एक पूर्वव्यापी तथा अग्रदर्शी अध्ययन, अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों की अरक्षितता एवं असुरक्षितताः फेरी वालों पर एक अध्ययन, बलात् बाल श्रम : ट्रैफिक लाइट पर बच्चों का अध्ययन शामिल है। डॉ. सेकर ''कच्ची उम्र में कठिन परिश्रम'', 'भारत में बाल श्रम का पुनर्वास'', राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के मूल्यांकन से पाठ सीखें, प्रकाशनों की सह-लेखक हैं, और समसामयिक परिदृश्य में कामगार के अधिकार एवं पद्धतियां एक अवलोकन की सह-सम्पादक हैं। आपने राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति की पत्रिकाओं में कई लेखक प्रकाशित किए हैं।

इसके अतिरिक्त, डॉ. सेकर ने बाल श्रम के मुद्दों पर कई पुस्तकें, प्रशिक्षण पैकेज, रिपोर्ट्स, विनिबंध तथा मोनोग्राफ तैयार किए हैं। नवीनतम पुस्तकों में ''बाल श्रम को समझना'', ''बाल श्रम एवं स्वास्थ्य खतरें'' को समझना ''बाल श्रम के उन्मूलन हेतु सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को बढ़ावा देना और बाल श्रम एवं विधायी ढांचा शामिल हैं।

डॉ. सेकर ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम अध्ययन संस्थान (आईआईएलएस), ओईएलओ-आईटीसी, यूनीसेफ और आईएलओ-आईपीईसी द्वारा शुरू किए गए अनुसंधान, प्रशिक्षण और मूल्यांकन परियोजनाओं के मूल्यांकन एवं क्रियान्वयन में सक्रिय रूप से काम किया है। आप आईएलओ-सीएलएएसपी, आईएलओ-आईपीईसी-एबीएनबीपी, आईएलओ-इंडस-सीएलपी, आईएलओ-आईपीईसी-बाल श्रम के प्रति कनवर्जिंग; भारत के मॉडल हेतु सहायता और आईएलओ-उत्तम कार्य को प्रोत्साहित करके भारत में दासता की अरक्षितता को कम करना जैसी परियोजनाओं के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन में लगी हैं। डॉ. हेलन आर. सेकर ''चाइल्ड होप'' नामक तिमाही न्यूजलेटर की संपादक हैं।

डॉ. संजय उपाध्याय

फेलो

एलएल. एम, पीएच.डी (विधि)

डॉ. संजय उपाध्याय, विगत 20 वर्षों से वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान में संकाय सदस्य के रूप में कार्यरत हैं। आप संस्थान के रोजगार संबंध और विनियमन अनुसंधान केंद्र के समन्वयक हैं। आपकी मौजूदा अनुसंधान रुचियों में ठेका श्रमिकों को कानूनी संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा कानून, रोजगार संबंध कानून तथा न्यूनतम मजदूरी का विनियमन शामिल है।

डॉ. संजय उपाध्याय द्वारा संकाय सदस्य के रूप में किए गए प्रमुख अनुसंधान अध्ययन निम्न प्रकार हैं :

- औद्योगिक न्याय-निर्णयन में विलंब : केंद्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालय, दिल्ली का मामला अध्ययन।
- नौएडा की फैक्टरियों में श्रमिक कल्याण उपायों की स्थिति : वत्र और हौजरी उद्योग का एक मामला अध्ययन।
- शिक्षा उद्योग में श्रम, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा मुद्दे नौएडा के प्राइवेट स्कूलों का मामला अध्ययन।
- अतिक्रमण रोकने की दिशा में श्रम कानूनों को मजबूत करना।
- ठेका मजदूर और न्यायिक हस्तक्षेप।
- निजी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा रखे गए सुरक्षा गार्डों के श्रम, रोजगार एवं सामाजिक सुरक्षा मुद्दे ओखला तथा नौएडा का मामला अध्ययन।
- न्यूनतम मजदूरी नीति और विनियामक ढांचे का विकासः एक अंतर-देशीय परिप्रेक्ष्य।

इनमें से अधिकांश शोध अध्ययनों को एनएलआई अनुसंधान अध्ययन श्रृंखला के रूप में प्रकाशित किया गया है ।

डॉ. संजय उपाध्याय ने भारत के प्रख्यात ट्रेड यूनियन नेताओं की संक्षिप्त जीवनियों को शामिल करते हुए एक पुस्तक का संपादन भी किया है। इसके अतिरिक्त आपने हाल ही में ठेका मजदूरी पर एक पुस्तक, जिसका शीर्षक ''भारत में ठेका मजदूरी पर नीति एवं कानून है'', भी लिखी है, जिसे थॉमसन राइटर्स द्वारा प्रकाशित किया गया है।

आप संस्थान के नियमित हिन्दी प्रकाशन ''श्रम विधान'' (जिसमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के श्रम से संबंधित निर्णयों का सार दिया जाता है) का सम्पादन हैं।

डॉ. उपाध्याय ने अनेक राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में पत्र वाचन किए हैं, अनेक परिचर्चाओं और कार्यशालाओं में भाग लिया है तथा आपने विभिन्न पत्रिकाओं और शैक्षणिक जर्नलों में कई लेख प्रकाशित किए हैं।

डॉ. रूमा घोष

फेलो

एम.ए, एम.फिल, पीएच.डी (समाजशास्त्र)

डॉ. रुमा घोष, फेलो, प्रशिक्षित समाजशास्त्री हैं। आपने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के सामाजिक विज्ञान स्कूल के सामाजिक पद्धति अध्ययन केंद्र से स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की है और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के समाज विज्ञान स्कूल के सामाजिक औषधि एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से कार्य और स्वास्थ्य समाजशास्त्र में एम.फिल और पीएच.डी की डिग्री प्राप्त की है।

डॉ. रूमा घोष 1998 से वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान में संकाय सदस्य के रूप में काम कर रही हैं और श्रम और स्वास्थ्य अध्ययन केंद्र की समन्वयक हैं। आपका विषिश्ट कार्यक्षेत्र, कार्य एवं स्वास्थ्य की सामाजिकता है तथा आप सामाजिक संरक्षण, आजीविका और स्वास्थ्य सुरक्षा पर अधिक ध्यान देते हुए अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में श्रम के अनुसंधान पर प्रमुखता से काम रही हैं। आपने श्रम संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों पर अनेक अनुसंधान परियोजनाएं शुरू की हैं, जिनमें से कुछ को आईएलओ तथा यूनिसेफ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से शुरू किया गया है। आपके हाल ही के कुछ अध्ययनों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का मूल्यांकन अध्ययन; झारखण्ड, महाराष्ट्र और पंजाब का अध्ययन; (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय), ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित कामगारों के रहन-सहन की स्थिति पर मनरेगा का प्रभाव, (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय), मत्स्यपालन उद्योग में आजीविकाः अवसर एवं असुरक्षिताएं; अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों की असुरक्षितता एवं अरक्षिततताएं; दिल्ली के फेरी वालों का अध्ययन; अनौपचारिक रोजगार में कामगारों की स्वास्थ्य असुरक्षिततताएं; विद्यमान और संभाव्य और संभावित उपायों का अध्ययन; स्थानान्तरण का अध्ययन, ईंट निर्माण के अनौपचारिक सैक्टर में श्रम प्रक्रिया एवं रोजगार, वाराणसी के जरदोसी तथा हथारी एककों में श्रम प्रक्रिया तथा रोजगार संबंध; श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के लिए 50 जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं का मूल्यांकन, पंजाब में कृषि श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी और भुगतान की विधि; गृह आधारित उद्योग और बाल श्रम का अध्ययनः (आईएलओ), जयपुर के हीरा पालिशिंग उद्योग का मामला; गृह आधारित उद्योग और बाल श्रम का अध्ययन : (आईएलओ), फिरोजाबाद के कांच के चूड़ी उद्योग का मामलाः (आईएलओ), जालंधर के खेल सामान उद्योग में बाल श्रम का अध्ययन, (यूनीसेफ), मेरठ के क्रिकेट बाल विनिर्माण में बाल श्रम शामिल हैं। आपने भारत के नौ खतरनाक उद्योगों में गृह-आधारित कर्मकारों के संबंध में आईएलओ प्रायोजित बहु-केंद्रित अध्ययन का समन्वय भी किया है।

डॉ. रुमा घोष ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, यूनीसेफ, आईपीएसए, आईसीएएपी तथा ग्लोबल फंड द्वारा आयोजित राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में सामाजिक सुरक्षा एवं संरक्षण, आजीविका सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा एवं संरक्षण, श्रमिकों का आवधिक उत्प्रवास, गृह आधारित कामगार एवं बाल श्रम जैसे विषयों में कई लेख प्रस्तुत किए हैं। आपके लेखों, शोध मोनोग्राफ तथा संपादित पुस्तकों के रूप में अनेक अनुसंधान प्रकाशन शामिल हैं।

आपने सामाजिक संरक्षण और आजीविका सुरक्षा, अनौपचारिक रोजगार में लगे कर्मकारों की सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य संरक्षण एवं सुरक्षा तथा बाल श्रम जैसे विषयों पर कई संगोष्ठियों/कार्यशालाओं का समन्वय किया है। आपके द्वारा समन्वित प्रशिक्षण कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षा एवं संरक्षण, अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों के लिए आजीविका सुरक्षा और स्वास्थ्य संरक्षण एवं सुरक्षा के विषयों पर केंद्रित होते हैं। आपने 2003 से विश्वविद्यालयों एवं अनुसंधान संस्थानों से युवा अध्यापकों एवं अनुसंधान स्कॉलरों के लिए श्रम अनुसंधान में गुणात्मक विधियों पर पाठ्यक्रम समन्वित किया है और आपने एमईए के तहत आईटीईसी/एससीएएपी प्रशिक्षण कार्यक्रम के भाग के रूप में स्वास्थ्य संरक्षण एवं सुरक्षा पर एक तीन सप्ताह के अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को भी समन्वित किया है।

आप सदस्य संयोजक-राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना संबंधी राष्ट्रीय क्षेत्रक नवाचारी परिषद (एनएसआईसी-आरएसबीवाई) हैं और आप इंडियन सोशियोलोजिकल सोसायटी, इंडियन सोसायटी आफ लेबर इक्नामिक्स, भारतीय सामाजिक विज्ञान एवं स्वास्थ्य संस्था जैसे प्रोफेशनल निकायों के साथ आजीवन सदस्य के रूप में काम कर रही हैं।

डॉ. अनूप के. सतपथी

फेलो

पीएच.डी (अर्थशास्त्र)

डॉ. अनूप के. सतपथी, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान में फेलो के रूप में कार्य कर रहे हैं और आप जलवायु परिवर्तन और श्रम केंद्र के समन्वयक हैं। आप प्रशिक्षित अर्थशास्त्री हैं और आपको अनौपचारिक अर्थव्यवस्था, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास, सामाजिक सुरक्षा एवं बाल श्रम पर विशेष जोर के साथ श्रम एवं रोजगार के क्षेत्र में अनुसंधान एवं प्रशिक्षण का 15 वर्ष का अनुभव है।

आपने वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान में अपने कैरियर के दौरान निम्नलिखित समसामयिक महत्व के मुद्दों पर अनुसंधान एवं मूल्याकंन परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है जैसे कि :- 500 मिलियन व्यक्तियों को कौशल प्रदान करने वाले प्रशिक्षकों की आवश्यकता का मूल्यांकन; विश्व बैंक सहायता प्राप्त व्यावसायिक प्रशिक्षण सुधार परियोजना की प्रबंधकीय समीक्षा (वीटीआईपी); उत्तरी कर्नाटक के गुलबर्गा क्षेत्र में कौशल अभाव विश्लेषण; अनौपचारिक सेक्टर का गठन और विशेषताएं, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं का मूल्यांकन (एमओएलई, जीओआई), सामाजिक सुरक्षा उपायों का मूल्यांकन करना और लाभार्थियों की प्रभावी भागीदारी को प्रोत्साहित करना (यूएनडीपी), जिला रोजगार और श्रम बाजार मूल्यांकन (आईएलओ - एसएएटी) तथा एजेंसी इन चिल्ड्रन एण्ड डेवलपमेंट (आईआरईडब्ल्यूओसी - योजना)। आपने 2012 के दौरान अफगान सरकार के लिए पहली अफगान राष्ट्रीय श्रम नीति (एएनएलपी) भी तैयार की और विकसित की। इस समय आप संगठित और असंगठित क्षेत्र में शामिल सामाजिक सुरक्षा के निरूपण से संबंधित अनुभव जन्य दो अनुसंधान परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं और भारत में बाल रोजगार में कमी तथा ऐसी कमी के पीछे संभावित कारणों का विश्लेषण कर रहे हैं।

आपने श्रम अर्थशास्त्र में अनुसंधान पद्धतियां, कौशल तथा उद्यमिता विकास, नेतृत्व विकास, सामाजिक सुरक्षा और बाल श्रम जैसे विषयों पर कई राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समन्वय किया है तथा वार्षिक आधार पर कौशल विकास एवं रोजगार सृजन पर एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को समन्वित किया है। इसके अतिरिक्त, डॉ. सतपथी ने सार्क क्षेत्र में बाल श्रम; कार्यनीति एवं नीति विकल्प; क्षेत्रीय श्रम संस्थानों के नेटवर्किंग पर दक्षिण-एशिया कार्यशाला; पूर्वोत्तर क्षेत्र में श्रम एवं रोजगार की प्रवृत्तियां, शहरी गरीबों एवं अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा, वैश्वीकरण एवं बाल श्रम तथा असंगठित क्षेत्र को पुनर्गठित करने जैसे क्षेत्रों पर अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर की कार्यशालाओं/संगोष्ठियों को भी समन्वित किया है।

आपने सहकर्मी अवलोकित पत्रिकाओं में कई निबंध एवं लेख प्रकाशित किए हैं तथा बाल श्रम एवं शिक्षा पर एक पुस्तक का सह-सम्पादन किया। आप भारत में बाल उत्प्रवास, गैर कानूनी रोजगार में लगे बच्चों एवं श्रम बाजार नीतियों एवं माइक्रो उद्यमों में कार्य की गुणवत्ता सुधारने जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, जिन्हें ट्यूरिन में आईएलओ के अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र द्वारा चलाया गया है। आपने जेनेवा में सितम्बर 2013 में अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को औपचारिक रूप देने संबंधी विशेषज्ञों की आईएलओ की त्रिपक्षीय बैठक में अनौपचारिक अर्थव्यवस्था विशेषज्ञ के रूप में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व भी किया।

आपको 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) के दौरान रोजगार के अवसर सृजित करने संबंधी योजना आयोग के उप-समूह के सदस्य के रूप में, रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (एमओएलई) के प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण संबंधी संचालन समिति और कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के संबंध में डाटा के संग्रहण एवं विश्लेषण संबंधी प्रमुख ग्रुप के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। आप इंडियन सोसायटी ऑफ लेबर इकनॉमिक्स एण्ड कंट्री रिप्रेजेंटेटिव, और सामूहिक परिणाम प्रबंधन संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के आजीवन सदस्य हैं।

डॉ. शशि बाला

फेलो

एम.ए, एम.फिल, पीएच.डी (अर्थशास्त्र)

डॉ. शशि बाला, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान में फेलो के रूप में कार्य कर रही हैं। आपने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन स्कूल के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं विकास केंद से अपनी पी.एच.डी. की डिग्री प्राप्त की है। आप संस्थान में लिंग एवं श्रम अध्ययन केंद्र की समन्वयक हैं। आप संस्थान में यौन-उत्पीड़न समिति की संयोजक भी हैं। आपकी विशेष रुचि के क्षेत्र श्रम अर्थशास्त्र कौशल विकास, सामाजिक सुरक्षा और लिंगीय मुद्दे हैं। आपके द्वारा किए गए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान परियोजनाओं में कौशल विकास पद्धतिः माइक्रो स्तरीय साक्ष्य; श्रमिकों के पुनर्वास के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण; राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कूल तथा माया का वैयक्तिक अध्ययन; ग्रामीण गैर-कृषि रोजगार का बदलता स्वरूप, कोरियाई श्रम बाजार में लिंगीय मुद्दे; शहरी भारत में कामकाजी महिलाएंः सरोकार एवं चुनौतियां; प्रवासी घरेलू नौकरों की नियोजन प्रक्रियाः भारत के महानगरों का एक वैयक्तिक अध्ययन; दिल्ली में जनजाति की महिला घरेलू नौकरों का उत्प्रवास; प्रसूति उपरांत कामकाजी महिलाओं की श्रम बाजार प्रतिभागिताः निजी क्षेत्रों का एक वैयक्तिक अध्ययन; तथा प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम का क्रियान्वयन, लिंग एवं सामाजिक सुरक्षा शामिल है। वर्तमान में आप जेंडर बजटिंग, ग्रामीण कैम्पों एवं (कानूनी जागरूकता एवं नेतृत्व विकास के और ग्रामीण महिलाओं के लिए विकास कार्यक्रम एवं योजनाओं पर जागरूकता के जरिए ग्रामीण महिलाओं का सशक्तीकरण) कार्य एवं रोजगार के लैंगीय आयाम परियोजना पर कार्य कर रही हैं; यौन-उत्पीड़न का मामला।

आप वर्ष 2008 में कोरियाई श्रम संस्थान की अतिथि अनुसंधानकर्ता थी, जहां आपने कोरियाई श्रम बाजार में लिंगीय मुद्दों का अध्ययन किया। संस्थान में अनुसंधान कार्यकलापों के अलावा, आपने महिलाओं के मुद्दों पर विशेष ध्यान देते हुए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों को समन्वित किया। इस वर्ष आपकी योजना सेंट्रल एवं राज्य सरकारें/संघ शासित प्रदेशों से श्रम प्रभावी प्रवर्त्तन, नीति निर्माताओं के लिए लैंगिक, गरीबी एवं रोजगार, सरकारी प्रतिनिधियों, कामगार एवं नियोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों, नागरिक समाज प्रतिनिधियों, सेंट्रल ट्रेड यूनियनों से महिला ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए नेतृत्व कौशल विकसित करने, सेंट्रल ट्रेड यूनियनों द्वारा प्रायोजित ग्रामीण महिला श्रम नेताओं के लिए ग्रामीण महिला आयोजकों को सशक्त बनाने; कौशल विकास संस्थानों के लिए अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में महिला कामगारों के लिए कौशल विकास कार्यनीतियों को विकसित करने, गैर-सरकारी संगठनों तथा सेंट्रल ट्रेड यूनियन संगठनों के ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए कार्यस्थल में महिला कल्याण मामलों; सेंट्रल ट्रेड यूनियनों एवं एनजीओ द्वारा प्रायोजित ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए श्रम में लैंगिक मुद्दे; नीति निर्माताओं के लिए भारत में लैंगिक प्रक्रियात्मक बजटिंग, राष्ट्रीय एवं स्थानीय सरकारी प्रतिनिधि, सरकारी प्रतिनिधि, सिविल सोसायटी प्रतिनिधि; नियोक्ता एवं कामगार प्रतिनिधि, क्षेत्र में अनुसंधानकर्त्ता; नियोक्ताओं, ट्रेड यूनियन कार्यकर्त्ताओं, गैर सरकारी संगठनों, श्रम प्रवर्त्तन अधिकारियों के लिए लैंगिक एवं सामाजिक सुरक्षा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रशिक्षण; कारपोरेट क्षेत्र के लिए लैंगिक एवं सामाजिक सुरक्षा; सेंट्रल ट्रेड यूनियन संगठनों से ट्रेड यूनियन नेताओं एवं एनजीओ के लिए कार्यस्थल में यौन-उत्पीड़न के संबंध में संवेदनशीलता बढ़ाना; पूर्वोत्तर क्षेत्र से एनजीओ के महिला कामगारों के लिए महिला कामगारों से संबंधित श्रम मामलों एवं कानूनों पर जागरूकता को सुदृढ़ करना; श्रम अनुसंधान में मंत्रालय एवं गुणात्मक पद्धतियां; श्रम मामलों पर कार्य कर रहे अनुसंधान अध्येताओं एवं शिक्षाविदों के लिए एनजीएलआई, अहमदाबाद में लैंगिक परिप्रेक्ष्य; श्रम से संबंधित मामलों पर कार्य कर रहे विद्यार्थियों, अनुसंधानकर्त्ताओं, शिक्षाविदों, कर्मचारियों के लिए आईआईटी, रूड़की, उत्तराखण्ड में श्रम अर्थशास्त्र को लागू करना; सरकारी विभागों, संस्थानों से अधिकारियों के लिए, कर्मचारी/नियोक्ता संगठनों से प्रतिनिधियों के लिए, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित विदेशी राष्ट्रिकों के लिए औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र/एनजीओ आदि से कार्य मामलों के लिए लैंगिक परिप्रेक्षता। विगत में आपने श्रम एवं रोजगार पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों जैसे विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम समन्वित किया है। श्रम अर्थशास्त्र में अनुसंधान पद्धतियों पर पाठ्यक्रम को संस्थान में डॉ. एस.के.षशिकुमार, वरिष्ठ फेलो के साथ संयुक्त रूप से समन्वित किया है।

डॉ. शशि बाला ने अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र ट्यूरिन; अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान (आईएमआई); अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ); कोरिया श्रम संस्थान सिओल, दक्षिण कोरिया; कोरिया प्रौद्योगिकी और शिक्षा विश्वविद्यालय के सहयोग से आईएलओ तथा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय; इंडियन सोसायटी फार लेबर इकनामिक्स के वार्षिक सम्मेलन, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, (एनआईपीसीसीडी); भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए); भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) रूड़की; महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इत्यादि में अनेक शोधपत्र प्रस्तुत किए हैं। आपके कई शोध, प्रसिद्ध पत्र-पत्रिकाओं, पुस्तकों तथा अनुसंधान अध्ययनों में प्रकाशित हो चुके हैं। आप इंडियन सोसायटी आफ लेबर इकनामिक्स तथा इंडियन पॉलिटीकल इकानामी एसोसिएशन की आजीवन सदस्या भी हैं। आप कार्य की दुनिया में लैंगिक समानता संबंधी कार्य बल, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की सदस्या भी हैं।

डॉ. राखी थिमोथी

एसोसिएट फेलो

rakkeethimothy@gmail.com

डॉ. राखी थिमोथी प्रशिक्षित अर्थशास्त्री हैं और आपने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के आर्थिक अध्ययन और योजना केंद्र से पीएच.डी डिग्री प्राप्त की है। आपने अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र में विकास अध्ययन केंद्र, तिरुअंनतपुरम से एम.फिल की उपाधि प्राप्त की है। आपके अनुसंधान विषयों में श्रम प्रवासन, श्रम बाजार गतिशीलता और कौशल विकास शामिल हैं।

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान में अपना कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व आपने असंगठित क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यम आयोग (एनसीईयूएस) में काम करते हुए असंगठित क्षेत्र में रोजगार और कार्य पर अधिकारों के बीच संबंधों की संभावनाओं की तलाश की। आपने विकास तथा मानव अधिकार केंद्र, नई दिल्ली की अनुसंधान दल के सदस्य के रूप में काम किया और आप केंद्र की अधिकार और विकास की कई परियोजनाओं में शामिल रहीं, इसमें ''विकास अधिकार पर इंडिया कंट्री अध्ययन'' भी शामिल है।

वीवीजीएनएलआई के जारी अध्ययनों में एशिया में श्रम उत्प्रवासः ढांचा एवं वित्तव्यवस्था, जिसे अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा सौंपा गया है; रोजगार पर लोगों को वार्षिक रिपोर्टें; भारत में केरल के विशेष संदर्भ में काजू कामगारों के रोजगार एवं सामाजिक संरक्षण पर अध्ययन; दोनों को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सौंपा गया। संस्थान में आपके द्वारा वर्तमान में पूरे किए गए अध्ययनों में दक्षिण एशिया से खाड़ी में महिला कर्मकारों का उत्प्रवास - यूएन वीमेन द्वारा प्रायोजित, भारत में बेरोजगारी बीमा, कोरियन श्रम संस्थान के लिए किया गया अध्ययन और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में कौषल मानचित्रणः मांग और पूर्ति अंतरालों का निर्धारण, जिसे अंडमान और निकोबार प्रशासन के लिए किया गया।

आप वीवीजीएनएलआई में श्रम बाजार अध्ययन केंद्र की सह-समन्वयक हैं। अनुसंधान कार्य करने के अलावा, आप श्रम अनुसंधान की पद्धतियों एवं दृष्टिकोणों, श्रम बाजार एवं रोजगार नीतियों, उत्प्रवास और विकास, मुद्दे एवं संभावनाओं, जलवायु परिवर्तन एवं आजीविका मुद्दों पर संस्थान में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समन्वय करती हैं। आप संस्थान की लेबर एंड डेवलपमेंट नामक पत्रिका की सह-संपादक भी हैं।

आपके नवीनतम प्रकाशनों में वीवीजीएनएलआई एवं यूएन वीमेन द्वारा प्रकाशित दक्षिण एशिया से खाड़ी को महिला कामगारों का उत्प्रवास (2012); एशिया में बेरोजगारी बीमा में भारत में बेरोजगारी बीमा, (ईडी) (2013) कोरिया श्रम संस्थान; एनएलआई अनुसंधान श्रृंखला सं. 104/2013; अन्तर्राष्ट्रीय श्रम उत्प्रवासों के लिए सामाजिक सुरक्षा; मुद्दे एवं नीति विकल्प (2013); और दक्षिण एशिया से खाड़ी को महिला कामगारों का जुटाव; भारत, उत्प्रवासन रिपोर्ट, 2013 में पणधारियों की प्रतिक्रियाएं (ईडी) (2013), रूटलेज शामिल हैं।

श्री प्रियदर्शन अमिताव खुंटिया

एसोसिएट फेलो

एम.ए (अर्थशास्त्र), एम.ए (लोक प्रशासन),
एम.फिल (लोक प्रशासन)

श्री प्रियदर्शन अमिताव खुंटिया, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान में एसोसिएट फेलो के रूप में कार्य कर रहे हैं। आप लोक प्रशासन में एम.फिल उपाधि के साथ अर्थशास्त्र और लोक प्रशासन में प्रथम श्रेणी स्नातकोत्तर हैं। वर्ष 2004 में वीवीजीएनएलआई में आपने ''श्रम अर्थशास्त्र में अनुसंधान पद्धति संबंधी पाठ्यक्रम'' में भाग लिया था। आपको वीवी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के ''युवा शोध फेलोशिप 2005-06 कार्यक्रम'' के लिए भी चुना गया था और आपने इसमें भाग लिया था।

आपके अनुसंधान विषयों में विनिर्माण श्रम, कौशल विकास, सामाजिक सुरक्षा और बाल श्रम शामिल है। आपके अनुसंधान कार्य ''वैश्वीकृत युग में विनिर्माण कामगारों के समक्ष अवसर एवं चुनौतियां भारत का मामला'' को एनएलआई अनुसंधान अध्ययन श्रृंखला में प्रकाशित किया गया है।

आपने विनिर्माण उद्याङ्ग में उत्तम कार्य को प्रोत्साहित करने, स्वास्थ्य सुरक्षा विकसित करने, ग्रामीण ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम, बालश्रम से जुड़े युवाओं की क्षमता बढ़ाने, उत्कृष्ट कार्य के लिए सकरात्मक सोच विकसित करने, अनौपचारिक क्षेत्र में महिला कामगारों के लिए कौशल विकास कार्यनीतियों का विकास करने, पहाड़ी क्षेत्रों में आजीविका एवं सामाजिक संरक्षण प्रबंधन; श्रम मामलों पर अभिविन्यास कार्यक्रम, पूर्वोत्तर राज्यों से ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम, विकास कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अच्छे शासन, समुद्रतटीय क्षेत्रों में आजीविका एवं सामाजिक संरक्षण प्रबंधन, श्रम अध्ययनों में अनुसंधान पद्धतियां, पाठ्यक्रम निदेशक के रूप में पूर्वोत्तर राज्यों में महिला कामगारों के लिए कौशल विकास को प्रोत्साहित करने जैसे विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम समन्वित किए हैं।

आपने संस्थान के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में श्रम बाजार, कौशल विकास, लैंगिक मुद्दों, सामाजिक सुरक्षा (स्वास्थ्य सुरक्षा), विनिर्माण श्रम, बाल श्रम और अभिसारित मुद्दों, अनुसंधान पद्धतियों, श्रम कानूनों, सकारात्मक सोच पर सत्रों का संचालन किया है।

आप एनसीएलपी के क्षेत्रीय मूल्यांकन से श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की परियोजना मॉनीटरिंग समिति के एक सदस्य के रूप में संबद्ध है और इस प्रयोजन हेतु आपने पंजाब का दौरा किया। आप एनआरसीसीएल के सह-समन्वयक भी हैं।

श्री खुंटिया ने एजुकेशनल रिसोर्स सेंटर द्वारा फोर्ड फाउंडेशन, इंडियन सोसायटी ऑफ लेबर इकनॉमिक्स, समाज, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान; श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, आईएलओ, सीईसी, विश्लेषणात्मक एवं अनुप्रयुक्त आर्थिकी विभाग (उत्कल विश्वविद्यालय), लोक प्रशासन विभाग, (यू.यू.) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं, सम्मेलनों एवं संगोष्ठियों में और आत्म-विकास, एमएनआरईजीएस, बालश्रम, सामाजिक सुरक्षा, महिला सशक्तीकरण, ईएसआई स्कीम, भारत में दासता की अरक्षितता को कम करने जैसे विषयों पर भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (ओडिशा क्षेत्र) में भाग लिया है/लेख प्रस्तुत किए हैं।

श्री अतोजीत क्षेत्रिमयूम

एसोसिएट फेलो

एम.ए, एम.फिल (सामाजिक विज्ञान)

श्री अतोजीत क्षेत्रिमयूम, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान में एसोसिएट अध्येता के रूप में कार्यरत हैं। आप पूर्वोत्तर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र के सहायक समन्वयक हैं और लेबर एंड डेवलपमेंट पत्रिका के सहायक संपादक हैं। आपकी रूचि क्षेत्रों में औद्योगिक समाज विज्ञान, कौशल विकास, सामाजिक संरक्षण और आजीविका सुरक्षा, लिंगीय और श्रम मुद्दे, सामूहिक सामाजिक उत्तरदायित्व, सहकारिता, अनुसंधान कार्य पद्धतियां, श्रम प्रशासन एवं पूर्वोत्तर भारत में श्रम और रोजगार के मुद्दे शामिल हैं।

आप प्रशिक्षित समाजशास्त्री हैं। आपने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के समाज विज्ञान विभाग से समाज विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है और जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के समाज विज्ञान स्कूल, सामाजिक पद्धति अध्ययन केंद्र से एम.फिल/पीएच.डी की उपाधि प्राप्त की है। आपके शोध प्रबंध का शीर्षक ''पुश्तैनी से सहकारिता : मणिपुर में हथकरघा बुनाई'' का एक मामला अध्ययन है। इस संस्थान में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व आपने सिक्किम केंद्रीय विश्वविद्यालय, गंगटोक में समाज विज्ञान स्कूल के सामाजिक पद्धति और मानव विज्ञान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के महिला अध्ययन और विकास केंद्र में सीनियर फेलो के रूप में कार्य किया। अपने राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एन सी ई आर टी) तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) द्वारा संचालित परियोजनाओं में भी कार्य किया है।

आपने अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय, दोनों स्तर के सम्मेलनों/संगोष्ठियों में सत्रह अनुसंधान लेख प्रस्तुत किए हैं। आपने सात अनुसंधान लेख प्रकाशित किए हैं :

- ''भारतीय कम्पनी अधिनियम, 2013 में सीएसआर प्रावधान; एक अवलोकन'', अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सार, खण्ड 11, सं. 11, पृ. 90-95, नवम्बर 2013, आईएसएसएन 1599-8355 में
- ''कपड़ा, महिलाएं तथा सामाजिक परिवर्तन : मणिपुर में हथकरघा बुनाई स्थापन'', सकर्म सोमायाजी एवं विमल खवास (सम्पादन) 2012 में। हिमालयी क्षेत्र में पर्यावरण, विकास तथा सामाजिक परिवर्तन, नई दिल्ली : आकांक्षा प्रकाशन हाऊस, पृष्ठ 237-272 आई एस बी एन 978-81-8370-319-2
- ''ग्रामीण विकास में सहकारिता पर पुनर्विचार : मणिपुर में हथकरघा बुनकर सहकारिताओं का मामला अध्ययन''; लेबर एंड डेवलपमेंट पत्रिका, खण्ड 18, जून, 2011 में। पृष्ठ सं. 65-79, आई एस एस एन 0973-0419
- ''अनुष्ठान की राजनैतिक व्याख्या : मणिपुर में लाई हारोबा का मामला'', वैकल्पिक परिप्रेक्ष में, खण्ड-ज, विशेष अंक, मार्च, 2011, पृष्ठ 18-29, आई एस एस एन 2248-969x
- ''मणिपुर तथा कोरिया में महिलाएं तथा तंत्रवाद : एक तुलनात्मक अध्ययन'', इंडियन एंथ्रोपोलिजिस्ट, खण्ड 39, संख्या 1 एवं 2, जनवरी-दिसम्बर 2009, पृष्ठ 17-34, आई एस एस एन 0970-0927
- ''सांस्कृतिक फैलाव का निरूपण : पूर्वोत्तर में कोरियन वेब (हैल्यू) का एक मामला अध्ययन, सुशीला नरसिम्हन एंड किम दो यंग (संपादक) 2008। भारत तथा कोरिया'' : अंतर पाटना, नई दिल्ली; मानक प्रकाशन, पृष्ठ 181-195, आई एस बी एन 81-7827 198-2
- ''विद्यालयी शिक्षा में आईसीटी एकीकरण : एक सामाजिक कथन'', जर्नल आफ इंडियन एजूकेशन में, खण्ड XXXIII, संख्या 1, मई 2007, पृष्ठ 62-70, आई एस एस एन 0972-5628

वी वी जी एन एल आई में आपने कौशल विकास तथा रोजगार सृजन; सामाजिक संरक्षण तथा आजीविका सुरक्षा; श्रम कानून के मूलतत्व, और सरकारी कर्मचारियों, ट्रेड यूनियन नेताओं व सिविल सोसायटी संगठनों के प्रतिनिधियों के लिए श्रम प्रशासन से संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम समन्वित किए हैं। आपने दो पाठ्यक्रम आरंभ किए हैं, नामतः श्रम समाज शास्त्र और वैश्वीकरण; तथा पूर्वोत्तर भारत में श्रम बाजार, रोजगार तथा सामाजिक संरक्षण, जो विशेष रूप से श्रम से संबंधित मामलों पर कार्य कर रहे युवा अनुसंधानकर्त्ताओं/अनुसंधान अध्येताओं के लिए हैं। आपने अफगानिस्तान से सरकारी पदाधिकारियों के लिए कौशल विकास तथा रोजगार सृजन पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को समन्वित किया है। आपने महाराष्ट्र श्रम अध्ययन संस्थान, मुम्बई के साथ असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा पर सामूहिक कार्यशाला को भी समन्वित किया है। आप विदेश मंत्रालय के आईटीईसी/एससीएएपी कार्यक्रम के तहत समाज सुरक्षा उपाय तथा विकास प्रबंधन संबंधी अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के पाठ्यक्रम निदेशक हैं।

- वी वी जी एन एल आई में आपने निम्न परियोजनाएं शुरू की हैं :-
- रोजगार की गतिशीलता एवं सामाजिक-आर्थिक वास्तविकता; मेघालय के पूर्व एवं पश्चिम जैंतिया पहाड़ी जिले में कार्य पर बच्चों का अध्ययन।
- रोजगार एवं औद्योगिक संबंध के क्षेत्र में सामूहिक सामाजिक उत्तरदायित्व पद्धतियां।
- राष्ट्रीय कौशल विकास नीति के संदर्भ में 2022 तक 500 मिलियन व्यक्तियों को कुशल बनाने के लिए प्रशिक्षकों की आवश्यकता का निर्धारण (पर्यटन क्षेत्र)।
- मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के कार्यालय की योजनागत स्कीमों का मूल्यांकन करने के लिए अध्ययन।

संपर्क करें :

टेलीफोन (कार्यालय) : 91-120-2411535, एक्सटेंशन 212 (मोबाइल) 9818107829

फैक्स : 0120-2411536 ई-मेल : otojit@gmail.com

डॉ. रिन्जू रसाइली

एसोसिएट फेलो

पीएच.डी (सामाजिक चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य)

डॉ. रिन्जू रसाइली बागान श्रमिकों, कामगारों के स्वास्थ्य, पहचान के आधार पर बहिष्कार तथा आजीविका और विकास के मुद्दों पर संकेन्द्रण के साथ श्रमिक मुद्दों पर कार्यरत हैं। आपने चाय बागान क्षेत्र में श्रम मुद्दों पर व्यापक शोध कार्य किया है तथा साथ ही श्रम इतिहास तथा जाति, क्षेत्रीयता और लिंग के आधार पर निर्धन श्रमिकों के सामाजिक बहिष्कार संबंधी मुद्दों पर अध्ययन करने में भी रूचि प्रदर्शित की है।

आपने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के सामाजिक चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से पीएच.डी उपाधि प्राप्त की है। अपने शोध ''चाय बागानों में श्रम एवं स्वास्थ्य : फुगुरी टी इस्टेट, दार्जिलिंग'' का एक वैयक्तिक अध्ययन, में आपने चाय श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं कार्य दशाओं के सामाजिक कारणों की जांच की। आपके प्रकाशनों में जर्नलों तथा समाचार पत्रिकाओं में प्रकाशित लिंग, श्रम और पहचान पर लेख और पुस्तक समीक्षाएं शामिल हैं।

आप वर्तमान में दो स्वतंत्र परियोजनाओं पर काम कर रही हैं i) ''कार्यस्थल स्वास्थ्य तथा सुरक्षा : दिल्ली में चुनिंदा लघु औद्योगिक इकाइयों का अध्ययन'' ii) ''चाय बागान क्षेत्र में महिला श्रम : बदलते संछेदी क्षेत्र एवं उभरती चुनौतियां'', जो वाणिज्य मंत्रालय; भारत सरकार द्वारा विकास अध्ययन सेंटर (सीडीएस), त्रिवेंद्रम में संस्थापित बागान विकास पर राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम (एनआरपीपीडी) के अन्तर्गत है। आपने कुछ अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अलावा, कार्य, लिंग तथा स्वास्थ्य में अनुसंधान विधियों संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यस्थल स्वास्थ्य तथा सुरक्षा : मुद्दे तथा चुनौतियां, बागान क्षेत्र में श्रम, उत्पादकता तथा आजीविका पर प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए हैं। आपने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय, दोनों स्तरों पर विभिन्न पणधारकों जैसे ट्रेड यूनियनों, शिक्षाविदों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, जो मूल रूप से चाय बागान क्षेत्र में श्रम अधिकारों तथा मानव अधिकारों पर कार्यरत हैं, के साथ अनुसंधान, प्रशिक्षण, अभियान, पक्ष समर्थन तथा नेटवर्किंग में अनुभव का प्रदर्शन किया है।

आप भारत सरकार की व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी राष्ट्रीय क्षेत्रक नवाचार परिषद (एन एस आई सी -ओ एस एच) की सदस्य संयोजक तथा ''भारत में बागान श्रम संबंधी नीतिगत ढांचे'', भारत सरकार की राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) की कार्यकारी समूह की एक सदस्य हैं। आप वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान में श्रम एवं स्वास्थ्य अध्ययन केंद्र में सह-समन्वयक और आन्तरिक न्यूजलेटर इंद्रधनुष की सह-सम्पादक भी हैं।

आपके हाल ही के आन्तरिक प्रकाशनों में ''स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर विनियामक ढांचा; एक अवलोकन''; ''उत्तरी बंगाल चाय बागान में विशेषात्मकता की पहचान एवं पॉलिटिक्सः कुछ प्रतिबिंबन''; और ''पश्चिमी बंगाल में चाय बागान क्षेत्र में बदलती भूमि उपयोग पद्धतियां''; कुछ नीति अनिवार्यताएं, शामिल हैं; चर्चा लेख सं. 22, एनआरपीपीडी, त्रिवेन्द्रम 2013 ।

संपर्क करें :

टेलीफोन (कार्यालय) : 91-120-2411533/34/35, एक्सटेंशन 229

फैक्स : 91-120-2411536

ई-मेल : rasaily@gmail.com

डॉ. एलीना सामंतराय

एसोसिएट फेलो
एम.ए., एम.फिल, पीएच.डी (समाजशास्त्र),
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

डॉ. एलीना सामंतराय वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा में एक संकाय सदस्य हैं। आप वी वी जी एन एल आई में लिंग और श्रम केंद्र की सह-समन्वयक भी हैं। आपने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान स्कूल के सामाजिक पद्धति अध्ययन केंद्र से समाज शास्त्र में स्नातकोत्तर, एम.फिल और पीएच.डी की उपाधि प्राप्त की है। आपके पीएच.डी शोध कार्य का शीर्षक ''बदलती युवा संस्कृति-दिल्ली के युवा शहरी व्यावसायिक'' पर एक अध्ययन था। इस संस्थान में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व आप वसंत कन्या महाविद्यालय, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के समाज शास्त्र विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में काम कर रही थीं और वहां आपने 6 वर्ष तक अध्यापन कार्य किया। आप वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान में श्रम में लिंगीय मुद्दे, महिला आयोजकों का सशक्तीकरण, लिंग, गरीबी और रोजगार संबंधी विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का समन्वयन कर रही हैं। आपने 2011 में श्रम में लिंगीय मुद्दों में अनुसंधान पद्धति नामक एक नया पाठ्यक्रम शुरू किया है, और लिंग और श्रम केंद्र में इस पाठ्यक्रम का सफल संचालन किया है। आपने हाल ही में आईएलओ अभिसमय 181 शीर्षक की परियोजना भारत में निजी व्यवस्थापन एजेंसियों के संदर्भ में मुद्दे एवं चुनौतियां को पूरा किया है। आपके द्वारा पूरी की गई अन्य अनुसंधान अध्ययनों में, लिंग सांख्यिकी को बनानाः भारत में लिंग विभेदीकृत आंकड़ों का विश्लेषण शामिल है। वर्तमान में आप एक अनुसंधान अध्ययन पर काम कर रही हैं, जिसका शीर्षक-कार्य एवं पारिवारिक जीवन का मेल-मिलाप; दिल्ली एवं एनसीआर में कामकाजी महिलाओं का समय उपयोग पद्धति का पता लगाना है। आपकी रुचि के शोध कार्यों में लिंग संबंधी आंकड़े, समयोपयोग अध्ययन, अप्रदत्त एवं उपचार कार्य, कार्य एवं पारिवारिक जीवन में संतुलन, श्रम में लिंगीय मुद्दे, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में लिंग तथा कार्य, कार्य का समाज शास्त्र, लिंग एवं सामाजिक संरक्षण तथा युवा एवं विकास अध्ययन का समाज शास्त्र शामिल हैं।

आपके प्रकाशनों में पुस्तकें, सम्पादित खण्डों में अध्याय तथा प्रतिष्ठित शैक्षणिक पत्रिकाओं एवं समाचारपत्रों में अनुसंधान लेख शामिल हैं। हाल ही में आपने 2012 में रावत पब्लिकेशन्स से ''वैश्वीकरण तथा भारत में समाजिक परिवर्तन'' शीर्षक की एक पुस्तक (सहलेखन) प्रकाशित की है। आपके द्वारा लिखी गई अन्य पुस्तकों में ये शामिल हैं :- 2011 में विकास पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित सोशियालॉजी आफ इंडिया सोसायटी एंड नेशनल प्राब्लम्स फॉर एम.ए. डिस्टेंस लर्निंग इन सोशियलॉजी शामिल है। आपके हाल के कुछ अन्य प्रकाशनों में श्रम सांख्यिकी को बनाना पर एक लेख शामिल है, जो सेज़ प्रकाशन द्वारा सामाजिक बदलाव में प्रकाशित एक लिंग विभेदीकृत आंकड़ों की देषव्यापी तुलना (सह-लेखित) है, एशियन सामाजिक विज्ञान पत्रिका (2012) में प्रकाशित एक पुस्तक समीक्षा है और पुस्तकों में अध्याय, नामतः- ओडिशा में महिला सशक्तीकरण एवं लैंगिक असमानता, सहत्राब्दि विकास लक्ष्यों के संदर्भ में मुद्दे एवं चुनौतियां, एक्सिस बुक्स प्रा. लि., नई दिल्ली 20111 में सम्पादित पुस्तक समकालीन ओडिशाः वास्तविकताएं एवं विजन में प्रकाशित तथा संरचनात्मक हिंसा एवं महिलाएंः भारत में लैंगिक हिंसा का सामना कर रही महिलाएं शीर्षक, नामक अध्याय, विवा बुक्स द्वारा प्रकाशित सम्पादित खण्ड में 2011 में जांच एवं सफलता हैं। आपके प्रकाशनाधीन कुछ कार्य में विभिन्न शैक्षणिक पत्रिकाओं में लेख हैं।

आपने अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय, दोनों सम्मेलनों में कई शोध लेख प्रस्तुत किए हैं तथा कई कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया है। आपने राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रशासन अकादमी (एम ओ पी एस आई) ग्रेटर नोएडा, अर्जुन सिंह दूरस्थ शिक्षा केंद्र, जामिया मिलिया इस्लामिया और मालवीय शांति अनुसंधान केंद्र, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में विशेष व्याख्यान दिए हैं। आपने ज्ञान वाणी (इग्नू) और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान के लिए रेडियो वार्ता की है। आप भारत में विभिन्न प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों की अकादमिक पाठ्यचर्या समीक्षा तथा विकास समिति की सदस्य भी हैं।

ई-मेलः ellinasamantroy@gmail.com
ellinasanantroy@yahoo.co.in

डॉ. धन्या एम. बी.

एसोसिएट फेलो

एम.ए., पीएच.डी. (अर्थशास्त्र)

डॉ. धन्या एम. बी., वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई) में एसोसिएट फेलो के रूप में काम कर रही हैं। आपने केरल विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में ग्रामीण महिला सशक्तीकरणः केरल में कुदुम्बश्री लाभार्थियों पर एक अध्ययन विषय पर पीएच.डी की उपाधि प्राप्त की है। आप वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान में कृषि संबंध तथा ग्रामीण श्रम केंद्र की सह समन्वयक हैं। आप श्रम में लिंगीय मुद्दों पर अनुसंधान पद्धतियां, नेतृत्व विकास, युवा नियोजिता कौशल, सामाजिक सुरक्षा, माइक्रो वित्त, अनुसंधान में विभिन्न पद्धतियों पर पाठ्यक्रम आदि जैसे विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समन्वय भी करती हैं। आपने ''लैंगिक आंकड़े (2012)'' और ''भारत में कार्य एवं अनौपचारिक क्षेत्र में मूलभूत नियम एवं अधिकार'' (2013) पर दो अनुसंधान परियोजनाओं को पूरा किया है, जो एनएलआई अनुसंधान अध्याय श्रृंखला में प्रकाशित हैं। आप मुख्य श्रमायुक्त (केंद्रीय) के अध्यक्षता वाली त्रिपक्षीय कार्य समूह की सदस्य भी हैं, जो आईएलओ अभिसमय सं. 87 एवं 98, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसमर्थन की प्रक्रिया को सुकर बनाता है।

आपने ''सशक्तीकरण प्रक्रिया में ग्रामीण महिला लामबंदी केरल राज्य, भारत से एक अनुभव'' जिसका शीर्षक वाली एक पुस्तक का लेखन किया है तथा एक पुस्तक का सम्पादन भी किया है, जिसका शीर्षक ''समसामयिक पारिदृश्य में कामगारों के अधिकार एवं प्रैक्टीशनर'' है। आपने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न जर्नलों में अनेक अनुसंधान लेख तथा सम्पादित पुस्तकों में अध्याय भी प्रकाशित किए हैं। आपके कुछ हालिया लेखों में शामिल हैं :- ''भारत में कार्य एवं अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में अधिकार; वर्तमान प्रवृत्तियां एवं चुनौतियां'' (2014, आगामी), ''श्रम बल में बदलती लैंगिक प्रवृत्तियां श्रम आंकड़ों के जरिए पता लगाना'' (2012), ''श्रम सांख्यिकी को बनानाः लिंग विभेदीकृत आंकड़ों की देशव्यापी तुलना'', सामाजिक मुद्दों के प्रबंधन में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की भूमिका - क्षमता दृष्टिकोण से परिप्रेक्ष्य'' (2011); ''बहुआयामी गरीबी सूचकांक- भारतीय संदर्भ में प्रासंगिकता एवं अनुप्रयोग (2011), महिलाओं के विरूद्ध हिंसा एक विरोधाभास'' (2011), वित्तीय समावेशन के जरिए समावेषी विकास (2011), माइक्रो वित्त के जरिए युवा सशक्तीकरण; ग्रामीण केरल के ''युवाश्री'' कार्यक्रम का वैयक्तिक अध्ययन (2010), मानव अधिकार एवं लैंगिक समानता (2010)''; ''भारतीय युवा एवं जनांकिकीय संक्रमण'' (2010) आदि। आपने वैश्वीकरण, विकास और संक्रमणः पूंजी तथा श्रेणी में प्रख्यात अर्थविदों के साथ बातचीत पर पुस्तक समीक्षा भी प्रकाशित की है। आपने आईजीआईडीआर, आईआरएमए, आरजीएनआईवाईडी, फ्रेंच संस्थान, लोक उद्यम संस्थान इत्यादि द्वारा आयोजित राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में विभिन्न विषयों में अनुसंधान पत्र प्रस्तुत किए है जिनके विषय हैं - ऋण ग्रस्तता तथा सामाजिक बहिष्कार, विकास पर नीतिगत सुधारों की सुसंगतताः, उभरती अर्थव्यवस्थाओं के समक्ष चुनौतियां, समाज विज्ञान अनुसंधान का पुनः अभिकल्पन : लोक कार्रवाई के लिए उपयुक्त कार्यप्रणालियां हैं। आप श्रम विधानों के जर्नल, अवार्ड डाइनेस्ट के सम्पादकीय बोर्ड में भी है।

आपकी मौजूदा अनुसंधान रुचियों में युवा, श्रम एवं रोजगार, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था एवं श्रम अधिकार; लिंग सांख्यिकी, एवं श्रम में लैंगिक मुद्दे, आर्थिक एवं सार्वजनिक नीति तथा माइक्रो वित्त शामिल हैं।

ई-मेल : dhanyambala@gmail.com

टेलीफोन : 0120-2411533/34 एक्सटेंशन : 206

फैक्स : 91-120-2411536

मोबाइल : 9582997445

संपर्क नंबर और ई-मेल पते

महानिदेशक

श्री पी.पी. मित्रा

टेलीफोन : 0120-2411470 एक्सटेंशन 232

directorgeneralvvgnli@gmail.com

संकाय सदस्य

- **डॉ. एस. के. शशिकुमार**
  वरिष्ठ फेलो
  फोन : 0120-2411022
  मोबाइल : 9818893748
  sasikumarsk2@gmail.com
- **डॉ. पूनम एस. चौहान**
  वरिष्ठ फेलो
  फोन : 0120-2411486
  मोबाइल : 9899234120
  punamchauhan36@gmail.com
- **डॉ. हेलन आर. सेकर**
  वरिष्ठ फेलो
  फोन : 0120-2412498
  helensekar@gmail.com
- **डॉ. संजय उपाध्याय**
  फेलो
  फोन : 0120-2411736
  मोबाइल : 9210663832
  sanjaynli@gmail.com
- **डॉ. रूमा घोष**
  फेलो
  फोन : 0120-2411573
  मोबाइल : 9810649269
  rumanli@gmail.com
- **डॉ. अनूप कुमार सतपथी**
  फेलो
  फोन : 0120-2411483
  मोबाइल : 9811217966
  anoop.kumarsatpathy@gmail.com
- **डॉ. शशि बाला**
  फेलो
  फोन : 0120-2411776
  shashibala2002@gmail.com
- **डॉ. राखी थिमोथी**
  एसोसिएट फेलो
  फोन : 0120-2411533/34 एक्सटेंशन 237
  मोबाइल : 9873101227
  rakkeethimothy@gmail.com
- **श्री प्रियदर्शन अमिताव खुंटिया**
  एसोसिएट फेलो
  फोन : 0120-2411533/34 एक्सटेंशन 251
  मोबाइल : 9873013064
  Amitav_1@rediffmail.com
- **श्री अतोजीत क्षेत्रिमयूम**
  एसोसिएट फेलो
  फोन : 0120-2411533/34 एक्सटेंशन 212
  मोबाइल : 9818107829
  otojit@gmail.com
- **डॉ. रिन्जू रसाइली**
  एसोसिएट फेलो
  फोन : 0120-2411533/34 एक्सटेंशन 229
  मोबाइल : 9868948757
  rasaily@gmail.com
- **डॉ. एलीना सामंतराय**
  एसोसिएट फेलो
  फोन : 0120-2411533/34 एक्सटेंशन 223
  मोबाइल : 9654654282
  ellinasamantroy@gmail.com
- **डॉ. धन्या एम. बी.**
  एसोसिएट फेलो
  फोन : 0120-2411533/34 एक्सटेंशन 204
  मोबाइल : 9582997445
  dhanyambala@gmail.com

अधिकारी

- **श्री जे. के. कौल**
  कार्यक्रम अधिकारी
  टेलीफैक्स : 0120-2411471
  jkkaulvvgnli@rediffmail.com
- **श्री हर्ष सिंह रावत**
  लेखा अधिकारी
  फोन : 0120-2411533/34 एक्सटेंशन 221
  मोबाइल : 9911361290
  rawatharsh2002@yahoo.co.in
- **श्री वी. के. शर्मा**
  सहायक प्रशासन अधिकारी
  फोन : 0120-2411685
  मोबाइल : 9213102817
  vks_1967@rediffmail.com
- **श्री एस. के. वर्मा**
  सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी
  फोन : 0120-2411262
  मोबाइल : 9911191995
  skvsrv@gmail.com

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

प्रशिक्षण कार्यक्रम कैलेंडर 2014-15

क्र. सं.	कार्यक्रम का शीर्षक	लक्षित समूह	कार्यक्रमों की सं.	दिनों की सं.	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	पाठ्यक्रम निदेशक
श्रम प्रशासन कार्यक्रम (एलएपी)																	
1	अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी : भूमिका और कार्य	राज्य सरकारों से अर्ध-न्यायिक अधिकारी	01	04										27-30			संजय उपाध्याय
2	वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में श्रम प्रशासन, नये विकास एवं दृष्टिकोण	श्रम अधिकारी	02	04						1-4						2-5	एस.के. शशिकुमार, राखी थिमोथी
3	गुणवत्ता रोजगार सृजित करने की दिशा में चुनौतियां एवं विकल्प	सरकारी कर्मचारी, अनुसंधानकर्त्ता सीटीयूके प्रतिनिधि	01	04					19-22								एस.के. शशिकुमार, राखी थिमोथी
4	प्रभावी श्रम कानून को लागू करना	राज्य सरकारों से श्रम प्रवर्त्तन अधिकारी/ निरीक्षक	01	05				21-25									संजय उपाध्याय
5	असंगठित क्षेत्र में श्रम कानूनों का प्रभावी प्रवर्तन	केंद्रीय/राज्य सरकारों से श्रम प्रवर्तन अधिकारी	01	05			23-27										संजय उपाध्याय
6	महिला कर्मचारियों से संबंधित कानूनों का प्रभावी प्रवर्तन	केंद्र तथा राज्य सरकारों से श्रम प्रवर्तन अधिकारी	02	05		6-10		14-18									शशि बाला
7	स्वास्थ्य संबंधी कानूनों का प्रभावी प्रवर्तन (आईआरपी)	केंद्र/राज्य सरकार से श्रम अधिकारी	01	05					4-8								रूमा घोष
औद्योगिक संबंध कार्यक्रम																	
8	वैश्विक अर्थव्यवस्था में औद्योगिक संबंध और ट्रेड यूनियनवाद	मानव संसाधन कार्यकारी और ट्रेड यूनियन नेता	01	04						1-4							एस.के. शशिकुमार
9	ट्रेड यूनियन नेताओं को सशक्त बनाना	प्लांट स्तरीय ट्रेड यूनियन नेता	04	06	14-19	19-24				22-27		24-29					पूनम एस. चौहान
10	प्रभावी नेतृत्व विकास के लिए व्यवहारवादी कौशल	प्लांट स्तरीय ट्रेड यूनियन नेता	02	05			23-27								2-6		पूनम एस. चौहान
11	कार्य का प्रभावी प्रबंधन : व्यवहारवादी दृष्टिकोण	प्लांट स्तरीय ट्रेड यूनियन नेता तथा कार्यकारी	01	04					4-7								पूनम एस. चौहान
12	कार्य में उत्कृष्टता के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना	प्लांट स्तरीय ट्रेड यूनियन नेता तथा कार्यकारी	01	04											23-26		पूनम एस. चौहान
13	श्रम कानूनों के मूल तत्व	सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी उपक्रमों के अधिकारी	01	05									1-5				संजय उपाध्याय
14	लैंगिक एवं सामाजिक सुरक्षा	कार्यरपोरेट क्षेत्र	01	05				28----01									शशिबाला
क्षमता निर्माण कार्यक्रम																	
15	ग्रामीण ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	सी टी यू ओ से ग्रामीण असंगठित क्षेत्र के ट्रेड यूनियन नेता	06	05				7-11	19-22	15-19		24-28			9-13	16-20	पी. अमिताव खुंटिया, एलीना सामंतराय, रिन्जू रसाइली, संजय उपाध्याय
16	ग्रामीण महिला आयोजकों को सशक्त बनाना	सी टी यू ओ से राज्य और जिला स्तरीय महिला ट्रेड यूनियन नेता	03	05	7-11	5-9										23-27	शशि बाला, रिन्जू रसाइली, एलीना सामंतराय
17	नेतृत्व कौशल का विकास	बागान उद्योग से सी टी यू ओ से ट्रेड यूनियनें	01	05				28----01									रिन्जू रसाइली
18	नेतृत्व कौशल विकास	सी टी यू ओ से महिला ट्रेड यूनियन नेता	02	05				7-11	11-15								धन्या एम. बी. शशि बाला
19	श्रम उत्पादकता तथा आजीविका	बागान क्षेत्र	01	05									8-12				रिन्जू रसाइली
20	अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में महिला कर्मकारों के लिए कौशल विकास, कार्यनीतियां विकसित करना	ट्रेड यूनियनों, कौशल विकास संस्थानों और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि	01	04		19-22											शशि बाला
21	नेतृत्व कौशल में वृद्धि करना	सी टी यू ओ से परिवहन कर्मकारों के ट्रेड यूनियन नेता/आयोजक	02	05				21-25					15-19				पूनम एस. चौहान
22	श्रम में लिंगीय मुद्दे	ट्रेड यूनियन और एनजीओ	02	05	28----02								22-26				शशि बाला एलीना सामंतराय
23	भारत में जेंडर रेस्पोंसिव बजटिंग	सरकार और सिविल सोसायटी, नियोक्तक एवं सीटीयूओ से प्रतिनिधि	01	05			2-6										शशि बाला
24	कार्यस्थल पर महिलाओं के कल्याण संबंधी मुद्दे	केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों की महिला ट्रेड यूनियन नेता	01	05							27-31						शशि बाला
25	लिंग तथा सामाजिक सुरक्षा	नियोक्ता ट्रेड यूनियन कार्यकर्त्ता, एनजीओ, एनईओ	01	05		5-9											शशि बाला
26	नेतृत्व कौशल सुदृढ़ीकरण	ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि/बीड़ी कामगारों के आयोजक	02	05										19-23		16-20	पूनम एस. चौहान
27	निर्माण उद्योग में उत्तम कार्य को बढ़ावा देना	निर्माण कामगारों के नेता/यूनियन कार्यकर्त्ता, नियोक्ता संगठनों से प्रतिनिधि एवं श्रम कर्मचारी	01	05	7-11												पी. अमिताव खुंटिया
28	पर्वतीय क्षेत्रों में आजीविका प्रबंधन और सामाजिक संरक्षण	सरकारी पदाधिकारी, एन जी ओ तथा पहाड़ी क्षेत्रों में ट्रेड यूनियन	01	05				28-01									पी. अमिताव खुंटिया
29	उत्प्रवास और विकास मुद्दे तथा परिप्रेक्ष्य	नीति निर्माता, अनुसंधानकर्ता तथा सामाजिक भागीदार	01	04						22-25							एस. के. शशिकुमार राखी थिमोथी
30	लिंग, गरीबी और रोजगार	केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठन, नियोजक संगठनों सरकार और सिविल सोसायटी के प्रतिनिधि	02	05	15-19				25-29					19-23			एलीना सामंतराय शशि बाला
31	युवाओं के रोजगार योग्य कौशलों की क्षमता का वर्धन	विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों/ अनुसंधान संस्थानों से विद्यार्थी	02	05					4-8				22-26				धन्या एम.बी.
32	जलवायु परिवर्तन तथा आजीविकार्य मुद्दे	केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों तथा गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि, अनुसंधानकर्त्ता	01	05	14-18												राखी थिमोथी
33	कौशल विकास तथा रोजगार सृजन	व्यावसायिक/कौशल विकास संस्थाओं के पदाधिकारी, प्रशिक्षक तथा अनुदेशक	03	05	14-18		16 -20									23-27	अनूप सतपथी अतोजीत क्षेत्रियमयूम
34	सामाजिक संरक्षण और आजीविका सुरक्षा	केंद्रीय ट्रेड यूनियन नेता और सरकारी प्रतिनिधि	01	05		26-30											रूमा घोष
35	श्रम बाजार और रोजगार नीतियां	श्रम बाजार तथा रोजगार अध्ययनों संबंधी मध्य एवं वरिष्ठ स्तर के पदाधिकारी	01	5							13-17						राखी थिमोथी
36	असंगठित क्षेत्र में कर्मकारों के लिए सामाजिक सुरक्षा	सरकारी अधिकारी तथा सी टी यू ओ से ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि	02	5			9-13			8-12							रूमा घोष पूनम, एस. चौहान
37	विकास कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अच्छा शासन	सरकारी कर्मचारी	1	05			2-6										पी. अमिताव खुंटिया
38	समुद्रतटीय क्षेत्रों में आजीविका व्यवस्थापन एवं सामाजिक संरक्षण	सरकारी कर्मचारी, एनजीओ, ट्रेड यूनियन, कौशल विकास संस्थान	01	05				7-11									पी. अमिताव खुंटिया
39	कार्यस्थल में यौन-उत्पीड़न के संबंध में संवेदनशीलता बढ़ाना	सेंट्रल ट्रेड यूनियन नेता और एनजीओ	01	05								10-14					शशिबाला
बाल श्रम कार्यक्रम (सीएलपी)																	
40	राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं का प्रभावी व्यवस्थापन	एन सी एल पी के फील्ड अधिकारी	01	04			9-12										हेलन आर. सेकर
41	खतरनाक कार्यों से मुक्त करवाए गए बाल श्रमिकों के साथ व्यवहारों पर अभिविन्यास कार्यक्रम	एन सी एल पी विशेष स्कूलों की अध्यापिकाएं	02	04				1-4								2-5	हेलन आर. सेकर
अनुसंधान पद्धति कार्यक्रम																	
42	श्रम अर्थशास्त्र में अनुसंधान पद्धतियों पर पाठ्यक्रम	विश्वविद्यालय/कालेज अध्यापक तथा अनुसंधान अध्येता	01	12							7-18						अनूप सतपथी

क्र. सं.	कार्यक्रम का शीर्षक	लक्षित समूह	कार्यक्रमों की सं.	दिनों की सं.	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	पाठ्यक्रम निदेशक
43	श्रम अनुसंधान में गुणात्मक पद्धतियों संबंधी पाठ्यक्रम	विश्वविद्यालय/कालेज अध्यापक तथा अनुसंधान अध्येता	01	12				14-25									रूमा घोष
44	माइक्रो वित्त अनुसंधान की विभिन्न पद्धतियों पर पाठ्यक्रम	विश्वविद्यालय/कालेज के युवा अध्यापक तथा अनुसंधान अध्येता	01	12						8-19							धन्या एम.बी.
45	लिंगीय मुद्दों पर अनुसंधान पद्धतियां	विश्वविद्यालय/कालेज अध्यापक तथा अनुसंधान अध्येता	01	12								10-21					एलीना सामंतराव
46	श्रम अनुसंधान में पद्धतियां तथा दृष्टिकोण	विश्वविद्यालय/कालेज अध्यापक तथा अनुसंधान अध्येता	01	12											2-13		राखी थिमोथी
47	श्रम समाज विज्ञान तथा वैश्वीकरण संबंधी पाठ्यक्रम	विभिन्न संस्थानों/विश्वविद्यालयों से श्रम के क्षेत्र में अनुसंधानकर्ता	01	12										19-30			अतोजीत क्षेत्रिमयूम
48	कार्य, लिंग तथा स्वास्थ्य में अनुसंधान पद्धतियों संबंधी पाठ्यक्रम	विश्वविद्यालय/कालेज अध्यापक एवं लिंग तथा स्वास्थ्य मुद्दों पर कार्य कर रहे संगठनों से अनुसंधान अध्येता	01	12												2-13	रिन्जू रसाइली
49	श्रम अध्ययनों में अनुसंधान पद्धतियों पर पाठ्यक्रम	विश्वविद्यालय/कालेज अध्यापक एवं अनुसंधान अध्येता	01	12									1-12				पी. अमिताव खुंटिया
स्वास्थ्य मुद्दों संबंधी कार्यक्रम																	
50	वैश्विक अर्थव्यवस्था में लिंग, कार्य तथा स्वास्थ्य	सरकारी अधिकारी तथा केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों के प्रतिनिधि	01	05										12-16			रूमा घोष
51	कर्मकारों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा : और संरक्षण	सरकारी अधिकारी तथा केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों के प्रतिनिधि	01	05											23-27		रूमा घोष
52	कार्यस्थल स्वास्थ्य तथा सुरक्षा : मुद्दे तथा चुनौतियां	सी टी यू ओ, के प्रतिनिधि, नियोक्ता, सरकारी विभाग, औद्योगिक क्षेत्र के प्रतिनिधि	01	05										5-9			रिन्जू रसाईली
अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम																	
53	कौशल विकास तथा रोजगार सृजन	व्यावसायिक शिक्षा तथा कौशल प्रशिक्षक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से जुड़े त्रिपक्षीय भागीदार, अधिकारी	01	19					11-29								अनूप सतपथी
54	श्रम में लिंगीय मुद्दे	पदाधिकारी, सरकारी संस्थाएं, गैर सरकारी संगठन, कर्मचारी तथा नियोजक आदि	01	19						8-26							शशि बाला
55	नेतृत्व विकास	सरकारी विभागों, संस्थाओं औद्योगिक और सेवा क्षेत्र के अधिकारी	01	19							13-31						पूनम एस. चौहान
56	वैश्विक अर्थव्यवस्था में श्रम और रोजगार संबंध	सरकारी पदाधिकारी, ट्रेड यूनियनों, नियोजक संगठनों तथा शोध संस्थाओं के प्रतिनिधि	01	19								10-28					एस.के. शशिकुमार
57	विकास तथा सामाजिक सुरक्षा उपायों कार्य प्रबंधन	सरकारी अधिकारी और सिविल सोसायटी संगठनों के प्रतिनिधि	01	19									1-19				अतोजीत क्षेत्रिमयूम
58	श्रम अध्ययन में अनुसंधान पद्धतियां	सरकारी विश्वविद्यालयों/कालेजों/ अनुसंधान संस्थानों इत्यादि के शोधकर्ता	01	19											9-27		एस.के. शशिकुमार
59	स्वास्थ्य संरक्षण तथा कार्य	सरकारी संस्थाओं, उद्योगों, कर्मचारी नियोजक संगठनों के अधिकारी	01	19												9-27	रूमा घोष
पूर्वोत्तर राज्यों के कार्यक्रम																	
60	श्रम कानूनों के मूलभूत तत्व	पूर्वोत्तर राज्यों के श्रम नेता तथा एनजीओ	02	05			30----04							12-16			संजय उपाध्याय अतोजीत क्षेत्रिमयूम
61	नेतृत्व विकास कार्यक्रम	पूर्वोत्तर राज्यों के केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों के प्रतिनिधि	01	05										5-9			पूनम एस. चौहान
62	महिला कर्मकारों से संबंधित श्रम कानूनों के प्रति जारूकता को सुदृढ़ बनाना	पूर्वोत्तर क्षेत्र के गैर सरकारी संगठनों केसीटीयू के प्रतिनिधि	02	05		26-30									16-20		धन्या एम.बी. शशि बाला
63	श्रम मुद्दों संबंधी जागरूकता का सुदृढ़ीकरण	पूर्वोत्तर क्षेत्र के गैर सरकारी संगठनों, सीटीयू के प्रतिनिधि	01	05			2-6										एलीना सामंतराय
64	सामाजिक संरक्षण और आजीविका सुरक्षा	सरकारी अधिकारी तथा केंद्रीय ट्रेड यूनियन नेता, एनजीओ	02	05	28----02										2-6		धन्या, एम.बी. अतोजीत क्षेत्रिमयूम
65	लिंग, गरीबी और रोजगार	गैर सरकारी संगठन तथा केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों के प्रतिनिधि	02	05		26-30										9-13	रिन्जू रसाइली धन्या एम.बी.
66	श्रम प्रवर्तन अधिकारियों के लिए प्रभावी श्रम कानून प्रवर्तन	राज्य सरकारों के श्रम प्रवर्तन अधिकारी तथा निरीक्षक	02	05								17-21			16-20		संजय उपाध्याय अतोजीत क्षेत्रिमयूम
67	असंगठित क्षेत्र में श्रम कानूनों का प्रभावी प्रवर्तन	श्रम अधिकारी	01	05									15-19				संजय उपाध्याय
68	महिला कर्मकारों के लिए कौशल विकास को प्रोत्साहित करना	सरकारी अधिकारी, सेंट्रल ट्रेड यूनियन और एनजीओ	01	05		5-9											पी. अमिताव खुंटिया
69	पूर्वोत्तर में श्रम बाजार, रोजगार और सामाजिक संरक्षण मुद्दे	सरकारी कर्मचारी, सीटीयूओ, सिविल सोसायटी के प्रतिनिधि, अनुसंधानकर्त्ता	01	04							7-10						अतोजीत क्षेत्रिमयूम
70	बाल श्रम एवं बंधुआ मजदूरी को दूर करने हेतु सामाजिक भागीदारों के प्रयासों को समझना	समाजिक भागीदार (पीआरआई, एनजीओ, टीयूएस)	01	04							7-10						हेलन आर. सेकर
सहयोगात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम																	
71	ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम (केएलआई)	ट्रेड यूनियन नेता	01	04					19-22								पूनम एस. चौहान
72	सामाजिक संरक्षण और आजीविका (टी आई एल एस)	ट्रेड यूनियन नेता, शिक्षाविद, सरकारी प्रतिनिधि	01	03							8-10						धन्या एम.बी.
73	असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिए सामाजिक सुरक्षा (एस एल आई, पश्चिम बंगाल)	सरकारी अधिकारी तथा केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों के प्रतिनिधि	01	03								5-7					रूमा घोष
74	श्रम अध्ययनों में अनुसंधान विधियां (एम आई एल एस, मंबुई)	श्रम के क्षेत्र में कार्यरत अनुसंधानकर्ता	01	05					25-29								रूमा घोष
75	श्रम में लिंगीय मुद्दे (एस एल आई, उड़ीसा)	ट्रेड यूनियन एवं एनजीओ	01	03						8-10							एलीना सामंतराय
76	बाल मजदूर को मुक्त करना एवं पुनर्वास (टीआईएलएस, तमिलनाडु)	श्रम अधिकारी	04	01			13	18	22	19							हेलन आर. सेकर
77	श्रम आर्थिकी को लागू करना (एसजीयू)	विद्यार्थी, अनुसंधानकर्त्ता, शिक्षाविद	01	03									29-31				शशि बाला
78	श्रम मुद्दों, एनसीडीएस, भुवनेश्वर पर अभिविन्यास कार्यक्रम	एनजीओ, असंगठित क्षेत्र से ट्रेड यूनियन	01	05							27-31						पी. अमिताव खुंटिया
79	असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा	एनजीओ, असंगठित क्षेत्र से ट्रेड यूनियनें	01	03						1-3							अतोजीत क्षेत्रिमयूम
80	कामगारों के लिए कौशल विकास को प्रोत्साहित करना, एनसीडीएस, भुवनेश्वर	व्यावसायिक/कौशल विकास संस्थानों से कर्मचारी, प्रशिक्षण और अनुदेशक	01	03						15-17							अनूप सतपथी
81	कौशल विकास और रोजगार, एमजीएलआई	व्यावसायिक/कौशल विकास संस्थानों से कर्मचारी, प्रशिक्षक और अनुदेशक	01	03								17-19					अनूप सतपथी
82	कौशल विकास और रोजगार, केआईएलई	व्यावसायिक/कौशल विकास संस्थानों से कर्मचारी, प्रशिक्षक और अनुदेशक	01	03									1-3				अनूप सतपथी
			112														

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान

पोस्ट बॉक्स नं. 68, सैक्टर-24, नौएडा, 201301 (भारत)

दूरभाष : 0120-2411533/34/38, www.vvgnli.org

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान श्रम एवं इससे संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा, प्रकाशन और परामर्श का अग्रणी संस्थान है। इस संस्थान की स्थापना 1974 में की गई थी और यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय है। यह संस्थान विकास की कार्यसूची में श्रम और श्रम संबंधों को निम्नलिखित के द्वारा मुख्य स्थान देने के लिए समर्पित है:

- कार्य की दुनिया में रूपांतरण के मुद्दे पर कार्रवाई करना
- श्रम तथा रोजगार से संबंधित मुख्य सामाजिक भागीदारों तथा पणधारियों के बीच कौशल तथा अभिवृत्ति और ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना
- वैश्विक स्तर के अनुसंधानिक अध्ययनों और प्रशिक्षण हस्तक्षेपों को हाथ में लेना
- विश्व प्रसिद्ध संस्थानों के साथ समझ निर्माण तथा सहभागिता विकसित करना।

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
सैक्टर 24, नौएडा–201 301
उत्तर प्रदेश (भारत)
वेबसाइट : www.vvgnli.org